2023

लोक सभा उत्तर

मॉनसून सत्र, 2023 [सतरंवी लोक सभा का 12 वां सत्र]

[20th जुलाई ,2023 to 11th अगस्त, 2023]

INDEX

Sl.No.	Question No.	QuestionType	Date	Subject	Division	PageNo.
1.	**35**	**तारांकित**	**21.07.2023**	**केरल में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ**	**नियुक्ति अनुभाग**	**1-2**
2.	**39**	**तारांकित**	**21.07.2023**	**अखिल भारतीय न्यायिक सेवा**	**नियुक्ति अनुभाग**	**3-5**
3.	245	अतारांकित	21.07.2023	न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं	जे आर	6-8
4.	251	अतारांकित	21.07.2023	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भर्ती में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व	नियुक्ति अनुभाग	9-10
5.	284	अतारांकित	21.07.2023	अधिवक्ता कोटे से न्यायाधीशों की नियुक्ति	नियुक्ति अनुभाग	11-12
6.	285	अतारांकित	21.07.2023	न्यायालयों में मामलों का निपटारा	एनएम	13-19
7.	299	अतारांकित	21.07.2023	न्यायिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी का उपयोग	ई-कोर्ट	20-22
8.	310	अतारांकित	21.07.2023	ग्राम न्यायालय	जे आर	23-24
9.	313	अतारांकित	21.07.2023	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थानांतरण	नियुक्ति अनुभाग	25
10.	317	अतारांकित	21.07.2023	ई- न्यायालय परियोजना	ई-कोर्ट	26-29
11.	322	अतारांकित	21.07.2023	न्यायालयों में लंबित मामले	एनएम	30-40
12.	351	अतारांकित	21.07.2023	त्वरित न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान	न्याय-II	41-47

13.	366	अतारांकित	21.07.2023	न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु योजनाएं	जे आर	48-49
14.	**121**	**तारांकित**	**28.07.2023**	**उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठों के समक्ष लंबित**	**एनएम**	**50-54**
15.	**131**	**तारांकित**	**28.07.2023**	**डिजिट्ल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कानूनी सहायता**	**ए2जे**	**55-57**
16.	**133**	**तारांकित**	**28.07.2023**	**उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में हिन्दी को बढ़ावा**	**न्याय-I**	**58-59**
17.	**140**	**तारांकित**	**28.07.2023**	**लोक अदालतें**	**एलएपी**	**60-64**
18.	1394	अतारांकित	28.07.2023	विशेषीकृत पीठों का गठन	एनएम	65-66
19.	1398	अतारांकित	28.07.2023	ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता हेतु अभियान	एलएपी	67-69
20.	1413	अतारांकित	28.07.2023	न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता	नियुक्ति अनुभाग	70-71
21	1417	अतारांकित	28.07.2023	COVID-लॉकडाउन के दौरान 19 अदालत में सुनवाई	ई-कोर्ट	72-74
22	1431	अतारांकित	28.07.2023	निःशुल्क विधिक सेवा	ए2जे	75-78
23	1434	अतारांकित	28.07.2023	राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड	ई-कोर्ट	79-81
24	1439	अतारांकित	28.07.2023	वर्चुअल न्यायालयों में मामलों का निपटान	ई-कोर्ट	82-86
25	1445	अतारांकित	28.07.2023	न्यायालयों की नई न्यायपीठ	नियुक्ति अनुभाग	87-88
26	1452	अतारांकित	28.07.2023	त्वरित न्यायिक प्रक्रिया	एनएम	89-92
27	1461	अतारांकित	28.07.2023	दिव्यांग नागरिकों की न्याय तक पहुंच	एनएम	93-94

28	1477	अतारांकित	28.07.2023	न्याय विकास पोर्टल	जे आर	95-96
29	1492	अतारांकित	28.07.2023	राज्यों में अतिरिक्त न्यायिक पद	एनएम	97-99
30	1498	अतारांकित	28.07.2023	त्वरित और निष्पक्ष न्याय	ई-कोर्ट	100-102
31	1507	अतारांकित	28.07.2023	उच्चतम न्यायालय में बुनियादी ढांचे का विकास	न्याय-I	103-106
32	1519	अतारांकित	28.07.2023	तेलंगाना में योजनाओं का कार्यान्वयन	जे आर	107-117
33	1524	अतारांकित	28.07.2023	कमजोर वर्गों के लिए किफायती न्याय	एलएपी	118-119
34	1542	अतारांकित	28.07.2023	न्यायालय परिसरों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव	जे आर	120-121
35	1571	अतारांकित	28.07.2023	अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति	नियुक्ति अनुभाग	122-125
36	1593	अतारांकित	28.07.2023	न्यायालयों में रिक्त पद और मामले	एनएम	126-137
37	2537	अतारांकित	04.08.2023	उच्चतम न्यायालय में मामलों का स्थगन	एनएम	138
38	2540	अतारांकित	04.08.2023	पुराने लंबित मामले	एनएम	139-141
39	2563	अतारांकित	04.08.2023	फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिक्तियां	न्याय-II	142-143
40	2597	अतारांकित	04.08.2023	गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता	एलएपी	144-147
41	2598	अतारांकित	04.08.2023	उत्तर प्रदेश की अदालतों में दीवानी और फौजदारी मामले	एनएम	148-151
42	2617	अतारांकित	04.08.2023	न्यायाधीशों की पारदर्शी नियुक्ति हेतु योजना	नियुक्ति अनुभाग	152-154
43	2624	अतारांकित	04.08.2023	आम आदमी के लिए सुलभ न्यायिक व्यवस्था	एनएम	155-158
44	2631	अतारांकित	04.08.2023	न्याय बंधु योजना	ए2जे	159-160
45	2663	अतारांकित	04.08.2023	तेलंगाना उच्च न्यायालय में रिक्ति	नियुक्ति अनुभाग	161-162

46	2692	अतारांकित	04.08.2023	न्यायाधीशों के पदों को भरने हेतु प्रयास	एनएम	163-172
47	2694	अतारांकित	04.08.2023	मामलों के निपटान की समय-सीमा	एनएम	173-175
48	2710	अतारांकित	04.08.2023	महिलाओं के प्रति अपराध के मामले	एनएम	176-185
49	2723	अतारांकित	04.08.2023	वर्चुअल न्यायालयों की प्रगति	ई-कोर्ट	186-188
50	2740	अतारांकित	04.08.2023	लद्दाख में न्यायालयों का आधुनिकीकरण	जे आर	189-191
51	**338**	**तारांकित**	**11.08.2023**	**प्रचालनरत फास्ट ट्रैक न्यायालय**	**न्याय-II**	**192-198**
52	**340**	**तारांकित**	**11.08.2023**	**उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण**	**नियुक्ति अनुभाग**	**199-200**
53	3726	अतारांकित	11.08.2023	न्यायालयों के विस्तार हेतु निधि आवंटन	जे आर	201-202
54	3736	अतारांकित	11.08.2023	न्यायालयों का आधुनिकीकरण	ई-कोर्ट	203-205
55	3742	अतारांकित	11.08.2023	अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सेवा	एलएपी	206-207
56	3748	अतारांकित	11.08.2023	कार्यशील ई-न्यायालय	ई-कोर्ट	208-212
57	3823	अतारांकित	11.08.2023	उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ में राज्यों का प्रतिनिधित्व	नियुक्ति अनुभाग	213-215
58	3856	अतारांकित	11.08.2023	गरीब व्यक्तियों को कानूनी सलाह	एलएपी	216-217
59	3861	अतारांकित	11.08.2023	न्यायालय परिसर से चित्रों और प्रतिमाओं का हटाया जाना	ए2जे	218
60	3873	अतारांकित	11.08.2023	उत्तर प्रदेश में ई - न्यायालय	ई-कोर्ट	219-222
61	3878	अतारांकित	11.08.2023	जर्जर न्यायालयों का पुनरुत्थान	जे आर	223-224
62	3906	अतारांकित	11.08.2023	जिला अदालतों में अवसंरचना की समस्या	जे आर	225-226

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *35
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

केरल में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ

***35. श्री हैबी ईडन :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोच्चि में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए केरल के लोगों और विधिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार केरल के एर्णाकुलम जिले के कोच्चि में उक्त न्यायपीठ की स्थापना करके केरल के लोगों की वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा कब तक आवश्यक कार्रवाई किए जाने और इसे कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"केरल में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ" से संबंधित लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *35 जिसका उत्तर तारीख 21.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ङ) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे ।

ग्यारहवें विधि आयोग में "दि सुप्रीम कोर्ट-ए फ्रेश लुक" शीर्षक वाली 1988 में प्रस्तुत की गई अपनी 125वीं रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय को दो भागों में विभाजित करने अर्थात् (i) दिल्ली में संवैधानिक न्यायालय और (ii) उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और केन्द्रीय भारत में अधिविष्ट अपील न्यायालय या फैडरल न्यायालय । अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया था कि संवैधानिक न्यायपीठ दिल्ली में बनाई जाए तथा चार अभिशून्य न्यायपीठ उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चैन्नई/हैदराबाद, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और दक्षिणी क्षेत्र में मुंबई में बनाई जाएं ।

इस विषय को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया, जिन्होंने सूचित किया है कि इस विषय पर विचार करने के पश्चात् 18 फरवरी, 2010 को अपनी बैठक में पूर्ण पीठ ने दिल्ली के बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों को बनाने के लिए कोई तर्कसंगतता नहीं पाई है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने पूर्व में अगस्त, 2007 में भी समान दृष्टिकोण संप्रेषित किए थे ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी)सं.36/2016 में, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय तारीख 13.07.2016 द्वारा पूर्वोक्त वर्णित मुद्दे को प्राधिकृत उद्घोषणा के लिए संवैधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा । यह विषय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *39
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

***39. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतर न्यायपालिका में रिक्त पदों को भरने और उसमें समाज के उपेक्षित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थिति क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उच्चतर न्यायपालिका में समाज के उपेक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"अखिल भारतीय न्यायिक सेवा" से संबंधित 31.07.2023 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *39 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) से (ग) : संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 ने संविधान में अनुच्छेद 312 अंतःस्थापित किया जो अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं (एआईजेएस) के सृजन का उपबंध करता है । संवैधानिक उपबंध एआईजेएस के जिला न्यायाधीश स्तर पर सृजन को समर्थ करता है, जिसमें जिला न्यायाधीश से निम्न कोई पद सम्मिलित नहीं है । सरकार के दृष्टिकोण में उचित ढंग से विरचित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संपूर्ण न्याय परिदान प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक है । यह एक उचित अखिल भारतीय मेधावी चयन प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त योग्यता वाली नई विधिक प्रतिभा के प्रवेश का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ समाज के सीमांत और वंचित वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व को समर्थ बनाकर सामाजिक समादेश के मुद्दे को भी हल करेगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (एआईजेएस) के गठन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव विरचित किया गया था और उसे नवंबर, 2012 में सचिवों की समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था । देश में कुछ सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित करने के अतिरिक्त यह न्यायपालिका में सीमांत वर्गों और महिलाओं में से सक्षम व्यक्तियों के समावेश को भी सुकर बना सकता है । अप्रैल, 2013 में आयोजित मुख्यमंत्रियों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के अधिवेशन में इस प्रस्ताव को अजेंडा आइटम के रूप में सम्मिलित किया गया तथा यह विनिश्चत किया गया कि इस मुद्दे पर और बातचीत तथा विचार करने की आवश्यकता है ।

राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के विचार इस प्रस्ताव पर मांगे गए । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के बीच विचारों की भिन्नता थी । जब कि कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, कुछ अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में नहीं थे, जबकि कुछ अन्य केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित प्रस्ताव में परिवर्तन चाहते थे ।

जिला न्यायाधीशों के पद पर भर्ती तथा सभी स्तरों पर न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की चयन प्रक्रिया के पुनर्विलोकन में सहायता के लिए न्यायिक सेवा आयोग के सृजन के संबंध में विषय भी मुख्य न्यायमूर्तियों के अधिवेशन के लिए अजेंडा के रूप में सम्मिलित किया गया, जो 03 और 04 अप्रैल, 2015 को आयोजित किया गया था, जिसमें त्वरित ढंग से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को भरने की विद्यमान प्रणाली के भीतर समुचित पद्धतियों के सृजन के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को निर्णय करने के लिए संकल्प किया गया । अगले दिन अर्थात् 05 अप्रैल, 2015 को आयोजित मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त अधिवेशन में भी इस मामले को रखा गया ।

16 जनवरी, 2017 को विधि और न्याय राज्य मंत्री, भारत के महान्यायवादी, भारत के महा-सालिसिटर, न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग के सचिवों की उपस्थिति में विधि और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में, पात्रता, आयु, चयन का मापदंड, अर्हता, आरक्षण आदि के मुद्दों पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर विचार किया गया । मार्च, 2017 में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में भी एआईजेएस के गठन पर विमर्श हुआ तथा 22.02.2021 को एस.सी./एस.टी. के कल्याण पर संसदीय समिति में भी विचार किया गया ।

मुख्य पणधारियों के बीच राय की विद्यमान भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं है ।

उच्चतर न्यायपालिका (उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय) में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो किसी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते । उच्च न्यायालयों में रिक्तियों के लिए सिफारिशें करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व उच्च न्यायालय कालेजियम का है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों के कालेजियम सिस्टम को एक विस्तृत, पारदर्शी, जवाबदेह, नियुक्ति प्रणाली से बदलने के लिए तथा प्रणाली को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, सरकार ने संविधान (निन्यानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014, तारीख 13.04.2015 से प्रचालित किया । तथापि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई । उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय तारीख 16.10.2015 द्वारा दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया । संविधान (निन्यानवेंवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवर्तन के पूर्व यथाविद्यमान कालेजियम सिस्टम को प्रचालित घोषित कर दिया गया ।

कालेजियम सिस्टम के माध्यम से संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में सामाजिक विविधता प्रदान करने तथा एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/महिलाओं/अल्पसंख्यकों समेत समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का भार प्राथमिक रूप से न्यायपालिका पर है । सरकार किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती जिसकी सिफारिश उच्च न्यायालय कालेजियम/उच्चतम न्यायालय कालेजियम द्वारा नहीं की जाती ।

तथापि, सरकार उच्चतम न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध कर रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को भेजते समय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजित विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्प संख्यकों और महिला वर्गों से आने वाले उचित उम्मीदवारों पर सम्यक् विचार किया जाए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 245
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं

245. श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर :

श्री नारणभाई काछड़िया :

श्री अनिल फिरोजिया:

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे :

श्री दिलीप शइकीया :

श्री अरुण साव :

श्री एस.सी. उदासी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक विशेषकर महाराष्ट्र में किए गए कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत अब तक निर्मित न्यायालय भवनों, डिजिटल कम्प्यूटर रूम, वकीलों के लिए हॉल, शौचालय परिसर और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश भर में इस योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है । तथापि, राज्य सरकार/ संघ राज्यक्षेत्र, के संसाधनों के पूरक के लिए, केन्द्रीय सरकार केन्द्र और राज्य के बीच विहित निधि-साझा पैटर्न में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके, 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीय प्रयोजित योजना (सीएसएस) कार्यान्वित की है । इस योजना में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवास स्थानों का निर्माण करना शामिल है । वर्ष 2021 से, न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त, उपरोक्त (सीएसएस) की परिधि में डिजिटल कम्प्यूटर हॉल, वकीलों के हॉल और शौचालय परिसरों के नए घटक भी शामिल किए गए है । योजना के प्रारम्भ से अब तक 10035 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है, जिसमें 2014-15 से 6591 करोड़ रूपए (66%) जारी किए जा

चुके है । 30.06.23 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 19,876 न्यायाधीशों न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के विरुद्ध 21365 संख्या में न्यायालय हॉल और 18846 संस्था में आवासीय इकाईयां उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, न्याय विकास पोर्टल के अनुसार 2,811 न्यायालय हॉल और 1640 आवासीय इकाइयां निर्माणधीन हैं । न्यायालय हालों और उपलब्ध एंव निर्माणधीन आवासीय इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा उपाबंध पर है । यह योजना 5307.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 9000 करोड़ रुपए के बजटीय व्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित की गई है ।

जहां तक महाराष्ट्र राज्य सरकार को जारी की जाने वाली राशि का संबंध है, इस योजना के अधीन 15.07-2023 तक 870 करोड़ रूपए जारी किए जा चुके हैं । बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30.06.2023 तक महाराष्ट्र राज्य में 603 न्यायालय हाल और 106 आवासीय इकाइयां निर्माणाधीन हैं । डिजिटल कम्प्यूटर कक्ष, वकीलों के हॉल और शौचालय अनिवार्य रूप से न्यायालय परिसर का हिस्सा है और इस योजन के अधीन परियोजना-वार/ घटक-वार निधि जारी नहीं की जाती है । तथापि, राज्यों को 2021-22 से योजना के अधीन प्रारम्भ किए गए वकीलों के हॉलों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटरों कक्षों के नए तत्वों के बारे में जागरूक किया गया ।

(ग): सरकार निचली और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है । योजना के समयबद्ध और उचित कार्यान्वयन के लिए, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी तंत्र मौजूद है ।

राज्य में एक उच्च न्यायालय स्तरीय निगरानी सामिति है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं और इसमें अन्य हितधारक भी होते हैं जैसे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, पोर्टफोलियों न्यायाधीश, राज्य के विधि और गृह सचिव और राज्य पीडब्लूडी के सचिव सदस्य के रूप में होते हैं । यह समिति इस योजना के अधीन चल रही परियोजना के भौतिक और वित्तीय प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए प्रत्येक 6 माह में बैठक करती है ।

इसके अतिरिक्त, परियोजना के प्रगति का पुनर्विलोकन करने और योजना के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले किसी मुद्दे को सुलझाने के लिए न्याय विभाग में सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्तर की पुनर्विलोकन समिति है ।

इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों का नियमित दौरा किया जाता है । राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं को हल करने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं ।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएमएस) से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, (ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों) भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से निधियों जारी की जाती हैं, उपयोग की मानीटरी की जाती है ।

राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में चल रही परियोजनों को वास्तविक समय में जियो-टैग करना और इसके न्याय विकास पोर्टल पर प्रतिबिंबित करना आवश्यक है, न्यायिक अवसरंचनात्मक परियोजनाओं की प्रगति और समयबद्ध पूरा होने पर डेटा एकत्रित करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की तकनीकी सहायता से विकसित एक ऑनलाइन मानीटरी प्रणाली है ।

उपरोक्त सभी, परियोजना अपने मानदंडों और विशिष्टताओं के मामले में पर्याप्त लचीली हैं, जिससे कि राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों और भू-स्थानिक का ध्यान रख सके ।

****

उपाबंध

लोकसभा अतांराकित प्रश्न सं. 245 जिसका उत्तर तारीख 21.07.2023 को दिया जाना है के लिए निर्दिष्ट विवरण तथा तारीख 30.06.2023 को उपलब्ध और निर्माणाधीन न्यायालय हॉल और आवासीय इकाईयों की संख्या का राज्य वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	कुल न्यायालय हॉल	निर्माणाधीन कुल न्यायालय हॉल	कुल आवासीय इकाईयां	निर्माणाधीन कुल आवासीय इकाईयां*
1	अंडमान और निकोबार	17	0	10	0
2	आंध्र प्रदेश	647	99	574	16
3	अरुणाचल प्रदेश	29	2	29	3
4	असम	426	97	372	14
5	बिहार	1523	86	1202	82
6	चंडीगढ़	31	1	30	0
7	छत्तीसगढ़	484	26	462	426
8	दादरा और नागर हवेली	3	0	3	0
9	दमन और द्वीप	5	3	5	0
10	दिल्ली	694	50	348	70
11	गोवा	53	28	26	0
12	गुजरात	1531	140	1337	29
13	हरियाणा	562	75	518	65
14	हिमाचल प्रदेश	170	14	157	1
15	जम्मू और कश्मीर	199	46	122	8
16	झारखंड	651	12	609	0
17	कर्नाटक	1189	144	1147	84
18	केरल	566	46	541	18
19	लद्दाख	9	0	6	0
20	लक्षद्वीप	3	0	3	0
21	मध्य प्रदेश	1546	413	1696	91
22	महाराष्ट्र	2350	603	2055	106
23	मणिपुर	43	5	16	0
24	मेघालय	53	30	26	97
25	मिजोरम	47	26	37	6
26	नागालैंड	30	12	39	2
27	ओडिशा	819	53	717	56
28	पुडुचेरी	36	0	29	0
29	पंजाब	589	72	625	36
30	राजस्थान	1340	216	1135	125
31	सिक्किम	20	0	17	0
32	तमिलनाडु	1233	0	1363	0
33	तेलंगाना	535	45	475	6
34	त्रिपुरा	82	22	91	26
35	उत्तर प्रदेश	2761	284	2393	238
36	उत्तराखंड	253	70	210	3
37	पश्चिमी बंगाल	836	91	421	32
कुल		**21365**	**2811**	**18846**	**1640**

स्त्रोत : न्याय विभाग और न्याय विकास पोर्टल का एमआईएस पोर्ट

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 251
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भर्ती में कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व

251. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों के दौरान सभी उच्च न्यायालयों में नियुक्त किए गए 79 प्रतिशत न्यायाधीश उच्च जातियों से थे जो पिछड़े और अल्पसंख्यकों के असमान प्रतिनिधित्व को दर्शाते हैं;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या वर्ष 2018 से लेकर अब तक कुल 537 न्यायाधीशों में से केवल 2.6 प्रतिशत न्यायाधीश उच्च जातियों के अतिरिक्त अन्य वर्गों से थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से सामाजिक विविधता और सामाजिक न्याय के मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
(ङ) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली लागू किए जाने के बाद स्थिति और खराब हो गई है; और
(च) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के परामर्श से इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे.

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : सामाजिक पृष्ठभूमि पर जानकारी 2018 से प्रभावी पुनरीक्षित उपाबंध के अनुसार उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए उन्नयन हेतु अनुसंशाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिसमें अन्य जानकारी के अतिरिक्त, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि संबंधी ब्यौरे विहित किए गए रूपविधान (उच्चतम न्यायालय के परामर्श से तैयार किए गए) में उपलब्ध है । अनुसंशाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से 17.07.2023 तक नियुक्त किए गए 604 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में से 458 न्यायाधीश सामान्य श्रेणी से संबंधित है, 18 न्यायाधीश अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित है, 09 न्यायाधीश अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित है, 72 न्यायाधीश अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित है, 34 न्यायाधीश अल्पसंख्यक से संबंधित हैं और शेष 13 न्यायाधीशों के लिए न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए विचार के समय उनके द्वारा भरे गए उपाबंधों में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हैं ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में आने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए, जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों मे न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, सरकार केवल ऐसे व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगी जिनकी सिफारिश उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 284
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

अधिवक्ता कोटे से न्यायाधीशों की नियुक्ति

284. श्री हनुमान बेनीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद से अब तक अधिवक्ता कोटे से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणियों और गुर्जर, यादव, माली, मुस्लिम जैसे समुदायों से नियुक्त न्यायाधीशों का ब्यौरा क्या है;
(ख) वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कोटे से न्यायाधीशों की, जाति और श्रेणी-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का विचार अधिवक्ता कोटे से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन के लिए भी अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के न्यायाधीशों के चयन हेतु कोई नई नीति बनाने का है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : उच्च न्यायालय न्यायाधीशों में सामाजिक विविधता संबंधित डाटा को पुनरीक्षित उपाबंध (2018 में पुनरीक्षित) के अनुसार संस्थागत बनाया गया है, जिसमें अनुशंसाकर्ताओं को विहित किए गए प्रारूप (उच्चतम न्यायालय से सलाह करके तैयार किया गया) में अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि संबंधित ब्यौरे प्रदान करने होंगे ।

वर्ष 2018 से 17.07.2023 तक राजस्थान उच्च न्यायालय में नियुक्त किए गए 39 न्यायाधीशों में से 10 न्यायाधीश अधिवक्ता कोटे से नियुक्त किए गए थे । 10 न्यायाधीशों में से 7 सामान्य श्रेणी और 3 (प्रत्येक में से एक) अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक श्रेणियों से संबंधित थे । यद्यपि, कोई समुदाय-वार डाटा जैसे गुर्जर, यादव, माली नहीं रखा गया है । 01.01.2018 से पूर्व नियुक्त किए गए न्यायाधीश संबंधी डाटा (उपाबंध का पुनरीक्षण) उपलब्ध नहीं है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते हैं । तथापि, सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में

सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध किया है कि प्रस्ताव भेजते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में आने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 285
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में मामलों का निपटारा

285 **श्री अशोक महादेवराव नेते :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान 'आज की तिथि तक निचले न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में निपटाए गए मामलों की वर्ष-वार/राज्य-वार औसत संख्या कितनी है; और
(ख) सरकार द्वारा देश के न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए/निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला विस्तृत विवरण **उपाबंध I** में है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान उच्च न्यायालयों और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निपटाए गए/निपटाए गए मामलों की संख्या दर्शाने वाला वर्ष-वार विवरण क्रमशः **उपाबंध II** और **उपाबंध III** में दिया गया है।

(ख): न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मुकदमों के निपटारे में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय के कर्मचारी और भौतिक बुनियादी ढांचे, सम्मिलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, हितधारकों अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और वादी और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग का सहयोग सम्मिलित है। ऐसे कई कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटान में देरी हो सकती है। इनमें, अन्य बातों के अतिरिक्त, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की निगरानी, ट्रैक और समूह बनाने की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित है।

केंद्रीय सरकार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने कई पहल की हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

i. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10035 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है।

ii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 815 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 18 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 408 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को सम्मिलित करने का आशय रखता है।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115

14.07.2023	25,246	19858

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है। 31.05.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 832त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है ।

vi. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार , तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**पूर्व-मुकदमेबाजी मामले**	**लंबित मामले**	**सकल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037

2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	6,82,32,800	2,26,81,224	9,09,14,024

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशत-वार ब्यौरा**

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	45,81,912		44,66,376	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

****

उपाबंध – I

न्यायालयों में मामलों का निपटान संबंधी लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 285 जिसका उत्तर 21/07/2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष (15 जुलाई, 2023 तक) में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा मामलों के निपटान को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2020	20,670
2	2021	24,586
3	2022	36,436
4	2023 (15.07.2023तक)	25,959

स्रोत: भारत का उच्चतम न्यायालय, एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली(आईसीएमआईएस)।

उपाबंध – 2

न्यायालयों में मामलों का निपटान संबंधी लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 285 जिसका उत्तर 21/07/2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले 3 वर्षों 2020, 2021, 2022 और 2023 (17 जुलाई, 2023 तक) * के लिए उच्च न्यायालय-वार मामलों के निपटान को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

क्र. सं.	उच्च न्यायालय का नाम	निपटाए गए मामलों की संख्या			
		वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023 (17.07.2023 तक)
1	इलाहाबाद	146395	181493	195534	84077
2	बंबई	58447	92224	85337	28539
3	कलकत्ता	25001	38588	51070	20594
4	गुवाहाटी	15782	18699	19521	7645
5	तेलंगाना	22818	33628	41804	14030
6	आंध्र प्रदेश	22613	28310	36224	9603
7	छत्तीसगढ	22560	25717	28875	11662
8	दिल्ली	22099	27514	28584	10425
9	गुजरात	46370	54048	59008	22735
10	हिमाचल प्रदेश	26128	26648	29862	11402
11	जम्मू - कश्मीर	5920	7069	5236	1656
12	झारखंड	28030	34859	32365	8724
13	कर्नाटक	35192	43772	39381	11382
14	केरल	44575	26833	18577	8623
15	मध्य प्रदेश	77909	95366	91342	37280
16	मणिपुर	1368	1879	2112	560
17	मेघालय	957	996	1000	412
18	पंजाब और हरियाणा	77193	91034	91718	32016
19	राजस्थान	88872	104576	101670	33631
20	सिक्किम	128	143	89	21
21	त्रिपुरा	2158	2058	1888	537
22	उत्तराखंड	10046	11266	11763	4675
23	मद्रास	153158	187017	214763	96796
24	ओडिशा	74458	115197	85049	33673
25	पटना	51089	88726	83942	32640
कुल		**10,59,266**	**13,37,660**	**13,56,714**	**5,23,338**

*स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध – 3

न्यायालयों में मामलों का निपटान संबंधी लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 285 जिसका उत्तर 21/07/2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

पिछले 3 वर्षों 2020, 2021, 2022 और 2023 (17 जुलाई, 2023 तक)* के लिए मामलों के राज्य-वार निपटान को दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	निपटाए गए मामलों की संख्या			
		वर्ष 2020	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023 (17.07.2023तक)
1	उत्तर प्रदेश	1606083	2527703	3698994	2022823
2	महाराष्ट्र	256229	1188934	1553069	860415
3	बिहार	611536	386816	635678	385177
4	पश्चिमी बंगाल	233658	365242	608746	279727
5	राजस्थान	453978	723598	1048909	525877
6	मध्य प्रदेश	94418	201984	916960	480141
7	कर्नाटक	312127	742786	305772	825773
8	केरल	422946	746005	958382	577040
9	ओडिशा	862533	1774039	1655931	145314
10	गुजरात	385729	1408146	1409917	789238
11	हरियाणा	681104	1264515	686311	227895
12	तमिलनाडु	216988	402207	2077873	1408796
13	दिल्ली	223606	307406	496401	335617
14	तेलंगाना	125743	320170	625526	208736
15	पंजाब	169334	260624	712985	436595
16	आंध्र प्रदेश	182422	481684	522831	264751
17	झारखंड	278998	216603	348352	219438
18	हिमाचल प्रदेश	56692	313541	274206	223251
19	असम	167376	119821	459938	151416
20	छत्तीसगढ	88471	206262	193003	170702
21	जम्मू और कश्मीर	68643	137985	149899	73786
22	उत्तराखंड	87130	134773	185619	101480
23	चंडीगढ़	14170	30889	31293	12136
24	गोवा	10050	17228	28545	15868
25	त्रिपुरा	14381	25772	38468	19493
26	पुदुचेरी	11100	36004	38083	18987
27	मेघालय	3155	8840	15902	8267
28	मणिपुर	1921	2197	1162	6286
29	अंदमान और निकोबार	7831	8512	16718	332
30	मिजोरम	2950	4386	5922	917
31	सिलवासा में दा.और ना.ह.	905	1686	2107	858
32	नागालैंड	273	476	816	275
33	दीव और दमन	1126	2035	2069	807
34	सिक्किम	0	0	40	1718
35	अरुणाचल प्रदेश	456	3094	3753	280
36	लद्दाख	2040	1007	1336	839
कुल		**76,56,102**	**1,43,72,970**	**1,97,11,516**	**1,08,01,051**

*स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 299
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी का उपयोग

299. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागरिकों तक पहुंचने और न्यायिक संस्थाओं के विकास के लिए प्रोद्योगिकी के उपयोग हेतु सभी नागरिकों, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों तक नायायिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व को रेखांकित करते हुए
कदम उठाए हैं/योजना तैयार की है क्योंकि इसमें भारत में न्याय प्रदान करने के तरीके को शीघ्रता से बदलने और अदालती कार्यवाहियों को सभी के लिए भले ही वे किसी भी स्थान पर हों, पारदर्शी, कुशल, और सुलभ बनाने की पर्याप्त शक्ति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या सरकार ने न्यायिक संस्थान को तैयार करने और कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों से उत्पन्न संकट में मजबूरीवश परिवर्तन करने की प्रतीक्षा किए बिना न्यायपालिका में सतत् सुधार और आधुनिकीकरण के लक्ष्य की महत्ता पर भी जोर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। ई-न्यायालय परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का चरण-I, वर्ष 2011-2015 के बीच लागू किया गया था। परियोजना का चरण-II, वर्ष 2015-23 तक बढ़ाया गया। सरकार ने सभी के लिए न्याय को सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-पहल की हैं: -

i. वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) प्रोजेक्ट के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।
ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह

देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादी 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (03.07.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

iii. अनुकूलित फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (CIS) विकसित किया गया है। वर्तमान में सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है। यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे। हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए),) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त , वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30 जून 2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30 जून 2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई , जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं। 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश और के उच्च न्यायालयों में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, और इस प्रकार भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है।

viii. यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं। 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 39 लाख (39,16,405) से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है। 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

ix. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है। ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। 30.06.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं। कुल

20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है। 30.06.2022 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है। इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा।

xii. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है।

xiii. सम्मन जारी करने और प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) आरंभ की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है।

xiv. बेंच द्वारा खोज, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरंभ किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

ई-न्यायालय चरण ॥ औपचारिक रूप से 31 मार्च, 2023 को समाप्त हो गया। डिजिटल क्रांति के माध्यम से न्याय की पहुंच को और विस्तारित करने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-2024 में ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए 7000 करोड़ रुपये की घोषणा की। । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर, व्यय वित्त समिति ने तारीख 3.02.2023 को हुई अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण ।।। की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, 21.06.2023 को हुई बैठक में प्रधान मंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ने भी अनुमोदन के लिए ई-न्यायालय चरण ।।। की सिफारिश की है।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 310
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

ग्राम न्यायालय

310 **डॉ. निशिकांत दुबे :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड में किन-किन स्थानों पर ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायतें चल रही हैं;
(ख) झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में ऐसी न्याय पंचायतों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) इन ग्राम न्यायालयों में किस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जा रही है;
(घ) क्या सरकार ने इन ग्राम न्यायालयों और न्याय पंचायतों की सफलता दर का विश्लेषण किया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : नागरिकों को उनके दरवाजे पर न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए, केंद्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 लागू किया था । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के निबंधनों में राज्य सरकारें अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं । हालाँकि, अधिनियम, ग्राम न्यायालय की स्थापना को अनिवार्य नहीं बनाता है । झारखंड राज्य में केवल एक ग्राम न्यायालय झारखंड के कोडरमा जिले में कार्यरत है ।

(ग): ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, ग्राम न्यायालय को प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय समझा जाएगा और उक्त अधिनियम की अनुसूचियों में प्रदान की गई सीमा तक सिविल और दाण्डिक दोनों अधिकारिताओं का प्रयोग किया जाएगा । केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को ऐसी अनुसूचियों में किसी भी मद को जोड़ने या हटाने की शक्ति है ।

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(3) यह उपबंध करता है कि ग्राम न्यायालय उस समय लागू किसी भी अन्य विधि के अधीन स्थापित सामान्य न्यायालयों के अतिरिक्त होंगे । राज्य सरकार, प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के परामर्श से उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 के निबंधनों में एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगी । दाण्डिक मामलों और सिविल मामलों में ग्राम न्यायालय के किसी भी निर्णय, दण्डादेश या आदेश के विरूद्ध अपील का उपबंध उक्त अधिनियम की धारा 33 और 34 में किया गया है ।

(घ) और (ङ): न्याय विभाग द्वारा स्थापित ग्राम न्यायालय पोर्टल पर उच्च न्यायालयों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार, 17 जुलाई, 2023 तक देश में कार्यरत 269 ग्राम न्यायालयों ने अप्रैल 2023 से जुलाई, 2023 (17 जुलाई, 2023 तक) की अवधि के दौरान 15,405 मामलों का निपटारा किया गया हैं ।

ग्राम न्यायालय स्कीम का समय-समय पर मूल्यांकन किया गया है । 2019-2021 के दौरान नीति आयोग द्वारा आयोजित ग्राम न्यायालय स्कीम के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की सिफारिश के पश्चात्, सरकार ने 50 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ग्राम न्यायालय को वित्तीय सहायता के लिए सीएसएस 01.04.2021 से 31.03.2026 तक पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। तदनुसार, दिनांक 19.08.2021 को स्कीम के संशोधित दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं । सरकार के निदेशों के अनुसार, हाशिए पर रहने वाले ग्रामीण लोगों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान करने में एक संस्थान के रूप में इसकी प्रभावशीलता का आंकलन करने और इसके भविष्य पर निर्णय लेने के लिए ग्राम न्यायालयों के प्रदर्शन की एक वर्ष के बाद समीक्षा की जानी थी । परिणामस्वरूप, स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन का अधिनिर्णित किया गया है और जो वर्तमान में चल रहा है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 313
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का स्थानांतरण

313. डॉ. तालारी रंगैय्या :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अमरावती से कुरनूल स्थानांतरित करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : अमरावती प्रधान न्यायपीठ के साथ आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन स्थापित किया गया था और 01.01.2019 से कार्यरत है ।

फरवरी, 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अमरावती से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान सीट को कुरनूल न्यायपीठ मे स्थानांतरित अंतरित करने का प्रस्ताव किया है ।

उच्च न्यायालय की प्रधान सीट को स्थानांतरित करने का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से किया गया है । राज्य सरकार, राज्य के उच्च न्यायालय को चलाने के लिए व्यय करने के लिए उत्तरदायी है । जैसे संबधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन प्रशासन को चलाने के लिए उत्तरदायी है । वर्तमान मामले में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों को कुरनूल में उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने से संबंधित अपनी राय बनानी होगी और भारत सरकार को एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा । वर्तमान में सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 317
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

ई- न्यायालय परियोजना

317. श्री रघु राम कृष्ण राजू :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुशल तरीके से न्याय दिलाने के लिए 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के चरण-तीन की शुरुआत की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और
(ग) वर्ष 2014 से अब तक इसके अंतर्गत न्यायालय-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/खर्च की गई है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : संघ बजट 2023-2024 में, भारत सरकार ने 7000 करोड़ रु0 (लगभग) के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 घोषित किया है । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर, व्यय वित्त समिति ने 23.02.2023 को आयोजित अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से ई-न्यायालय चरण-3 को अनुमोदित किया है । इसके अतिरिक्त 21.06.2023 को आयोजित अपनी बैठक में प्रधान मंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ने भी कैबिनेट को अनुमोदन के लिए ई-न्यायालय चरण-3 की सिफारिश की है ।

(ग): ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना देश की जिला/अधीनस्थ न्यायालयों की अईसीटी सक्षमता के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना है जिसका उद्देश्य न्यायालय प्रक्रियाओं को शीघ्र करके और न्यायपालिका के साथ-साथ वादकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य पणधारियों को मामला प्रास्थिति, आदेशों/निर्णयों आदि पर जानकारी का पारदर्शी ऑनलाइन प्रवाह प्रदान करके मामलों के तेजी से निपटान की सुविधा प्रदान करना है । ई-न्यायालय चरण-2 (2011-15) का उद्देश्य न्यायालयों का आधारभूत कम्प्यूटराइजेशन और स्थानीय नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना था जिसके अधीन कुल 639.41 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था । परियोजना का चरण-2 (2015-23) 18735 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने और इन्हें वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएम) के साथ अंतर संबंधित करने के अतिरिक्त नागरिक-केंद्रित ई-सेवाओं पर केंद्रित है । परियोजना के चरण-2 में 1670 करोड़ रू0 के वित्तीय परिव्यय के सामने न्याय विभाग ने 31 मार्च 2022 तक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 1668.43 करोड़ रु0 जारी किए है । ई-न्यायालय चरण-1 और चरण-2 (न्यायालय-वार) के अधीन जारी की गई/उपयोग की गई निधियों के ब्यौरे क्रमशः **उपाबंध-1 और उपाबंध-2** पर संलग्न हैं ।

उपाबंध-1

ई-न्यायालय परियोजना से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 317 जिसका उत्तर 21/07/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण । ई-न्यायालय चरण-1 के अधीन जारी की गई निधि के ब्यौरे निम्नानुसार है :

ई-न्यायालय चरण 1 के अधीन जारी की गई निधि वर्ष-वार:

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रु0 में)
2004-05	103.05
2006-07	84.00
2008-09	25.90
2009-10	65.00
2010-11	97.50
2011-12	112.39
2012-13	83.51
2013-14	56.114
2014-15	9.947
2015-16	2.00
कुल	**639.41**

उपाबंध -2

ई-न्यायालय परियोजना से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 317 जिसका उत्तर 21/07/2023 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण। ई-न्यायालय चरण-2 (न्यायालय-वार) के अधीन जारी की गई/ उपयोग की गई निधि के ब्यौरे निम्नानुसार है :

क्र.सं	उच्च न्यायालय	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1	इलाहाबाद	31.14	31	20.88	21	21	20.3	8.07	7.96	15	14	13.8	10			109	104.1
2	आंध्र प्रदेश											1.96	0			1.96	0
3	बॉम्बे	30.39	30	38.25	38	47	47.2	0.52	0.52	0	0	8.86	8.9			125	125.2
4	कलकत्ता	12.14	10	9.17	8.4	11	1.9	0.13	0.08	0	0	4.93	0			37.1	20.3
5	छत्तीसगढ़	3.82	3.8	6.03	6	9.3	9.34	1.33	1.33	4.44	4.4	2.34	2.3			27.3	27.31
6	दिल्ली	5.87	5.9	5.41	5.4	9	8.95	3.54	3.54	0	0	3	2.9			26.8	26.62
7 (क)	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	0.59	0.6	4.33	4.3	1.4	1.36	2.85	2.82	0.98	1	1.52	1.5	1.3	1.2	12.9	12.69
7 (ख)	गुवाहाटी (असम)	5.19	5.2	25.47	25	8.1	8.13	8.7	8.22	13.7	13	6.11	1.8	3.5	3.5	70.8	65.65
7 (ग)	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.71	0.7	3.01	3	2.5	2.47	0.15	0.15	0.51	0.4	0.72	0.7	0.3	0.3	7.87	7.65
7 (घ)	गुवाहाटी नागालैंड)	0.77	0.8	2.31	2.1	1.8	1.83	0.71	0.71	0.7	0.3	0.83	0.2	0.8	0	7.99	5.92
8	गुजरात*	11.23	11	18.32	16	29	21.8	10.7	0.1	0	0	3.48	0.8			72.8	49.83
9	हिमाचल प्रदेश	1.79	1.8	3.21	3.2	4.1	4.03	0.13	0.13	0	0	2	1.8			11.2	10.94
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	1.84	1.8	5.29	5.3	11	10.6	0.26	0.26	0	0	1	1			19	18.98
11	झारखंड	3.2	3.2	5.09	5.1	2.9	2.92	4.53	4.53	5.53	0.4	2.98	0.5			24.3	16.57
12	कर्नाटक	11.86	12	17.43	17	22	21.9	0.61	0.61	9.15	8.9	4.29	4.2			65.4	64.9
13	केरल	5.53	5.5	8.32	8.3	15	13.3	4.61	4.61	0	0	2.83	1.2	1.6	0	37.6	32.95
14	मध्य प्रदेश	9.73	9.7	23.93	24	23	22.5	0.39	0.39	11.2	5.9	6.28	6.2			74.1	68.64
15	मद्रास	10.24	10	24.62	25	25	24.6	5.11	4.06	0	0	4.73	2.5			70.2	65.92
16	मणिपुर	0.53	0.5	4.24	3.7	1.2	0.49	0.65	0.63	0.61	0.4	1.3	0.2	0.8	0	9.27	5.87
17	मेघालय	0.19	0.2	3.26	2.9	3.7	3.33	0.62	0.61	0.92	0.1	2.32	0.4	2.2	0.7	13.2	8.11
18	ओड़िशा	7.57	7.6	7.71	7.7	13	12.5	1.59	1.48	13.5	13	3.37	3.3			46.4	45.63
19	पटना	8.04	8	26.41	26	8.7	8.3	0.13	0.07	7.08	6.5	5.44	5.3			55.8	54.54
20	पंजाब और हरियाणा	11.63	12	17.92	18	12	11.5	8.49	8.49	0	0	4.55	4.6			54.1	54.13
21	राजस्थान	9.97	10	23.04	23	25	25.1	3.01	3.01	1.29	1.3	10.6	11	1.6	1.6	74.6	74.54
22	सिक्किम	0.18	0.2	1.79	1.7	1.4	1.39	0.8	0.44	1.61	0.7	1.01	0.9	0.8	0	7.58	5.31
23	तेलंगाना एवं आंध्रप्रदेश**	13.9	14	14.31	9.8	34	23.8	8.13	0.13	0	0	0	0			70.3	
24	तेलंगाना															70.3	47.61
25	त्रिपुरा	1.2	1.2	4.38	4.4	2.9	2.86	1.77	1.77	2.24	2.2	4.44	3.8	1	0.7	1.79	0
26	उत्तराखंड	2.98	3	2.66	2.1	4.6	2.5	0.13	0.12	0	0	1.28	0.7			17.9	16.91
कुल		**202.2**	**200**	**326.8**	**317**	**348**	**315**	**77.7**	**56.8**	**88.4**	**73**	**108**	**76**	**14**	**7.8**	**1164**	**1045**

*गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रू0 अभ्यर्पित किए । कुल उपयोग में अभ्यर्पण निधियां सम्मिलित है ।

**तत्कालीन आंध्रप्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय को निधियां जारी की गई है, और दोनो राज्यों ने क्रमशः 58.42 के अनुपात में उपलब्ध निधिया साझा की है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 322
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में लंबित मामले

322. श्रीमती अपराजिता सारंगी :

श्री अशोक कुमार रावत :

श्री नव कुमार सरनीया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार देश के जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों की राज्य-वार और न्यायालय-वार अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे मामलों की संख्या को देखते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने कमजोर और हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 01.07.2023 तक, उच्चतम न्यायालय में 69,766 मामले लंबित थे। विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का विस्तृत विवरण क्रमशः, उपाबंध I और उपाबंध II पर है।

(ख), (ग) और (घ): उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों (2020 से आज तक) के दौरान लंबित मामलों का विस्तृत, तुलनात्मक विवरण **उपाबंध III** पर है। उच्च न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों (2020 से आज तक) के दौरान लंबित मामलों की संख्या में 7.45% की वृद्धि हुई है। जबकि पिछले तीन वर्षों (2020 से अब तक) के दौरान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों में 20.48% की वृद्धि हुई है। हालाँकि, न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। न्यायालयों में मुकदमों के निपटारे में सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती।

चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से जुड़े मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है। तारीख 31.05.2023 तक, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बच्चों आदि के विरुद्ध अपराधों के लिए 832 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को तेजी से निपटाने के लिए, नौ (9) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष न्यायालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त , केंद्रीय सरकार ने आईपीसी के अधीन बलात्कार के लंबित मामलों और पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (एफटीएससी) स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी है। आज तक, 28 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र इस योजना में सम्मिलित हो चुके हैं।

इसके अतिरिक्त , वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अधीन, वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए उचित बुनियादी ढांचे और विशेष न्यायिक मानव शक्ति के साथ समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। दिल्ली में 35 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय, मुंबई में 6 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय, कर्नाटक में 10 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय और बेंगलुरु ग्रामीण क्षेत्रों में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय और कोलकाता में 2 समर्पित वाणिज्यिक न्यायालय हैं। वर्तमान में सरकार के पास विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

इसके अतिरिक्त , सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई अन्य पहल की हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

i. न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कमरे के निर्माण के लिए न्याय वितरण में सहायता करने हेतु धन जारी किया जा रहा है, जिससे वकीलों और वादकारियों का जीवन आसान हो जाएगा। आज की तारीख तक, वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) की आरंभ के पश्चात से 10035 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस योजना के अधीन न्यायालय हॉलों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 तक 18,846 हो गई है ।

ii. इसके अतिरिक्त ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के अधीन , जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है । अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर

18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में WAN कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 जेलों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा सक्षम की गई है। वकीलों और वादियों को मामले की स्थिति से लेकर निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय /केस से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं तक सहायता की आवश्यकता के लिए न्यायालय परिसरों में 815 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं । 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया है और 408 करोड़ रुपये से अधिक की जुर्माने में वसूली की है। ई-न्यायालय का तीसरा चरण आरंभ होने वाला है, जिसमें सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ब्लॉक चेन को सम्मिलित करने का आशय है ।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई और 653 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 कर दी गई है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:. 1114 कर दी गई है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत न्यायाधीशों संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

तारीख को	स्वीकृत संख्या	कार्यरत
31.12.2013	19,518	15,115
14.07.2023	25,246	19,858

हालाँकि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना राज्य सरकारों और संबंधित उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित एक प्रस्ताव के अनुसरण में, पांच साल से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए सभी 25 उच्च न्यायालयों में बकाया समितियां स्थापित की गई हैं । जिला न्यायालयों के अंतर्गत भी बकाया समितियाँ गठित की गई हैं ।

v. लंबित मामलों को कम करने और न्यायालयों में रुकावटों को दूर करने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विशिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 और दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 जैसे विभिन्न विधियों में संशोधन किया है ।

vi. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया है । तदनुसार, 20 अगस्त, 2018 को वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन किया गया, जिससे

वाणिज्यिक विवादों के मामले में प्री-इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता और निपटान (पीआईएमएस) अनिवार्य हो गया । समय-सीमा निर्धारित करके विवादों के त्वरित समाधान में तेजी लाने के लिए माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किया गया है ।

vii. लोक अदालत आम लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय में या मुकदमे-पूर्व चरण में लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसले को सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व-निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक अदालतों में निस्तारित मामलों का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	मुकदमा-पूर्व मामले	लंबित मामले	कुल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023 (17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
योग	6,82,32,800	2,26,81,224	9,09,14,024

viii. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम आरंभ किया, जिसने ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श चाहने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने के लिए एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया ।

*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार विवरण

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले	% वार ब्यौरा	सलाह दी गई	% वार ब्यौरा
लिंग-वार ब्यौरा				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति वर्ग वार ब्यौरा				
साधारण	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
अ.पि.व.	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
अ.जा.	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
अ.जन.जा.	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
योग	45,81,912		44,66,376	

ix. देश में प्रो-बोनो संस्कृति और प्रो-बोनो वकालत को संस्थागत बनाने के प्रयास किए गए हैं । एक तकनीकी ढांचा तैयार किया गया है, जहां ऐसे स्वयं सेवा करने वाले अधिवक्ता नि:शुल्क कार्य के लिए अपना समय और सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से न्याय बंधु (एंड्रॉइड और आईओएस और ऐप्स) पर प्रो-बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएँ उमंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं । राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल आरंभ किया गया है । उभरते वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति स्थापित करने के लिए 69 चुने गए विधि स्कूलों में प्रो बोनो क्लब आरंभ किए गए हैं ।

(ङ) सरकार वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों को बढ़ावा देने में सबसे आगे रही है । वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए सक्षम विधिक कार्य ढांचा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 89 के अधीन प्रदान किया गया है । धारा 89 एडीआर के चार तरीकों को मान्यता देती है, अर्थात् माध्यस्थम्, सुलह, लोक अदालत और माध्यस्थम् के माध्यम से निपटान सहित न्यायिक निपटान । यह न्यायालय को इनमें से किसी भी तरीके से निपटान के लिए विवाद को संदर्भित करने का उपबंध करता है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते के तत्व विद्यमान हैं, जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते हैं ।

मध्यकता विधेयक, 2021, जिसे संसद में पेश किया गया है, खंड 7 के अधीन एक उपबंध निर्धारित करता है, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय , यदि उचित समझे तो, अन्य बातों के साथ-साथ समझौता योग्य अपराधों से संबंधित किसी भी विवाद को मध्यकता के लिए संदर्भित कर सकेगा । हालाँकि, ऐसी मध्यकता के परिणाम पर न्यायालय द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार आगे विचार किया जाएगा । अतः, मध्यकता विधेयक, 2021 के उपबंध उसमें निहित उपबंधों के अनुसार समनीय अपराधों के निपटान को सक्षम और मान्यता देते हैं ।

सरकार माध्यस्थम् और मध्यकता सहित एडीआर तंत्र को बढ़ावा दे रही है क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं । एडीआर तंत्र के उपयोग से न्यायपालिका पर बोझ कम होने की भी उम्मीद है और इससे देश के नागरिकों को समय पर न्याय मिल सकेगा । इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में की गई कुछ प्रमुख पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को घरेलू माध्यस्थम्, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम् और विदेशी पंचाटों के प्रवर्तन से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के साथ-साथ सुलह से संबंधित विधि और उससे आनुषंगिक विषयों को परिभाषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । माध्यस्थम् परिदृश्य में वर्तमान विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और माध्यस्थम् को एक व्यवहार्य विवाद समाधान तंत्र के रूप में सक्षम करने के लिए, भारतीय माध्यस्थम् विधि में वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं । माध्यस्थम् कार्यवाही का समापन, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को कम करना और माध्यस्थम् पंचाटों का प्रवर्तन करना ।

माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 शीघ्र, फास्ट ट्रैक और समयबद्ध माध्यस्थम् कार्यवाही, मध्यस्थों की तटस्थता और लागत प्रभावी वितरण तंत्र प्रदान करता है । इसके बाद संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देने और देश में तदर्थ माध्यस्थम् की हिस्सेदारी को कम करने के मुख्य उद्देश्य के साथ माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 लाया गया । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 34 को माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जो माध्यस्थम् पंचाटों के प्रवर्तन पर वहां बिना शर्त रोक लगाने का उपबंध करता है जहां अंतर्निहित माध्यस्थम् करार संविदा या माध्यस्थम् पंचाट धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित है, इसके अतिरिक्त भारतीय माध्यस्थम् परिषद को विनियमों द्वारा मध्यस्थों की मान्यता के लिए योग्यता, अनुभव और मानदंड निर्धारित करने की शक्ति दी गई है ।

प्री-इंस्टीट्यूशन मध्यकता और निपटान (पीआईएमएस) तंत्र प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था । इस तंत्र के

अधीन, जहां किसी विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद में कोई तत्काल अंतरिम अनुतोष अपेक्षित नहीं है,त वहां पक्षकारों को पहले न्यायालय पहुचने से पूर्व पीआईएमएस के समक्ष जाना अनिवार्य होगा ।

"पीपुल्स कोर्ट" की परंपरा में निहित, लोक अदालत की अवधारणा को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन कानूनी प्रास्थिति प्रदान की गई है । लोक अदालत किसी भी प्रकार के सिविल मामलों और आपराधिक शमनीय मामलों को ले सकती है, चाहे वे न्यायालय में लंबित हों या मुकदमापूर्व चरण में हों । लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है तथा किसी भी न्यायालय के समक्ष इस फैसले के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है । कोविड महामारी के दौरान, विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) ने नवीन रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया और ई-लोक अदालत आरंभ की जिससे पक्षकार न्यायालय स्थल पर आए बिना अपने मामले का समाधान कर सकते थे । ई-लोक अदालत प्रौद्योगिकी और वैकल्पिक विवाद समाधान ("एडीआर") तंत्रों के संयोजन से विवादों को निपटाने की एक प्रक्रिया है जो त्वरित, पारदर्शी और सुलभ विकल्प प्रदान करती है ।

(च) भारत सरकार द्वारा न्याय तक पहुंच पर "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना" नामक एक योजना आरंभ की गई है, जिसका उद्देश्य टेली-लॉ के माध्यम से मुकदमापूर्व सलाह और परामर्श को सुदृढ़ करना है: पहुंच से बाहर तक पहुंचना; न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम के माध्यम से प्रो बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने और अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए पैन-इंडिया डिस्पेंसेशन ढांचे को सुनिश्चित करना । यह योजना अपने हस्तक्षेप का समर्थन करने और समाज के गरीब और सबसे कमजोर वर्गों तक विधिक सेवाओं की आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और क्षेत्रीय / स्थानीय बोली में प्रासंगिक आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) सामग्री विकसित करने पर आधारित है। ये सभी सेवाएँ दलितों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों सहित सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 39क में उपबंध है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए वहां उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा । अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22(1) भी राज्य के लिए विधि के समक्ष समता और एक विधिक प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं जो सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देती है । विधिक सहायता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि संवैधानिक प्रतिज्ञा अक्षरशः पूरी हो और समाज के गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों को समान न्याय उपलब्ध कराया जाए ।

1987 में पूरे देश में एक समान पैटर्न पर विधिक सहायता कार्यक्रमों को कानूनी आधार देने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम अधिनियमित किया गया था । यह अधिनियम, अंततः, 9 नवंबर, 1995 को प्रवृत्त हुआ और 5 दिसंबर, 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) का गठन किया गया ।

प्रत्येक राज्य में केंद्रीय प्राधिकरण (एनएएलएसए) की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने और लोगों को विधिक सेवाएं प्रदान करने और राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाता है । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) का नेतृत्व राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं जो इसके संरक्षक-प्रमुख हैं । उच्च न्यायालय के एक सेवारत न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है ।

जिले में विधिक सहायता कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) का गठन किया जाता है । तालुक में विधिक सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करने और लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए प्रत्येक तालुक या मंडल या तालुक या मंडल के समूह के लिए तालुक विधिक सेवा समितियां भी गठित की जाती हैं ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति उनकी आय को विचार में लिए बिना निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार हैं;

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है;

(ख) संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यापार या बेगार का शिकार है;

(ग) एक स्त्री या बालक है;

(घ) दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 2 के खंड (न) में परिभाषित दिव्यांग व्यक्ति है;

(ङ) अनर्ह अभाव की दशाओं के अधीन व्यक्ति है, जैसे, बहुविनाश जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक संकट का शिकार है; या

(च) औद्योगिक कर्मकार है; या

(छ) अभिरक्षा में है, जिसके अंतर्गत अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी संरक्षण गृह में, या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) की धारा 2 के खंड (ञ) के अर्थ में किसी किशोर गृह में, या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) की धारा 2 के खंड (छ) के अर्थ में किसी मनश्चिकित्सीय अस्पताल या मनश्चिकित्सीय परिचर्या गृह में की अभिरक्षा भी है; या

(ज) विधिक सेवाओं के हकदार होने के लिए संसाधान परीक्षण के संबंध में धारा 12(ज) विनिर्दिष्ट करता है कि उपरोक्त उल्लिखित श्रेणियों से भिन्न संबंधित व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवाओं के हकदार होंगे यदि मामला उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष है तो 3,00,000 रुपए से अनधिक (कुछ राज्यों में रु. 1,00,000/- और रु. 1,50,000/-) और यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है 5,00,000 रुपए से अनधिक वार्षिक आय के रूप में प्राप्त कर रहा है ।"

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा) विनियम, 2010 अधिसूचित किया है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया है । उक्त विनियम कानूनी प्रकृति का होने के कारण समाज के उपरोक्त गरीब और कमजोर वर्ग

जैसे अनु.जा./अनु.जन.जा. के सदस्यों, महिलाओं, बच्चों आदि को हक प्रदान करता है । राज्य स्तर पर सरकार द्वारा एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किए जाते हैं । जहां तक विधिक सेवा अधिवक्ताओं का संबंध है, विधिक सेवा संस्थानों द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय सहित सभी स्तरों पर विधिक सहायता मामलों के लिए पैनल वकीलों को उन सभी व्यक्तियों की ओर से न्यायालय मामलों में मुकदमा चलाने या बचाव करने के लिए नियुक्त किया जाता है जो उपरोक्त उपबंधों के अनुसार विधिक सेवाओं के लिए पात्र हैं ।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 2 (ग) को परिभाषित करती है कि "विधिक सेवा" के अंतर्गत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष किसी मामले या अन्य विधिक कार्यवाही के संचालन में कोई सेवा करना और किसी वलिधिक विषय के संबंध में सलाह देना भी है । उक्त अधिनियम की धारा 4 और धारा 8 क्रमशः एनएएलएसए और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के कार्य को विहित करती है जबकि धारा 10 और धारा 11ख क्रमशः जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तालुक विधिक सेवा समितियों के लिए है ।

एनएएलएसए ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 4 (ख) के अधीन 10 योजनाएं तैयार की हैं, ताकि अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से आर्थिक या अन्य निम्नलिखित अक्षमताओं के कारण वंचित न किया जा सके:-

(क) एनएएलएसए (मानव दुर्व्यापार और वाणिज्यिक यौन शोषण से पीड़ित) योजना, 2015,

(ख) एनएएलएसए (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015,

(ग) एनएएलएसए (बालकों और उनके संरक्षण के लिए बाल मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं) योजना, 2015।

(घ) एनएएलएसए (मानसिक रोगी और मानसिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2015 ।

(ङ) एनएएलएसए (गरीबी उन्मूलन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन) योजना, 2015।

(च) एनएएलएसए (आदिवासी अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन) योजना, 2015 ।

(छ) एनएएलएसए (नशीली दवाओं के दुरुपयोग और नशीली दवाओं के खतरे के उन्मूलन के पीड़ितों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2015 ।

(ज) एनएएलएसए (वरिष्ठ नागरिक विधिक सेवा) योजना, 2016 ।

(झ) एनएएलएसए (एसिड हमलों के पीड़ितों को विधिक सेवा) योजना, 2016 ।

(ञ) एनएएलएसए (दिव्यांग बालकों के लिए विधिक सेवा) योजना, 2021 ।

****

उपाबंध 1

'न्यायालयों में लंबित' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 322, जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

15.07.2023 को उच्च न्यायालय में लंबित मामलों का उच्च न्यायालय-वार विस्तृत विवरण*		
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**लंबित मामलों की संख्या**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	1038489
2	बंबई उच्च न्यायालय	709267
3	राजस्थान उच्च न्यायालय	650234
4	मद्रास उच्च न्यायालय	553550
5	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	445213
6	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	443576
7	कर्नाटक उच्च न्यायालय	277907
8	तेलंगाना उच्च न्यायालय	253210
9	आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	246774
10	कलकत्ता उच्च न्यायालय	204531
11	पटना उच्च न्यायालय	203738
12	केरल उच्च न्यायालय	190175
13	गुजरात उच्च न्यायालय	165389
14	उड़ीसा उच्च न्यायालय	146137
15	दिल्ली उच्च न्यायालय	110693
16	हिमांचल प्रदेश उच्च न्यायालय	95168
17	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	91554
18	झारखंड उच्च न्यायालय	85606
19	गुवाहाटी उच्च न्यायालय	60980
20	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	47945
21	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	45093
22	मणिपुर उच्च न्यायालय	5038
23	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	1227
24	मेघालय उच्च न्यायालय	1138
25	सिक्किम उच्च न्यायालय	154
	कुल	**6072786**

*स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध 2

'न्यायालयों में लंबित मामलों' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 322, जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

15.07.2023 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों का राज्य-वार विस्तृत विवरण*		
क्र.सं.	**राज्य**	**लंबित मामलों की संख्या**
1	**उत्तर प्रदेश**	11604842
2	**महाराष्ट्र**	5098211
3	**बिहार**	3501247
4	**पश्चिमी बंगाल**	2901756
5	**राजस्थान**	2265986
6	**मध्य प्रदेश**	2008754
7	**कर्नाटक**	1916866
8	**केरल**	1879849
9	**गुजरात**	1683883
10	**हरियाणा**	1532073
11	**ओडिशा**	1519857
12	**तमिलनाडु**	1471478
13	**दिल्ली**	1227453
14	**पंजाब**	916266
15	**तेलंगाना**	907280
16	**आन्ध्र प्रदेश**	846873
17	**हिमाचल प्रदेश**	537048
18	**झारखंड**	524360
19	**असम**	464851
20	**छत्तीसगढ़**	407859
21	**उत्तराखंड**	335360
22	**जम्मू-कश्मीर**	316596
23	**चंडीगढ़**	82417
24	**गोवा**	56743
25	**त्रिपुरा**	45322
26	**पुडुचेरी**	34108
27	**मेघालय**	15971
28	**मणिपुर**	12557
29	**अंदमान और निकोबार**	8742
30	**मिजोरम**	5800
31	**दादर नागर हवेली सिलवासा**	4048
32	**नागालैंड**	3361
33	**दीव और दमण**	3058
34	**सिक्किम**	1816
35	**अरुणाचल प्रदेश**	1387
36	**लद्दाख**	1205
	कुल	**44145283**

*स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)

उपाबंध 3

'न्यायालयों में लंबित मामलों' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 322, जिसका उत्तर 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

*स्रोत्र: भारत का उच्चतम न्यायालय

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का विस्तृत तुलनात्मक विवरण							
क्र.सं.	**वर्ष**	**न्यायालय का नाम**					
		उच्चतम न्यायालय*	**% बढ़ोतरी/ कमी**	**उच्च न्यायालय****	**% बढ़ोतरी/ कमी**	**जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय ****	**% बढ़ोतरी/ कमी**
1	2020	65,086 (01.01.2021 को)		56,42,567		3,66,39,436	
2	2021	70,239 (01.01.2022 को)	7.9%	56,49,068	0.11%	4,05,79,062	10.75%
3	2022	69,768 (01.01.2023 को)	(-) 0.67%	59,78,714	5.83%	4,32,09,164	6.48%
4	वर्तमान	69,766 (01.07.2023 को)	(-) 0.02%	60,62,953 (14.07.2023 को)	1.40%	4,41,45,249 (14.07.2023 को)	2.16%

**स्रोत्र: राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 351
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

त्वरित न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान

351. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर :

श्री गजानन कीर्तिकर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में त्वरित न्यायालयों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना जैसे विभिन्न कदम उठाने के बाद भी बड़ी संख्या में मामले अभी भी लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) त्वरित न्यायालयों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना से लेकर अब तक उनके द्वारा निपटाए गए मामलों का राज्य-वार और न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का और अधिक न्यायालयों की स्थापना करके तथा मौजूदा न्यायालयों में और अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करके लंबित मामलों का यथाशीघ्र निपटान करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव तथा महाराष्ट्र सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए सरकार द्वारा अन्य और क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : देश में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) और ग्राम न्यायालयों सहित अदालतों की स्थापना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालय स्थापित करती हैं। 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने 2015-2020 के दौरान कुल 1800 एफटीसी की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसमें जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांगों, टर्मिनल रोग से संक्रमित व्यक्तियों और संपत्ति से संबंधित सिविल मामलों की सुनवाई के लिए संबंधित मामले 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। त्वरित निपटान न्यायालय ने आगे राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए कर हस्तांतरण (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए वित्तीय स्थान का उपयोग करने का आग्रह किया था। संघ सरकार ने राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसी की स्थापना के लिए निधि आवंटित करने का भी आग्रह किया है। इस संबंध में, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों ने 31.05.2023

तक 832 एफटीसी स्थापित किए हैं। पिछले तीन वर्षों और मई, 2023 तक दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव और महाराष्ट्र सहित इन न्यायालयों में एफटीसी की कार्यप्रणाली, निपटाए गए और लंबित मामलों का विवरण **उपाबंध-1** में दिया गया है।

आपराधिक विधिक (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार बलात्संग और पोक्सो अधिनियम के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए 1023 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसमें 389 विशेष लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण (ई-पॉक्सो) न्यायालय सम्मिलित हैं । स्कीम , प्रारंभ में, दो वित्तीय वर्षों 2019-20 और 2020-21 में फैली एक वर्ष की अवधि के लिए थी। स्कीम की कुल लागत 767.25 करोड़ रुपये थी, जिसमें 474.00 करोड़ रुपये केंद्रीय भागीदारी के रूप में निर्भया फंड से वित्त पोषित किए जाएंगे। स्कीम का तृतीय पक्ष मूल्यांकन राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा किया गया था जिसने स्कीम को 2 और वर्षों तक जारी रखने की सिफारिश की थी। मंत्रिमंडल ने केंद्रीय भागीदारी के रूप में 971.70 करोड़ रुपये सहित 1572.86 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ स्कीम को 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी। उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्र में 412 विशिष्ट पॉक्सो अदालतों सहित 758 एफटीएससी कार्यरत हैं, जिन्होंने 1,69,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है, जबकि 31 मई, 2023 तक इन अदालतों में 1,95,797 मामले लंबित हैं। पिछले 3 वर्षों से मई 2023 तक महाराष्ट्र सहित इन अदालतों में एफटीएससी की कार्यप्रणाली, निपटाए गए और लंबित मामलों का विवरण **उपाबंध-2** में दिए गए हैं। 29 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों इस स्कीम में सम्मिलित हो गए हैं। 22 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में, एफटीएससी पूरी तरह से प्रकार्यात्मक हैं, 7 राज्यों में, एफटीएससी आंशिक रूप से चालू हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश और अंदमान-निकोबार द्वीप समूह को अभी भी इस स्कीम में सम्मिलित होना बाकी है। स्कीम की शुरुआत से 31.03.2023 तक राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को 633.70 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

मामलों का निपटान विशेष रूप से न्यायपालिका के क्षेत्र में है। इस मामले में केंद्रीय सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है. तथापि, सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के समय पर निपटान के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, जो इस प्रकार हैं: -

(i) न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10065.00 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है।
(ii) इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 819 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित

जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 18 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 30.06.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.26 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 419.89 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को शामिल करने का आशय रखता है।

(iii) सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 18.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 58 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है:

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
10.07.2023	25,245	19870

तथापि,अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है।

(iv) अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है।

(v) निर्वाचित सांसदों/विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए, नौ (9) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में दस (10) विशेष अदालतें कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार ने आईपीसी के अधीन बलात्संग के लंबित मामलों और पॉक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालय (एफटीएससी) स्थापित करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। आज तक, 29 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं।

(vi) लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

(vii) वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार , तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(viii) लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और

बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	6,82,32,800	2,26,81,224	9,09,14,024

(ix) सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

<u>*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा</u>

जून, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	11,46,046	33.43	11,23,504	33.49
पुरुष	22,82,642	66.57	22,31,041	66.51
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	7,31,346	21.33	7,12,646	21.24
ओबीसी	10,08,050	29.40	9,83,336	29.31
एससी	10,86,611	31.69	10,66,037	31.78
एसटी	6,02,681	17.58	5,92,526	17.66
कुल	**34,28,688**		**33,54,545**	

(x) देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं। प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 22 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं।

****

उपाबंध ।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 351 जिसका उत्तर 21/07/2023 को दिया जाना है, के लिए उपाबंध ।

मई 2023 तक पिछले तीन वर्षों के लिए इन न्यायालयो में एफटीसी कार्यात्मकता, निपटाए गए मामले और लंबित मामलों का विवरण

		2020			2021			2022			2023		
क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	एफटीसी (31 दिसम्बर के अनुसार)	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	लम्बित मामले (31 दिसम्बर के अनुसार)	एफटीसी (31 दिसम्बर के	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	लम्बित मामले (31 दिसम्बर के अनुसार)	एफटीसी (31 दिसम्बर के	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	लम्बित मामले (31 दिसम्बर के अनुसार)	एफटीसी (31 मई के	निस्तारित मामले (31 मई के	लम्बित मामले (31 मई के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	21	1177	10069	21	312	10069	22	1446	6855	22	1111	7200
2	अंद्मान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7	181
4	असम	14	2615	10108	16	3780	9356	16	7413	10750	16	3160	11518
5	बिहार	33	1759	58636	0	1603	69792	0	0	0	0	0	0
6	चंडीगढ़		0		0			0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	23	2877	15310	23	5324	17779	23	4158	5330	23	1519	5050
8	दादरा एवं नागर हवेली		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	5	393	40733	7	223	48520	10	1019	4057	6	400	2788
10	दीव और दमन	0	0		0			0	0	0	0	0	0
11	गोवा	0	130	0	0	59974	0	4	7114	2215	4	2789	2286
12	गुजरात	0	462	33560	35	37102	35335	54	3784	6791	54	2652	6527
13	हरियाणा	5	825	58511	6	899	65337	6	433	873	6	235	791
14	हिमाचल प्रदेश	0	0	15618	0	5	5102	3	313	497	1	40	226
15	जम्मू एवं कश्मीर	1	27	0	4	391	0	4	54	686	5	15	1071
16	झारखंड	40	624	14507	6	861	19371	34	2417	7836	34	965	7916
17	कर्नाटक	13	210	38365	18	2051	39458	0	1257	0	0	0	0
18	केरल	23	217	100479	28	2333	114020	0	1650	0	0	0	0
19	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	2	1	15584	0	0	25769	1	59	193	0	0	0
22	महाराष्ट्र	116	63470	52079	110	114254	67315	111	118311	158149	97	101446	137903
23	मणिपुर	6	45	634	6	73081	634	6	316	360	6	121	309
24	मेघालय	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
25	मिजोरम	2	179	0	2	1758	0	2	221	223	2	111	219
26	नागालैंड	1	3	66	0	3	153	0	0	0	0	0	0
27	ओडिशा	0	0	39670	19	234	44689	0	304	0	0	0	0
28	पुदुचेरी	0	0	1535	0	0	1452	0	0	0	0	0	0
29	पंजाब	7	85	52198	7	471	85061	7	248	255	7	115	225
30	राजस्थान	0	0	44222	0	32	46048	0	0	0	0	0	0
31	सिक्किम	2	5	188	2	5	195	2	20	14	2	5	14
32	तमिलनाडु	73	9389	29970	74	7865	32519	73	24993	107346	72	10503	92344

33	तेलंगाना	29	1525	15469	35	2849	18095	0	2645	0	0	0	0
34	त्रिपुरा	11	100	2551	11	347	3604	3	386	1393	3	71	1417
35	उत्तर प्रदेश	389	148466	413176	376	86013	396462	372	333049	1086490	372	403331	1221761
36	उत्तराखंड	4	170	15119	4	215	15997	7	554	1532	4	166	923
37	पश्चिमी बंगाल	87	5202	0	88	3172	1166	88	21065	72824	88	21761	77517
	कुल	**907**	**239956**	**1078357**	**898**	**405168**	**1173298**	**848**	**533229**	**1474669**	**832**	**550523**	**1578186**

उपाबंध 2

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयो की स्थिति (31.05.2023 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रकार्यात्मक न्यायालय		स्कीम की शुरुआत के बाद से संचयी निपटान			महीने के अंत में लंबित मामलों की संख्या			संचयी लंबित मामले
		ईपॉक्सो सहित एफटीएससी	ईपॉक्सो	एफटीएस	ईपॉक्सो	कुल	एफटीएस		ईपॉक्सो	
							बलात्संग	पॉक्सो		
पूरी तरह प्रकार्यात्मक										
1	छत्तीसगढ	15	11	547	2976	3523	107	400	1987	2494
2	गुजरात	35	24	1647	6598	8245	624	722	5181	6527
3	मिजोरम	3	1	95	30	125	7	32	24	63
4	नागालैंड	1	0	48	3	51	2	53	0	55
5	झारखंड	22	16	1651	2997	4648	634	564	3158	4356
6	मध्य प्रदेश	67	57	2865	15897	18762	2360	156	8806	11322
7	मणिपुर	2	0	95	0	95	12	106	0	118
8	हरियाणा	16	12	1117	3053	4170	291	726	2899	3916
9	चंडीगढ़	1	0	171	0	171	69	148	0	217
10	राजस्थान	45	30	3154	7126	10280	202	1198	5470	6870
11	तमिलनाडु	14	14	0	5178	5178	0	0	5036	5036
12	त्रिपुरा	**3**	1	108	125	233	151	45	106	302
13	उत्तर प्रदेश	218	74	23559	21429	44988	6422	24610	48758	79790
14	उत्तराखंड	4	0	1138	0	1138	322	599	0	921
15	दिल्ली	16	11	347	702	1049	1218	0	3151	4369
16	मेघालय	5	5	0	290	290	0	0	1013	1013
17	जम्मू - कश्मीर	**4**	2	63	63	126	188	0	252	440
18	पंजाब	12	3	1238	1488	2726	426	613	511	1550
19	हिमाचल प्रदेश	6	3	195	553	748	150	356	421	927
20	कर्नाटक	31	17	1890	4775	6665	2326	0	3008	5334
21	तेलंगाना	36	0	4047	2731	6778	205	7864	0	8069
22	पुदुचेरी	1	1	0	0	0	0	0	209	209
आंशिक रूप से प्रकार्यात्मक										
23	आंध्र प्रदेश	16	16	0	2729	2729	0	0	7277	7277
24	असम	17	17	0	3566	3566	0	0	4557	4557
25	बिहार	45	45	0	7533	7533	0	0	16013	16013
26	गोवा	1	1	0	30	30	0	0	44	44
27	केरल	53	14	8880	3990	12870	1066	4086	1775	6927
28	महाराष्ट्र	30	14	5439	8887	14326	688	2497	2632	5817
29	ओडिशा	39	23	2827	5472	8299	770	2570	7924	**11264**
गैर-प्रकार्यात्मक										
30	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	अंद्मान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**758**	**412**	**61121**	**108221**	**169342**	**18240**	**47345**	**130212**	**195797**

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 366
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायिक प्रणाली में सुधार हेतु योजनाएं

366. श्री सत्यदेव पचौरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान न्यायिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा क्या हैं;
(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रत्येक योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधियों का योजना-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : 366 लोक सभा

(क) से (घ) : न्याय विभाग न्यायिक तंत्र में सुधार के लिए न्यायिक अवसंरचना के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), ग्राम न्यायालय, त्वरित निपटान विशेष न्यायालय और ई-न्यायालयों की केन्द्रीय सेक्टर योजना लागू कर रहा है, लेकिन ये सभी योजनाएं तीन वर्ष से अधिक पुरानी हैं ।

तीन वर्षों की अवधि के दौरान, न्याय विभाग ने पांच वर्षों (2021-2026) की अवधि के लिए, कुल 250 करोड़ रुपए बजट के साथ "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए परिवर्तनकारी समाधान डिजाइन करना" शीर्षक से न्याय तक पहुंच योजना प्रारंभ की है । इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के प्रयोग से विधिक सेवाओं की नागरिक-केन्द्रित डिलिवरी प्रदान करना है । इसमें तीन घटक हैं, जिसमें टेली-ला : जमीनी स्तर तक विधिक सहायता को मुख्य धारा में लाना ; न्यायबंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) और अखिल भारतीय विधिक साक्षरता तथा विधिक साक्षरता कार्यक्रम शामिल हैं । टेली-ला का उद्देश्य नागरिकों और पैनल अधिवक्ताओं के बीच मुकद्दमेबाजी-पूर्व सलाह और परामर्श को मजबूत करना है । टेली-ला सेवा देशभर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध है । यह टेली-ला नागरिक मोबाइल ऐप (एन्ड्रॉइड और आईओएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध) और उमंग पोर्टल पर

भी उपलब्ध है । 30 जून, 2023 तक टेली-ला ने 46 लाख लाभार्थियों को सलाह देने में सक्षम बनाया ।

न्यायबंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) कार्यक्रम प्रो बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत में केन्द्रीकृत वितरण ढांचा उत्पन्न करता है । इसका उद्देश्य न्यायबंधु मोबाइल ऐप (एन्ड्रॉइड और आईओएस प्लेटफार्म पर उपलब्ध) और उमंग पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत हिताधिकारियों से जोड़ना है । 30 जून, 2023 तक 10,241 वकीलों ने न्यायबंधु कार्यक्रम में नामांकन कराया है । प्रो बोनो क्लब, प्रो बोनो विधिक सेवा के साथ युवा विधिक सोच की शिक्षा देने के लिए पूरे देशभर में 69 विधिक स्कूल प्रारंभ किए हैं ।

इसके अतिरिक्त, नागरिकों को विधिक रूप से सशक्त करने के लिए, न्याय विभाग ने विभिन्न राज्य अभिकरणों और राष्ट्रीय विधिक स्कूलों आदि के माध्यम से पूरे भारत में विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम लागू किया है । विधिक साक्षरता की विभिन्न पहलों और इसके अधीन लागू किए जा रहे विधिक जागरूकता कार्यक्रमों (ऑनलाइन और भौतिक दोनों मोड) से लगभग 4 लाख प्रतिभागियों को लाभ हुआ है ।

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में, टेली-ला सेवा 19,560 सामान्य सेवा केन्द्रों पर परिचालित है और 30 जून, 2023 तक 75 जिलों में 8 लाख हिताधिकारियों को सलाह देने में सक्षम है । 30 जून, 2023 तक 649 वकील न्यायबंधु कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और 6 विधि महाविद्यालय प्रो बोनो क्लब का गठन किया है । इसके अतिरिक्त, डीओजे उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में लिंग आधारित हिंसा से संबंधित मुद्दों पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिनमें प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी, प्रतापगढ़, अलीगढ़ और बुलंदशहर शामिल हैं । यह परियोजना नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । जागरूकता कार्यक्रम विभिन्न विषयों, जैसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, 2013, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, कन्या भ्रूण हत्या, बाल यौन अपराध, दहेज हत्या, क्रूरता आदि, पर आयोजित किए गए । 2021 से, ग्रामीणों, विधि प्रवर्तन अभिकरणों, महाविद्यालयों और स्कूलों के छात्रों सहित 860+ प्रतिभागियों को विभिन्न विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के अधीन कवर किया गया है ।

दिशा योजना के अधीन, वित्तीय वर्ष 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के दौरान 87 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए और 48.15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिनमें से संबंधित वर्ष में 87 करोड़ रुपए, 39.96 करोड़ रुपए और 48.15 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *121
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठों के समक्ष लंबित

***121. एडवोकेट ए.एम.आरिफ़ :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि देश की विधिक प्रणाली पर गंभीर प्रभाव डालने वाले अनेक मामले उच्चतम न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों के समक्ष लम्बे समय से लंबित हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों के नाम, संविधान पीठ का प्रकार और लंबित मामलों की अवधि क्या हैं;
(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त मामलों के लंबित होने का कारण, उन्हें तेजी से निपटाए जाने में रुचि न दिखाना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की संभावना है; और
(घ) उच्चतम न्यायालय की स्थापना के उपरांत आज तक इसकी, संवैधानिक न्यायपीठों द्वारा सुने गए और निपटाए गए मामलों की दशके वार सूची क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

****

'उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठों के समक्ष लंबित मामले' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*121 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

(क) और (ख): मामलों का न्याय निर्णयन और निपटान न्यायपालिका के विशेष क्षेत्र में है । केंद्रीय सरकार की उक्त मामले में कोई भूमिका नहीं है । तथापि, भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20.07.2023 तक, संविधान न्यायपीठ मामलों के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए 29 मुख्य मामले लंबित थे । इन 29 मामलों में से, 18 मामले 5-न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष लंबित हैं, 6 मामले 7-न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष लंबित हैं और 5 मामले 9-न्यायाधीशों की न्यायपीठ के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं । उपरोक्त उल्लिखित मामलों का विस्तृत विवरण **उपाबंध-1** पर दिया गया है ।

(ग) : जी नहीं, यह नहीं कथन किया जा सकता कि संविधान न्यायपीठ के मामलों के लंबित रहने का कारण इन्हें शीघ्र निपटाने में रुचि की कमी है । उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संविधान न्यायपीठ के मामलों के संबंध में विधि के जटिल मुद्दे सम्मिलित होते हैं और बहस को हफ्तों से लेकर महीनों तक कई दिनों तक संबोधित किया जाता है । उक्त मुद्दों पर गहन विश्लेषण और विधि की गहन जांच की अपेक्षा की जाती है । अत:,ऐसे मामलों के न्यायनिर्णयन के संबंध में कठोर मानदंड और समयसीमा निर्धारित करना संभव नहीं है ।

जहां तक इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई का सवाल है, मामलों का न्यायनिर्णयन और शीघ्र निपटान न्यायपालिका के विशेष क्षेत्र में है और सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है ।

(घ) : उच्चतम न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1950 से 2023 तक, इसकी स्थापना से लेकर आज तक, उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठों द्वारा सुने गए और निपटाए गए मामलों की दशक-वार विस्तृत सूची **उपाबंध-2** पर दी गई है ।

****

उपाबंध-1

'उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठों के समक्ष लंबित मामले' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*121 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

क्र. सं.	आरंभ से संस्थित/ लंबित मामला संख्या वर्ष	कारण शीर्ष	जुड़े हुए मामलों की संख्या
5-माननीय न्यायाधीशों की न्यायपीठ के लंबित मामलों की सूची			
1	सि.अ.सं 841/2018 आदि.	मैसर्स बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस क.लिमि. बनाम रंभा देवी और अन्य।	(+75)
2	सि.अ.सं 9486-9487/2019	रेलवे विद्युतीकरण के लिए केंद्रीय संगठन बनाम मैसर्स ईसीआई, एसपीआईसी, एसएमओ, एमसीएमएल (जेवी), एक संयुक्त उद्यम कंपनी।	(+3)
3	रि.या.© संख्या.. 1099/2019 मुख्य रि.या.© संख्या.. 1013/2019	संविधान के अनुच्छेद 370 बनाम ----: के विषय में	(+22)
4	रि.या.© संख्या.. 887/2021	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ और अन्य ।	
5	रि.या.© संख्या.. 546/2000	अशोक कुमार जैन बनाम यू.ओ.आई।	(+9)
6	रि.या.© संख्या.. 562/2012 मुख्य मामला रि.या.(सि) संख्या.. 274/2009 है	असम संमिलिता महासंघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।	(+16)
7	आप.अपी.संख्या.. 1003/2017	प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य।	
8	एसएमडब्लू.(आप.) संख्या.. 1/2022	मृत्यु दंड अधिरोपित करते समय विचार की जाने वाली संभावित शमन परिस्थितियों के बारे में दिशानिर्देश तैयार करना: के विषय में।	
9	सि.अ.सं 7513/2005	एपी और अन्य राज्य बनाम बी. अर्चना रेड्डी और अन्य।	(+18)
10	आप.अपीसंख्या.. 451/2019	सीता सोरेन बनाम भारत संघ।	
11	सि.अ.सं 9228/2022	हरिहरन और अन्य बनाम हर्षवर्धन सिंह राव और अन्य।	(+2)
12	सि.आरएल.अ. संख्या.. 375/2006	भारत संघ और अन्य बनाम प्रीति अग्रवाल।	(+6)
13	वि.(सि) संख्या.. 2755/2008 आदि (मुख्य मामला वि. (सि) संख्या. 3660/2008) है	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाम शैल मित्तल और अन्य।	(+5)
14	रि.या.(सि) संख्या.. 36/2016	वी. वसंतकुमार बनाम एच.सी. भाटिया और अन्य	
15	रि.या.(सि) संख्या..222/2018 मुख्य मामला रि.या. (सि) संख्या.. 202/2018 है	समीना बेगम बनाम भारत संघ और अन्य।	(+9)
16	वि. (सि) संख्या.. 804/2017 ईसीआरटी .	कर्मण्य सिंह सरीन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।	(+3)
17	सि.अ. संख्या..16879/1996	पश्चिमी बंगाल राज्य और अन्य बनाम पश्चिमी बंग, बी.के. और अन्य	(+23)
18	सि.अ.सं 37/1992	अभिराम सिंह बनाम सीएस कोमाचेन (मृत) एलआर और ओआरएस द्वारा।	(+1)
लंबित 7-माननीय न्यायाधीशों की न्यायपीठ के मामलों की सूची			
1	सि.अ.सं 8763/1994	अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।	(+10)
2	रि.या.(आप.) संख्या.. 206-210/2003	एन. रवि और अन्य बनाम विधानसभा अध्यक्ष, चेन्नई और अन्य।	(+1)

3	सि.अ.सं 2286/2006	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा बनाम नरेश अग्रवाल और अन्य के माध्यम से।	(+9)
4	सि.अ.सं 2317/2011 ईटी सि.	पंजाब राज्य और अन्य बनाम देविंदर सिंह और अन्य।	(+21)
5	सि.अ.सं 8588/2019 ईटी सि.	रोजर मैथ्यू बनाम दक्षिण इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य।	(+21)
6	रि.या.(सि) संख्या.. 493/2022	सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल और अन्य.	(+5)
9 माननीय न्यायाधीशों की न्यायपीठ के लंबित मामलों की सूची			
1	सि.अ.सं 1012/2002	संपत्ति मालिक संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य	(+15)
2	सि.अ.सं 151/2007	यू.पी. और अन्य राज्य। बनाम मेसर्स लालता प्रसाद वैश्य	(+27)
3	सि.अ.सं 4056-4064/1999	खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि। बनाम मैसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ओआरएस.	(+81)
4	सि.अ.सं 897/2002	यूपी राज्य बनाम जय बीर सिंह	(+46)
5	आर.या.(सि) संख्या.. 3358/2018 रि.या.(सि) में संख्या.. 373/2006	कांतारू राजीवारू बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन अपने महासचिव सुश्री भक्ति पसरीजा और अन्य के माध्यम से।	(+66)

स्रोत:- भारत का उच्चतम न्यायालय

उपाबंध-2

'उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठों के समक्ष लंबित मामले' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या*121 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

क्र. सं.	अवधि	संविधान न्यायपीठ के निपटाए गए मामलों की संख्या
1	1950-1959	440
2	1960-1969	956
3	1970-1979	292
4	1980-1989	110
5	1990-1999	157
6	2000-2009	138
7	2010-2019	71
8	2020-2023	19
	कुल	**2,183**

स्रोत:- भारत का उच्चतम न्यायालय

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *131
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कानूनी सहायता

***131. श्री ज्ञानेश्वर पाटिल :**

श्री नायब सिंह सैनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश और हरियाणा में न्यायालयों के बेहतर कार्यकरण के लिए कानूनी विशेषज्ञता का डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ समावेशन करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या खण्डवा और कुरुक्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में आम लोगों और ग्रामीण उद्यमियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कोई डिजिटल प्लेटफार्म शुरू किया गया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) उक्त डिजिटल प्लेटफार्म कितना प्रभावी है और भविष्य में इस तक पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से कानूनी सहायता' से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*131 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) और (ख) : जी हां । मध्य प्रदेश राज्य और हरियाणा राज्य में न्यायालयों के बेहतर कार्यकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के साथ विधिक विशेषज्ञता के एकीकरण के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं ।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने न्यायालय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) साफ्टवेयर विकसित किया है । सीएमआईएस साफ्टवेयर न्यायालयवार और न्यायाधीशवार मामलों की प्रकृति और उनके निपटारे के संबंध में समयोचित डाटा प्रदान करता है । यह समयोचित डाटा जिला न्यायालयों के समन्वय से अनुरक्षित किया जाता है । जिला न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित सिविल/दांडिक मामलों के बैकलोग को समाप्त करने में मामलों की स्तरित सूचना सहायता करती है जो अपील/पुनरीक्षण या रिट याचिका आदि में उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेशों के कारण रुके रहते हैं । नई सूचीकरण नीति आरंभ की गई, जिसके अधीन उचित अद्यतनीकरण के साथ सूचीबद्ध करने के लिए संबंधित सूचीकरण पदधारी और रजिस्ट्री पदधारी सूचीकरण के लिए अभिलेख तैयार करते हैं तथा संबंधित न्यायालयों को मामले की फाइलों के समय पर संचलन भी सुनिश्चित करते हैं । साफ्टवेयर के उपयोग ने विधिक कृत्यकारियों के कार्यभार को कम किया है तथा उनकी कार्यक्षमता को अनुकूलतम किया है ।

सभी कर्तव्यधारकों के समय के उचित उपयोग ने महाअधिवक्ता के कार्यालय को मामलों में केस डायरियां प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने के लिए सुकर बनाया गया, जिससे जमानत आवेदनों में समान अपराध संख्या से उद्भूत मामलों के संबंध में विनिर्दिष्ट निदेश दिए गए तथा विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों/आवेदकों द्वारा फाइल किए गए उसी निर्णय से उद्भूत विषयों में आदेशों को समय पर संसूचित किया गया । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय का न्यायिक अनुभाग ई-मेमो प्रणाली का उपयोग कर रहा है जिसके अधीन मेमो को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाता है और पक्षकारों को उनकी ई-मेल आईडी पर भेज दिया जाता है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक द्विभाषी (हिन्दी-अंग्रेजी) मोबाइल एप, एंडरायड तथा आईओएस पर विकसित किया है जिसमें ई-डिस्प्ले बोर्ड, निर्णय/आदेश, मामला प्रास्थिति, हेतुक सूची, कोपी, केवियट, त्रुटियां/व्यतिक्रम, मेरी डायरी, फ्री टैक्सट सर्च, फीडबैक फेसिल्टी, आनलाईन पेमेंटस, वीडियो कांफ्रेसिंग फेसिल्टी, आईएलआर फेसल्टी और पुश नोटिफिकेशन आदि जैसी विशेषताएं है । मोबाइल एप के वर्जन 2.0 में मध्य प्रदेश के जिला न्यायालयों और तहसील न्यायालयों मामले से संबंधित सूचना भी है । प्रौद्योगिकीय मध्यक्षेप के कारण बेहतर न्याय प्रशासन सुनिश्चित करते हुए भौतिक मध्यक्षेप न्यूनतम हो गया है ।

हरियाणा राज्य में विधिक सेवा प्रबंधन प्रणाली (एलएसएमएस) पूर्णतः प्रचालनीय है । उक्त पोर्टल के माध्यम से प्राप्त विधिक सहायता /समर्थन आवेदन रजिस्ट्रीकृत किए जाते है और आवश्यक कार्रवाई के लिए, यथास्थिति, संबंधित उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति /डीएलएसए को अग्रेषित किए जाते हैं । आवेदन पर की गई कार्रवाई पोर्टल पर अद्यतन की

जाती है तथा आवेदनों का निपटारा कर दिया जाता है । इसी प्रकार त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए तथा अनावश्यक विलंब को कम करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग तथा ई-लोक अदालत के माध्यम से ई-मध्यस्थता हरियाणा राज्य में पहले ही आरंभ कर दी गई है ।

(ग) से (ङ) : डिजिटल इंडिया के अधीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कामन सर्विस सेंटर (सीएससी) के समर्थन से तृणमूल स्तर पर पूर्व मुकद्दमा सलाह प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से सन् 2017 में टैली विधि पहल आरंभ की । सीएससी ग्राम स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा चलाए जाते है जो पंचायत से स्थानीय व्यक्ति होते है जो ग्रामवासियों को सरकार की विभिन्न आनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में सहायता और समर्थन करते है । ये सीएससी ग्राम पंचायत स्तर पर अवस्थित हैं तथा एक ई-इंटरफेस प्लेटफार्म प्रदान करते हैं जो टैली/वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधाओं के माध्यम से तथा टैली ला सिटीजन मोबाइल एप्लीकेशन (एंडरायड, आईओएस और उमंग प्लेटफार्म पर उपलब्ध) द्वारा नागरिकों और पैनल अधिवक्ताओं को जोड़ता है । टेली-ला सेवा वर्तमान में देश में 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में प्रचालन में है ।

वर्तमान में जिला खंडवा (मध्य प्रदेश) में 349 सीएससी टैली-ला सेवा प्रदान कर रहे है तथा टैली-ला के अधीन 11,999 लाभार्थियों को सेवा प्रदान की गई है । जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा) में 218 सीएससी ने 4799 लाभार्थियों को टैली-ला सेवा उपलब्ध कराई है ।

इसके अतिरिक्त, देशभर में विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नालसा ने विभिन्न डिजिटल पहलें की हैं । आनलाईन विधिक सहायता आवेदनों को फाइल करने के लिए वेबपोर्टल और मोबाइल एप सृजित किए गए हैं । वेब पोर्टल का प्रयोग www.nalsa.gov.in पर किया जाता है और यह दस भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, तेलुगू, तमिल, मलयालम, गुजराती, बंगाली, ओडिया और कन्नड़ में उपलब्ध है । 2016 से नालसा वेबपोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से 3.77 लाख आवेदनों में से लगभग 3.55 लाख आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है । उपर्युक्त के अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरणों ने पूर्व लोक अदालत और लोक अदालत कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा उनकी मानीटरी सुनिश्चित करने में पक्षकारों को समर्थ बनाने के लिए ई-लोक अदालत आरंभ की है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *133
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में हिन्दी को बढ़ावा

***133. श्रीमती वीणा देवी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) न्यायिक निर्णय जारी करने में हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान न्यायालयों द्वारा हिन्दी में दिए गए निर्णयों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार के अनेक अनुदेशों के बावजूद उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों में हिन्दी को वांछित स्थान नहीं मिला है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

तारीख 28.07.2023 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*133 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) और (ख) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1)(क) कथन करता है कि उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी । भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(2) कथन करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 कथन करती है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और जहां कोई निर्णय, डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ-साथ उच्च न्यायालय के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

हिन्दी में दिए गए निर्णयों की संख्या के ब्यौरे केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते ।

(ग) और (घ) : मंत्रिमंडल समिति ने अपने तारीख 21.05.1965 के निर्णय में नियत किया कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी प्रस्ताव पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति प्राप्त की जाए ।

सन 1950 में संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग को प्राधिकृत किया गया । जैसा कि ऊपर वर्णित है कि तारीख 21.05.1965 के मंत्रिमंडल समिति के निर्णय के पश्चात्, हिन्दी का प्रयोग उत्तर प्रदेश (1969), मध्य प्रदेश (1971) और बिहार (1972) उच्च न्यायालयों में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से प्राधिकृत किया गया ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *140
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

लोक अदालतें

***140. श्री अशोक कुमार रावत :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में आज की तारीख तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित की गई लोक अदालतों का राज्य-वार और स्थान वार ब्यौरा क्या है;
(ख) लोक अदालतों के माध्यम से निपटाए गए मामलों की राज्य-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का लोक अदालतों को और अधिक प्रभावी बनाने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) आगामी वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल कितनी लोक अदालतों का आयोजन किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

श्री अशोक कुमार रावत द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *140, जिसका तारीख 28.7.2023 को उत्तर दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ङ) के प्रत्युत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : आयोजित की गई लोक अदालतों के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरे तथा राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगिता सेवाओं) द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलें क्रमशः उपाबंध (क), उपाबंध (ख) और उपाबंध (ग) पर दिए गए है ।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम 2009 द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को, अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश/निदेश जारी किए है ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सकें । इसके अतिरिक्त कोविड को ध्यान में रखते हुए ई-लोक अदालत की अवधारणा की गई जिसने ऐसे व्यक्तियों की, जो अन्यथा लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ थे, न्याय तक पहुंच बनाने में महत्वपूर्ण सुधार किया है । पहली ई-लोक अदालत तारीख 27-06-2020 को आयोजित की गई थी और तब से 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लोक अदालतें आयोजित की गई है ; जिनमें 432.89 लाख मामलों की सुनवाई हुई और 70.85 लाख मामलों का निपटान किया गया ।

(ङ) : प्रत्येक वर्ष नालसा राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कैलेंडर जारी करता है । वर्ष 2023 के दौरान 11 फरवरी, 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया था और 9 सितंबर और 9 दिसंबर को उनके पुनः आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है । राज्य लोक अदालतों का आयोजन स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है ।

****

उपाबंध-क

श्री अशोक कुमार रावत द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 140, जिसका तारीख 28.07.2023 को उत्तर दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ङ) के प्रत्युत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों में निपटाए गए (मुकदमेंबाजी पूर्व और लंबित मामले दोनों) मामलों की सूचना अंतर्विष्ट वाला विवरण (मई, 23 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकारी	2020	2021	2022	2023 (मई, 23 तक)
		निपटाए गए मामले	निपटाए गए मामले	निपटाए गए मामले	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	248	3997	3310	607
2	आंध्र प्रदेश	37896	122839	647956	453225
3	अरुणाचल प्रदेश	104	1054	1071	405
4	असम	12188	39642	113989	71696
5	बिहार	66451	151620	305483	177320
6	चंडीगढ़	2569	16833	15569	22403
7	छत्तीसगढ	24464	134548	1125318	706180
8	दादरा और नागर हवेली	1768	172	1323	584
9	दमन और दीव	31	113	215	16935
10	दिल्ली	83006	154992	535025	320196
11	गोवा	351	1680	3934	1618
12	गुजरात	41584	748722	1185571	776733
13	हरियाणा	30298	123413	673487	411650
14	हिमाचल प्रदेश	5971	35556	111150	67708
15	जम्मू-कश्मीर	13258	166544	390496	194453
16	झारखंड	53152	232473	1121405	1249358
17	कर्नाटक	334681	1277856	3444607	9889839
18	केरल	15010	68681	136101	35140
19	लक्षद्वीप	8	7	129	873
20	मध्य प्रदेश	108365	347333	419776	41
21	महाराष्ट्र	215837	2440375	4754239	240048
22	मणिपुर	204	794	1343	1772758
23	मेघालय	303	852	956	338
24	मिजोरम	218	790	4432	268
25	नागालैंड	251	941	888	1713
26	ओडिशा	18329	35557	337065	345
27	पुदुचेरी	1738	5084	6405	304328
28	पंजाब	32528	138175	392256	3448
29	राजस्थान	103060	286834	4572315	282166
30	सिक्किम	30	110	232	6917001
31	तमिलनाडु	88819	191604	447536	52
32	तेलंगाना	47560	349902	1611677	200324
33	त्रिपुरा	382	1070	4814	710384
34	उत्तराखंड	8088	20882	67438	3376
35	उत्तर प्रदेश	1171022	5551793	18698973	40536
36	पश्चिमी बंगाल	28596	133736	788082	14335395
37	लद्दाख	0	1463	1444	466764
	कुल योग	**2548368**	**12788037**	**41926010**	**39676208**

उपाबंध-ख

श्री अशोक कुमार रावत द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 140, जिसका तारीख 28.07.2023 को उत्तर दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ङ) के प्रत्युत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान राज्य लोक अदालतों में और गठित न्याय पीठों में निपटाए गए (मुकदमेबाजी पूर्व और लंबित मामले दोनों) मामलों की सूचना अंतर्विष्ट वाला विवरण (अप्रैल, 2023 तक).

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकारी	2020-21		2021-22		2022-23		2023-24 (अप्रैल,23 तक)	
		गठित की गई न्याय पीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित की गई न्याय पीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित की गई न्याय पीठों की संख्या	निपटाए गए मामले	गठित की गई न्याय पीठों की संख्या	निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	1	90	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	3585	30461	4874	12123	4999	6720	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	6	25	24	91	1	4	0	0
4	असम	6	1	136	13672	0	0	0	0
5	बिहार	28	97	1	6	9	574	0	0
6	चंडीगढ़	26	1	69	37	30	538	1	374
7	छत्तीसगढ	491	3475	187	228	124	139	0	0
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	300	195359	250	147103	60	11094	1	140
11	गोवा	8	777	30	3209	43	1308	0	0
12	गुजरात	2851	21880	5157	15546	3805	19717	0	0
13	हरियाणा	33774	52789	54762	115797	43135	230018	0	0
14	हिमाचल प्रदेश	90	3205	260	22031	142	4198	3	68
15	जम्मू-कश्मीर	125	9469	24	3271	225	76683	25	79
16	झारखंड	607	79649	1310	22954	1523	10868	104	941
17	कर्नाटक	1912	121884	412	2524	229	2632	0	0
18	केरल	721	4837	302	19226	607	23246	4	15
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	3	3	0	0
20	मध्य प्रदेश	1714	14903	808	4110	1242	5367	114	156
21	महाराष्ट्र	22	605	6	28	30	341	2	25
22	मणिपुर	1	21	0	0	4	43	0	0
23	मेघालय	0	0	23	89	0	0	0	0
24	मिजोरम	27	147	17	204	41	1202	1	1
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	239	4628	12	326	6	112422	1	262
27	पुदुचेरी	24	392	42	262	47	743	0	0
28	पंजाब	0	0	339	1108	6	15	0	0
29	राजस्थान	607	34514	786	845	1202	1628	141	141
30	सिक्किम	110	158	110	636	150	887	13	59
31	तमिलनाडु	767	13117	759	13066	1295	16369	9	110
32	तेलंगाना	1501	24327	2827	7363	2604	25365	227	1252
33	त्रिपुरा	12	6938	93	11624	19	2492	0	0
34	उत्तर प्रदेश	200	100305	57	31414	30	259125	2	954
35	उत्तराखंड	121	6166	25	8605	125	26498	10	1112
36	पश्चिमी बंगाल	575	13853	774	74999	454	10830	0	0
37	लद्दाख	0	0	4	32	4	240	0	0
	कुल योग	**50451**	**744073**	**74480**	**532529**	**62194**	**851309**	**658**	**5689**

उपाबंध-ग

श्री अशोक कुमार रावत द्वारा लोक अदालतों के संबंध में पूछा गया लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 140, जिसका तारीख 28.07.2023 को उत्तर दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ङ) के प्रत्युत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के दौरान स्थायी लोक अदालतों (लोक उपयोगी सेवाएं) में और इन बैठकों में निपटाए गए मामलों की सूचना अंतर्विष्ट वाला विवरण (अप्रैल, 2023 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम/संघ राज्यक्षेत्र प्राधिकारी	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अप्रैल, 23 तक)

		वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के दौरान बैठकें	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	431	1283	927	1406	1058	558	105	143
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	99	12	141	56	213	56	12	6
5	बिहार	977	203	482	221	313	157	0	0
6	चंडीगढ़	246	108	240	687	241	10945	16	137
7	छत्तीसगढ	346	32	1045	1199	1224	2028	94	42
8	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0
10	दिल्ली	532	14765	791	17395	773	18682	60	1171
11	गोवा	24	30	2	0	0	0	0	0
12	गुजरात	1	105	9	2238	1	8	0	0
13	हरियाणा	3413	9654	3547	30960	3416	72440	271	916
14	हिमाचल प्रदेश	6	10	9	11	0	0	0	0
15	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0
16	झारखंड	3554	1943	5144	32514	6216	26154	468	2470
17	कर्नाटक	1069	3869	1292	5371	904	4588	41	415
18	केरल	336	248	212	1104	226	2564	15	123
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	455	270	886	574	1176	608	102	26
21	महाराष्ट्र	541	249	918	765	1017	1208	78	37
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	583	1350	742	1561	753	1612	81	119
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	2868	3987	4538	9967	4902	14545	337	385
29	राजस्थान	1123	806	2960	3228	4435	5072	336	465
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	236	80	671	272	1121	528	90	42
32	तेलंगाना	66	549	108	6674	118	7540	10	0
33	त्रिपुरा	1	0	44	81	70	162	9	7
34	उत्तर प्रदेश	2714	383	3961	1087	3720	1173	334	175
35	उत्तराखंड	156	522	484	765	590	510	47	12
36	पश्चिमी बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
37	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**19777**	**40458**	**29153**	**118136**	**32487**	**171138**	**2506**	**6691**

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1394
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

विशेषीकृत पीठों का गठन

1394. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे :

श्री मनोज कोटक :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान, भूमि अधिग्रहण, मृत्यु या चोट से संबंधित मोटर वाहन मामलों सहित क्षतिपूर्ति, मध्यस्थता, आईबीसी और कॉरपोरेट कानून से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायपीठों का गठन करने पर विचार कर रही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में ऐसे मामलों में वृद्धि को देखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान गठित विशेष बहु-अवकाश पीठों में इन मामलों का निपटान किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ख) : संविधान के अनुच्छेद 145(1)(ख) के साथ पठित खंड (2) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय को अपील और अपील से संबंधित अन्य मामलों की सुनवाई के लिए अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है और वह ऐसे उद्देश्यों के लिए बैठने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या तय कर सकता है । उच्चतम न्यायालय ने अतीत में और अपने निर्णयों के अनुसार, विभिन्न विषय मामलों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष पीठों का गठन किया है । चूँकि, यह मुद्दा मुख्य रूप से न्यायालय के दायरे में आता है, इसलिए उक्त न्यायालय में विशेष पीठों के गठन में सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष पीठों के गठन के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, नवंबर 2022 से, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा छह विशेष पीठों का गठन किया गया है; ऐसी विशेष पीठों की बैठक प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को होती है जिन्हें "नियमित सुनवाई दिवस" के रूप में नामित किया जाता है और ये पीठें निम्नलिखित से निपटती हैं:

(i) मृत्यु संदर्भ मामले और आपराधिक मामले ;
(ii) भूमि अधिग्रहण और मांग संबंधी मामले ;
(iii) मुआवजा मामले और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मामले ;
(iv) अप्रत्यक्ष कर मामले और मध्यस्थम् मामले ;
(v) सेवा मामले ; और
(vi) प्रत्यक्ष कर मामले ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1398
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

ग्रामीण क्षेत्रों में विधिक जागरूकता हेतु अभियान

1398. श्रीमती पूनम महाजन :

कुमारी राम्या हरिदास :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और न्याय की प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई विशेष अभियान चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक ऐसे अभियानों से कितने लोगों ने लाभ उठाया हैं;

(घ) महाराष्ट्र और केरल राज्य में चलाए जा रहे ऐसे अभियानों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ङ) क्या सरकार देशभर में ऐसे विशेष अभियानों को तेज करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने नि:शुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ-साथ विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहुंच से परे कार्यक्रम को अधिकतम बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक गांव/शहरी क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2021 तक छह सप्ताह का विधिक जागरूकता अभियान चलाया ।

उपरोक्त अभियान के दौरान की गई प्रमुख क्रियाकलापों में घर-घर अभियान, विधिक जागरूकता कार्यक्रम, मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता और विधिक सहायता क्लीनिक के माध्यम से जागरूकता सम्मिलित थी । इन प्रमुख क्रियाकलापों के अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरणों ने महिलाओं और बालकों के लिए विशिष्ट विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, मेगा विधिक सेवा शिविर आयोजित किए, उन बच्चों के लिए कार्यक्रम जिन्होंने कोविड के कारण अपने माता-पिता में से एक या दोनों को खो दिया, राज्य और जिला स्तर पर प्रदर्शनियां, विधि विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए विधि सभा प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए । इस

अवधि के दौरान 1623 विधिक सेवा मेगा शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 75.64 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए ।

इसके आगे,विधिक जागरूकता फैलाकर संस्थानों और वंचितों के बीच अंतर को कम करने और पात्र लाभार्थियों को विधिक अधिकारों की परिदान को सुनिश्चित करने तथा क्रमशः आज़ादी का 75वें वर्ष का स्मरणोत्सव मनाने के लिए जेलों और बाल देखभाल संस्थानों में बंद व्यक्तियों को बुनियादी विधिक सहायता प्रदान करने के लिए "विधिक जागरूकता और पहुंच से परे माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण" और "हक_हमारा_भी_तो_है@75" नामक राष्ट्रव्यापी विधिक जागरूकता और पहुंच से परे कार्यक्रम अभियान 31 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक आयोजित किए गए थे ।

इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग एक स्कीम दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना) चला रहा है, जिसके अधीन विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम का एक विशिष्ट घटक है, जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय विधियों, अधिकारों, कर्तव्यों, अधिकारों, कर्तव्य,हक शिकायत निवारण आदि पर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और व्यापक-आधारित सामाजिक-विधिक मुद्दों को कवर करने वाले मासिक वेबिनार अभियान आयोजित किए जाते हैं। 2021 से, सीएससी ई-सरकार और अन्य मंत्रालयों/विभागों और सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) के समर्थन से 18 वेबिनार वस्तुतः आयोजित किए गए हैं । घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005, बाल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, गर्भधारण पूर्व और निदान तकनीक (लिंग चयन पर प्रतिबंध) अधिनियम, 1994 और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, भारत में लैंगिक न्याय, विधि के साथ संघर्ष में बालक और देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, भारत में मानव तस्करी जैसे विषय, उपभोक्ता संरक्षण, विचाराधीन कैदी; ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार; विकलांगता अधिकार; वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार; अब तक बाल श्रम और एसिड अटैक उत्तरजीवी के पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है । ये वेबिनार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से 4.2 लाख से अधिक प्रतिभागियों तक पहुंच चुके हैं ।

(घ) से (च) : महाराष्ट्र और केरल राज्य में चलाए जा रहे ऐसे अभियानों की स्थान-वार संख्या नालसा द्वारा नहीं रखी जाती है । तथापि, उपरोक्त अभियान के दौरान महाराष्ट्र के 14400 गाँवों और केरल के 733 गाँवों का तीन या अधिक बार दौरा किया गया और महाराष्ट्र में 37 विधिक सेवा मेगा शिविर और केरल में 92 विधिक सेवा मेगा शिविर आयोजित किए गए, जिनमें क्रमशः 3,26,796 और 8,763 लोग लाभान्वित हुए । ऐसे विशेष अभियानों को तेज करने पर विचार के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्वतंत्र रूप से अपने यहां ऐसे अभियान आयोजित कर सकते हैं । वर्तमान में देशभर में कोई विशेष अभियान चलाने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दिशा स्कीम के अधीन, महाराष्ट्र राज्य में, छह विधि महाविद्यालयों ने प्रो बोनो क्लब का गठन किया है, जिसमें विधि के छात्र भाग लेते हैं और गांवों में विधिक जागरूकता क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं । इसके अतिरिक्त, दिशा स्कीम के अधीन कार्यान्वयन अधिकरण में से एक, यशवंतराव चव्हाण एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशदा), स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (एसआईआरडी), पुणे, नंदुरबार, गढ़चिरौली, उस्मानाबाद और वाशिम के चार आकांक्षी जिलों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम चला रही है । पहले चरण में, कार्यक्रम ने इन आकांक्षी जिलों की 100 ग्राम पंचायतों में 500 स्वयंसेवकों को "विधि दूत" के रूप में प्रशिक्षित किया है । ये विधिदूत सामुदायिक स्तर पर विधिक जागरूकता का संचालन करेंगे ।

केरल राज्य में, एक विधि महाविद्यालय ने प्रो बोनो क्लब का गठन किया है और विधि महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए गांवों में विधिक जागरूकता क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1413
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता

1413. श्री डी. के. सुरेश :

श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉलेजियम प्रणाली के गठन में पारदर्शिता के मुद्दे को मजबूती से उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कॉलेजियम प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने और इसकी खामियों को दूर करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वास्तव में लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है और राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने कोलेजियम प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति अथवा पदोन्नति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : सरकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह बनाने और प्रणाली में निष्पक्षता लाने के लिए, दिनांक 13.04.2015 से संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 प्रवृतन में लायी थी । हालाँकि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.10.2015 के निर्णय के माध्यम से दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था । संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवृत होने से पूर्व विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रभावी घोषित किया गया था ।

इसके पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.12.2015 के आदेश के जरिए सरकार को पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना और शिकायतों से निपटने के तंत्र को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के परामर्श से विद्यमान एमओपी को अंतिम

रूप देने का निर्देश दिया था । भारत सरकार ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात्, विद्यमान एमओपी में प्रस्तावित बदलाव और एमओपी का प्रारूप दिनांक 22.03.2016 के पत्र के माध्यम से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा था । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) की प्रतिक्रियाएं 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुईं थी। एससीसी के विचारों के जवाब में सरकार की टिप्पणियों से 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराया गया था। एससीसी ने 13.03.2017 को एमओपी के प्रारूप पर सरकार के विचारों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान की थी । न्यायाधीशों की नियुक्ति में शामिल मुद्दों को हल करने के सुझावों के साथ सरकार के रुख को सचिव (न्याय) के दिनांक 11.07.2017 के पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के महासचिव को अवगत कराया गया था । नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक खोज-सह-मूल्यांकन समिति की स्थापना करके अधिक मजबूत मूल्यांकन प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया था । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को दिनांक 06.01.2023 के अपने हालिया पत्र में, सरकार ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है । दिनांक 6.01.2023 के पत्र में सरकार ने उच्चतम न्यायालय से फिर अनुरोध किया कि संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिनिधिक और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर भेजे गए विभिन्न सुझावों पर विचार किया जाए ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1417
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान न्यायालय की सुनवाई

1417. श्री मोहनभाई कुंडारिया :

श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान न्यायालय द्वारा सुनवाई किए जाने पर देश की विश्वस्तर पर सराहना हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त लॉकडाउन के दौरान न्यायालयों द्वारा की गई सुनवाई का न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुनवाइयों के लिए किन-किन तरीकों या माध्यमों का उपयोग किया गया है; और

(घ) न्यायालयों द्वारा उक्त सुनवाई करने पर किए गए व्यय का न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान, वीडियो कांफ्रेंसिंग न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरीं क्योंकि सामूहिक तरीके से भौतिक सुनवायी और सामान्य न्यायालयीय कार्यवाहियां संभव नही थीं । कोविड अवधि के दौरान, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए 2020 में केस क्लियरेंस दर 61.47% थी और मतबूत आईसीटी अवसंरचना के कारण 2021 में यह बढ़कर 80.22% हो गई, इस प्रकार से भारत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालयीय सुनवाई करने में वैश्विक रूप से अग्रणी बन गया । जब से कोविड लाकडाउन प्रारंभ हुआ, वीडियो कांफ्रेंसिंग का प्रयोग करके, 30.06.2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालय ने 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की । उच्चतम न्यायालय ने लाकडाउन अवधि के प्रारंभ से 15.05.2023 तक 4,82,941 मामलों की सुनवाई की । कोविड 19 से की गई अभाषी सुनवाई का न्यायालय-वार ब्यौरे उपाबंध 1 पर संलग्न है । वीसी के संचालन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए 6 अप्रैल, 2020 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अभिभावी आदेश पारित किया, जिसने वीसी के माध्यम से की गई न्यायालय की सुनवाई को विधिक पवित्रता और विधिमान्यता प्रदान की । इसके अतिरिक्त, वीसी नियम पांच न्यायाधीशों की समिति द्वारा बनाई गई थी, जिन्हें स्थानीय संदर्भ के पश्चात् अपनाने के लिए सभी उच्च

न्यायालय में परिचालित किया गया था । तालुका स्तर के न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों को एक-एक वीडियो कांफ्रेंस उपस्कर प्रदान किया गया और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए अतिरिक्त वीसी उपस्कर के लिए अतिरिक्त निधि स्वीकृत की गई । 2506 वीसी केबिन को स्थापित करने के लिए निधि उपलब्ध कराई गई है । अतिरिक्त 1500 वीसी अनुज्ञप्तियां प्राप्त की गई हैं । 3240 न्यायालय परिसरों और 1272 तत्स्थानी जेलों के बीच वीसी सुविधाएं पहले से ही समर्थ हैं ।

(ग) : न्यायालय की कार्यवाहियां आयोजित करना एक प्रशासनिक मामला है और यह पूरी तरह से न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आता है । यह न्यायालयों को निर्णय करना है कि न्यायालय की कार्यवाहियां भौतिक रूप से होनी हैं या आनलाइन । देश भर के न्यायालय वर्तमान में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आभाषी सुनवाई करने के लिए विभिन्न वीडियो कांफ्रेंसिंग प्लेटफार्मों जैसे वीडियो, जित्सी मीट, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, सिस्को वेबएक्स आदि का उपयोग कर रही हैं ।

(घ) : ई-न्यायालय परियोजना के चरण 2 में, 1670 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से, सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न संगठनों को 31.03.2022 तक 1668.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की है । इसमें न्यायालयों और जेलों में वीडियो कांफ्रेंसिंग अवसंरचना जैसे न्यायालय कक्षों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग उपस्कर, वीसी केबिन, वीसी अनुज्ञप्ति और दस्तावेज विजुअलाइजर आदि की स्थापना के लिए जारी की गई 111.29 करोड़ रुपए की राशि शामिल है ।

उपाबंध-1

कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, न्यायालय सुनवाई के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या, जिसका उत्तर 28/07/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण । कोविड-19 से की गई आभाषी सुनवाई का न्यायालय-वार ब्यौरा निम्नलिखित है :

उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में आभासी सुनवाई से निपटाए गए मामलों की संख्या 30 जून 2023 तक

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय	जिला न्यायालय	कुल योग
1	इलाहाबाद	241609	4715226	4956835
2	आंध्र प्रदेश	380257	1416538	1796795
3	बंबई	41058	103510	144568
4	कलकत्ता	142353	84539	226892
5	छत्तीसगढ	103323	51560	154883
6	दिल्ली	318964	4725322	5044286
7	गुवाहाटी -अरुणाचल प्रदेश	2295	8128	10423
8	गुवाहाटी -असम	266221	366667	632888
9	गुवाहाटी - मिजोरम	3963	13268	17231
10	गुवाहाटी - नागालैंड	945	678	1623
11	गुजरात	388945	194963	583908
12	हिमाचल प्रदेश	183911	124491	308402

13	जम्मू-कश्मीर	258457	477088	735545
14	झारखंड	219493	652867	872360
15	कर्नाटक	1229767	130114	1359881
16	केरल	161911	560308	722219
17	मध्य प्रदेश	671241	826174	1497415
18	मद्रास	1432188	376473	1808661
19	मणिपुर	38695	15288	53983
20	मेघालय	3735	34301	38036
21	ओडिशा	301492	260759	562251
22	पटना	277203	2245253	2522456
23	पंजाब और हरियाणा	581047	2041363	2622410
24	राजस्थान	231257	181705	412962
25	सिक्किम	487	13510	13997
26	तेलंगाना	299031	190327	489358
27	त्रिपुरा	10606	14254	24860
28	उत्तराखंड	79254	42407	121661
	कुल	**7869708**	**19867081**	**27736789**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1431
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

निःशुल्क विधिक सेवा

1431. श्री सुशील कुमार सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निःशुल्क विधिक सेवा वंचित समुदायों के वादकारियों को निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह देकर सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रो बोनो पोर्टल पर पंजीकृत वकीलों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का निःशुल्क विधिक सेवाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन करने और वादकारियों द्वारा निःशुल्क विधिक सेवा के अंतर्गत दायर किए गए मामलों में निकले परिणामों का आकलन करने के लिए कोई तंत्र है; और

(ङ) यदि हां, तो दायर, समाधान किए गए और लंबित मामलों की संख्या कितनी है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : सरकार ने प्रो-बोनो की संस्कृति को आगे बढ़ाने के व्यापक दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2017 में न्याय बंधु (प्रो-बोनो विधिक सेवा) आरंभ की है । न्याय बंधु सेवा का उद्देश्य प्रो बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने में हित रखने वाले वकीलों के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता के हकदार को जोड़ना है । अभी तक 1870 आवेदकों (जिसमें वह श्रेणी भी शामिल है जो हाशिए पर है) ने प्रो बोनो वकीलों की सेवा का उपयोग करने के लिए न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन पर रजिस्ट्रीकरण कराया है । (जिनका विवरण उपाबंध-क पर है) । तारीख 30 जून, 2023 तक 10,231 प्रो बोनो अधिवक्ताओं ने 27 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधिज्ञ परिषदों के माध्यम से संपूर्ण देश में इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया है । प्रो बोनो अधिवक्ताओं से संबंधित डेटा राज्य विधिज्ञ परिषद वार रखा गया है । (जिसका ब्यौरा उपाबंध-'ख' पर है) ।

(घ) और (ङ) : प्रो बोनो वकीलों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए, आवेदक और वकील दोनों को विधिक सेवा का उपयोग के लिए न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड, आईओएस और उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है) पर रजिस्ट्रीकरण कराना अपेक्षित है । जब एक बार

आवेदक द्वारा मामला रजिस्ट्रीकृत कराया जाता है, तो आवेदक द्वारा सम्यक् रूप से भरे गए मामले उसकी श्रेणी (दीवानी/दाण्डिक) और न्यायालय जहां मामला लंबित है, के क्षेत्र के अनुसार मिलान करके वकील स्वत: ही नियुक्त हो जाता है । एक बार जब अधिवक्ता अनुरोध को स्वीकार कर लेता है, तो आवेदक और अधिवक्ता दोनों पक्ष आवश्यकता के अनुसार किसी भी मामले से संबंधित विवरण पर चर्चा करने के लिए नियमित व्यक्तिगत बैठकें आयोजित कर सकते हैं । यद्यपि, न्याय विभाग, उन प्रो बोनो वकीलों जो इस क्रियाकलाप में पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं, द्वारा किए गए मामलों के अंतिम परिणाम का रिकॉर्ड नहीं रखता है ।

****

उपाबंध-'क'

प्रो बोनो विधिक सेवा पर संसद सदस्य श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा पुछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1431 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में, निर्दिष्ट विवरण

प्रो बोनो विधिक सेवा के अधीन हाशिए पर समुदायों से आवेदकों की अंतर्विष्ट संख्या का विवरण (2017-2023)

क्र.सं.	आवेदक अर्हक श्रेणी	रजिस्ट्रीकृत किए गए आवेदकों की संख्या
1	अनुसूचित जाति के सदस्य	406
2	अनुसूचित जनजाति के सदस्य	75
3	संविधान के अनुच्छेद 23 में यथानिर्दिष्ट मानव के दुर्व्यापार के पीडित या भिखारी	1
4	महिला	511
5	बच्चा	16
6	दिव्यांग व्यक्ति	244
7	अभिरक्षा में व्यक्ति	9
8	कामगार महिलाएं	43
9	किसी सामूहिक आपदा, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा के पीड़ित	6
10	ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय विधि के अधीन विहित की गई आय से कम है	167
11	अन्य (जैसे ज्येष्ठ नागरिक)	232
12	अन्य	160
	कुल	**1870**

उपाबंध-'ख'

प्रो बोनो विधिक सेवा पर संसद सदस्य श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा पुछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1431 जिसका उत्तर तारीख 28.07.2023 को दिया जाना है, भाग (ग) के उत्तर में, निर्दिष्ट विवरण

प्रो बोनो सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रो बोनो पोर्टल पर रजिस्ट्रीकृत किए गए अधिवक्ताओं की अंतर्विष्ट संख्या का राज्य विधिज्ञ परिषद् वार विवरण (2017-2023)

क्र.सं.	राज्य विधिज्ञ परिषद	राज्य विधिज्ञ परिषद् वार अधिवक्ताओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	648
2	असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	264
3	बिहार	591
4	छत्तीसगढ़	341
5	दिल्ली	815
6	गुजरात	186
7	हिमाचल प्रदेश	382
8	जम्मू-कश्मीर	144
9	झारखंड	327
10	कर्नाटक	261
11	केरल	147
12	मध्य प्रदेश	602
13	महाराष्ट्र और गोवा	532
14	मणिपुर	55
15	मेघालय	48
16	ओडिशा	280
17	पंजाब और हरियाणा	1958
18	राजस्थान	1114
19	तमिलनाडु	369
20	तेलंगाना	183
21	त्रिपुरा	6
22	उत्तर प्रदेश	649
23	उत्तराखंड	154
24	पश्चिमी बंगाल	154
25	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	15
26	दादरा और नागर हवेली	01
27	दमन और दीव	05
	कुल	**10231**

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1434
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड

1434. श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार 20 जनवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार देश की निचली अदालतों में चार करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं जिनमें से 78 प्रतिशत आपराधिक मामले हैं और शेष दीवानी मामले हैं;

(ख) यदि हां, तो निचली अदालतों में बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) बड़ी संख्या में लंबित मामलों के लिए वकीलों की अनुपलब्धता, अधिवक्ताओं को फीस देने की क्षमता और अपर्याप्त निःशुल्क विधिक सेवाएं किस हद तक जिम्मेदार हैं;

(घ) क्या सरकार ने निचली अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए राज्यों के परामर्श से कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 1 फरवरी 2023 तक, देश भर में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 4,39,73,903 मामले लंबित थे, जिनमें से 74.98 प्रतिशत मामले दाण्डिक जबकि शेष दीवानी थे ।

(ख) और (ग) : न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटारा विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृन्द की पर्याप्त संख्या और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग जैसे कि बार, अन्वेषण अभिकरण, गवाह और मुवक्किल और नियमों तथा प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है । ऐसे अन्य कारकों है जिनसे मामलों के निपटान में विलंब होता हैं, में विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटारे के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय सीमा का अभाव, बारंबार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों की मानीटरी, खोज और एकत्रण की पर्याप्त व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है ।

(घ) और (ङ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में आता है और इसमें सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है । केंद्रीय सरकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे के लिए और लंबित मामलों में कमी करने के लिए पूर्णत: समर्पित है । सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटारे के लिए पारिस्थितिक तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कई पहलें की हैं ।

न्याय के परिदान और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन का गठन अगस्त, 2011 में न्याय प्रणाली में विलम्ब और बकाया को कम करके और संरचनात्मक परिवर्तनों के माध्यम से जबावदेही बढ़ाकर तथा निष्पादन मानक और क्षमताओं को नियत करके दोहरे उद्देश्यों के साथ किया गया था । मिशन, न्याय प्रशासन में बकाया और लंबन को चरणवार कम करने के लिए एक समन्वित पहुंच अपना रहा है, जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायालयों के लिए बेहतर अवसंरचना, जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेबाजी वाले क्षेत्रों में नीतिगत और विधायी उपाय, मामलों के त्वरित निपटारे के लिए न्यायालय प्रक्रिया का पुनः प्रबंधन तथा मानव संसाधन के विकास पर जोर देना भी है

न्याय विभाग द्वारा न्याय प्रदान करने में सहायता के लिए की गई कुछ पहलें इस प्रकार हैं:-

i. न्यायिक अवसंरचना के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना के अधीन, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को न्यायालय हॉल, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर कमरे के निर्माण के लिए निधियां जारी की जा रही हैं, इस प्रकार न्याय वितरण में सहायता करना, जिससे वकीलों और वादकारियों का जीवन आसान हो जाएगा । वर्ष 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीकृत प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज तक 10035 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर तारीख 30.06.2023 तक 21,365 हो गई है और आवासीय इकाइयों की संख्या तारीख 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2023 तक 18,846 हो गई है ।

ii. सरकार नियमित रूप से उच्चतर न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । तारीख 01.05.2014 से 10.07.2023 के दौरान उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए थे । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे और 653 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी किया गया था । उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों की स्वीकृत पद संख्या को मई, 2014 में 906 से बढ़ाकर वर्तमान में 1114 किया गया है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या निम्न प्रकार बढ़ाई गई हैं :

तारीख को	स्वीकृत पदसंख्या	कार्यरत पदसंख्या
31.12.2013	19,518	15,115
24.07.2023	25,246	19,858

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरना संबंधित राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों के कार्यक्षेत्र में है ।

iii. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, 25 उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक लम्बित मामलों के निपटान के लिए बकाया समितियां गठित की गई हैं। बकाया समितियां, जिला न्यायाधीशों के अधीन भी गठित की गई हैं ।

iv. न्यायालयों में लम्बन और अवरोध को कम करने के लिए, सरकार ने विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दांडिक विधियां (संशोधन) अधिनियम, 2018 को हाल ही में संशोधित किया है ।

v. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पूरे दिल से बढ़ावा दिया गया है । वाणिज्यिक विवादों के मामलों में पूर्व-संस्थान मध्यकता क्रियाविधि (पीआईएमएस) को आज्ञापक बनाते हुए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, 20 अगस्त, 2018 को संशोधित किया गया था । माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 का समय-सीमा विहित करके विवादों के त्वरित निपटान समाधान को शीघ्र बनाने के लिए संशोधन किया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1439
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

वर्चुअल न्यायालयों में मामलों का निपटान

1439. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :
श्री भोला सिंह :
श्री जी. सेल्वम :
श्रीमती मंजुलता मंडल :
श्री सी. एन. अन्नादुरई :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्री गौतम गंभीर :
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) :
डॉ. जयंत कुमार राय :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में कार्यरत वर्चुअल न्यायालयों का ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा फाइल किए गए/निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या वर्चुअल न्यायालयों के सुचारू कार्यकरण के लिए वर्तमान अवसंरचना पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अदालतें मामलों के सुरक्षित प्रसारण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करते हुए वर्चुअल न्यायालयों की ओर बढ़ रही है और न्यायालयों तथा वकीलों के पास उन तक पहुंचने के विकल्प विद्यमान हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उनके कार्यकरण के संबंध में कोई प्रशिक्षण/जागरूकता अभियान आयोजित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यातायात चालान के अलावा अन्य मामलों का निपटान करने के लिए 24/7 वर्चुअल अदालतें शुरू करने के लिए अनुसंधान और अध्ययन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(च) क्या न्यायिक समय की बचत के लिए अधिवक्ताओं और वादकारियों की भौतिक उपस्थिति को कम करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और

संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : वर्चुअल न्यायालयों के लिए सॉफ्टवेयर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ई-कोर्ट डिवीजन, पुणे द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों (3,26,14,617) को निपटाया गया है और 39 लाख से अधिक (39,16,405) मामलों में, तारीख 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये से अधिक ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है। भारत भर में वर्चुअल न्यायालयों के माध्यम से निपटाए गए मामलों का विवरण उपाबंध- । पर दिया गया है । तारीख 30.06.2023 तक, 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे दिल्ली (2), हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 22 ऐसे न्यायालय हैं।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति ने वर्चुअल न्यायालयों के लिए प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें लगभग 5,13,080 हितधारकों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीश, न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीशों/डीएसए के बीच में से मास्टर, उच्च न्यायालयों और अधिवक्ताओं के तकनीकी कर्मचारी प्रशिक्षक, सम्मिलित हैं।

(ड.) : जी हाँ। भारतीय न्याय वितरण प्रणाली के भाग के रूप में वर्चुअल न्यायालयों के विस्तार की गुंजाइश तलाशने के लिए "न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन योजना" के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

(च) : वर्चुअल न्यायालयों की पहल ने यातायात उल्लंघन के मामलों को वर्चुअल मंच पर निपटाने में सक्षम बना दिया है, जिससे न्यायालय में वादी या वकील की उपस्थिति समाप्त हो गई है। इन न्यायालयों ने वादकारियों को अपना जुर्माना भरने या दावों का 24X7 लड़ने हेतु सक्षम बनाया है, इस प्रकार न्यायालय प्रणाली और वादकारियों, दोनों के लिए समय और संसाधनों की बचत हुई है। वर्चुअल न्यायालय, न्यायालय में अपराधी/उल्लंघनकर्ता की भौतिक उपस्थिति को भी समाप्त कर देती हैं। इससे यातायात चालान पर निर्णय देने में न्यायिक कार्य करने वाले न्यायाधीशों की संख्या भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक यातायात चालान स्वचालित रूप से निर्णय के लिए वर्चुअल न्यायालय में फाइल किए जाते हैं। एक न्यायाधीश राज्य के किसी भी भाग से या कहीं से भी वर्चुअल न्यायालय एप्लिकेशन का उपयोग कर सकता है, मामलों को देख सकता है और ऑनलाइन मामलों का फैसला कर सकता है।

न्यायिक समय बचाने के लिए अधिवक्ताओं और वादियों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करने के लिए ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रोजेक्ट के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (चिह्नित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है। यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक

कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। वादी 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (03.07.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है। वर्तमान में, सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है। यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे। हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए),) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त , वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30 जून 2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30 जून 2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई , जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं। 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, तथा इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है।

viii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है। ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। 30.06.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है। 30.06.2022 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है।

x. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है। इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा।

xi. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है।

xii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है।

xiii. बेंच द्वारा खोज, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरंभ किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है।

उपाबंध 1

देश भर में वर्चुअल न्यायालय माध्यम से निपटाए गए मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1439, जिसका उत्तर 28/07/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण निम्न प्रकार है :

वर्चुअल न्यायालय के आंकड़े -30.06.2023						
क्र.सं.	**स्थापन का नाम**	**प्राप्त**	**की गई कार्यवाही**	**लड़े गए**	**संदत्त चालान**	**चालान की रकम**
1	असम यातायात विभाग	72415	72413	357	19022	13159081
2	छत्तीसगढ़ यातायात विभाग	101	87	0	37	81500
3	गुजरात यातायात विभाग	126716	74647	82	2718	171300
4	हरियाणा यातायात विभाग	821765	681342	1080	16992	12638701
5	हिमाचल प्रदेश यातायात विभाग	81631	57247	86	1954	4011753
6	जम्मू यातायात विभाग	157590	136152	880	38613	21420590
7	कर्नाटक यातायात विभाग	47857	47824	119	40576	338437490
8	कश्मीर यातायात विभाग	356434	356433	9300	75231	41025995
9	केरल (पुलिस विभाग)	635792	625069	1280	54717	28393893
10	केरल परिवहन विभाग	485190	476054	2971	79969	115151882
11	मध्य प्रदेश यातायात विभाग	46581	36028	57	1853	1315300
12	महाराष्ट्र परिवहन विभाग	40387	24349	20	1449	2348605
13	मेघालय यातायात विभाग	437	314	0	33	20000
14	सूचना शाखा दिल्ली यातायात विभाग	14133187	13712402	77223	1344606	954951505
15	ओडिशा यातायात सीटीसी-बीबीएसआर कमिश्नरेट	333416	307908	627	20615	19894001
16	पुणे यातायात विभाग	6080	6056	18	591	114250
17	राजस्थान यातायात विभाग	26497	23650	892	9708	6276170
18	तमिलनाडु यातायात विभाग	162337	143042	1333	78188	718829890
19	त्रिपुरा यातायात विभाग	354	353	1	4	2900
20	उत्तर प्रदेश यातायात विभाग	10238520	7569945	28769	501614	298422756
21	वर्चुअल न्यायालय दिल्ली (यातायात)	4773216	4734431	105500	1624555	1618662492
22	पश्चिमी बंगाल यातायात विभाग	67940	64293	76	3360	2039452
योग		**32614443**	**29150039**	**230671**	**3916405**	**4198908506**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1445
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों की नई न्यायपीठ

1445. सुश्री देबाश्री चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्थापित विभिन्न न्यायालयों की नई न्यायपीठों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन न्यायालयों की नई न्यायपीठों की स्थापना के कौन-कौन से प्रस्ताव इस समय सरकार के पास लंबित हैं; और

(ग) भारत में न्यायालय के लिए नई न्यायपीठ स्थापित करने की प्रक्रिया/कार्य प्रकृति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत के संविधान का अनुच्छेद 130 उपबंध करता है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर,नियत करे ।

11वें विधि आयोग ने 10वें विधि आयोग की उच्चतम न्यायालय को दो भागों (i) नई दिल्ली स्थित सांविधानिक न्यायालय और (ii) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और केंद्रीय भारत में अधिविष्ट अपील न्यायालय या संघीय न्यायालय में विभाजित करने की सिफारिश की 95वीं रिपोर्ट को दोहराते हुए "उच्चतम न्यायालय एक नई दृष्टि"शीर्षक के अधीन अपनी 125वीं रिपोर्ट 1988 में प्रस्तुत की । अठारहवें विधि आयोग ने अपनी 229वीं रिपोर्ट में भी सुझाव दिया था कि दिल्ली में सांविधानिक न्यायपीठ स्थापित की जाए और उत्तरी क्षेत्र में दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्र में चेन्नई/हैदराबाद दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता और पश्चिमी क्षेत्र में मुंबई में चार अपीलीय न्यायपीठों की स्थापना की जाए। इस मामले को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को निर्दिष्ट किया गया था, जिन्होंने सूचित किया है कि मामले पर विचार करने के पश्चात् संपूर्ण न्यायालय ने 18 फरवरी, 2010 को आयोजित अपनी बैठक में दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने का कोई न्यायोचित्य नहीं पाया ।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना पर रिट याचिका डब्ल्यूपी(सी) सं. 36/2016 में उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13.07.2016 के अपने निर्णय में पूर्वोक्त मुद्दे को प्राधिकृत उद्घोषणा करने के लिए सांविधानिक न्यायपीठ को निर्दिष्ट करना उचित समझा । यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है ।

तारीख 07.02.2019 को जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ स्थापित कर दी गई है ।

उच्च न्यायालय की न्यायपीठों को जसवंत सिंह आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और शीर्ष न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी(सी) 2000 की रिट याचिका सं. 379 में दिए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार से पूर्ण प्रस्ताव, जिसमें आवश्यक व्यय और अवसंरचना सुविधाओं का उपबंध किया जाना होता है, पर सम्यक् विचारण करने के पश्चात् तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, जिससे उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को देखने की अपेक्षा होती है, की सिफारिश के पश्चात् स्थापित किया जाता है । पूर्ण प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की भी सहमति होनी चाहिए ।

वर्तमान में ,किसी भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ (न्यायपीठें) स्थापित करने का कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1452
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

त्वरित न्यायिक प्रक्रिया

1452. श्री चन्देश्वर प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किसी समर्पित समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी समिति पर किए गए अतिरिक्त व्यय का कोई आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : जी नहीं, न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा कोई समर्पित समिति गठित नहीं की गई है । तथापि, सरकार सरल, किफायती और त्वरित न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कई स्कीम और परियोजनाएं लागू कर रही है और कई पहल कर रही है, जिनका विवरण इस प्रकार है :-

1. राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है राष्ट्रीय मिशन के अधीन महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार है :- ।

i. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा

न्याय परिदान करने में सहायता करना है । आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10035 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है ।

ii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
24.07.2023	25,246	19858

तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

iii. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं । जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है ।

iv. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

v. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है । तद्नुसार, तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

2. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है । कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है । 815 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो । 18 राज्यों/संघ

राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 408 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है । ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को सम्मिलित करने का आशय रखता है ।

3. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है । 31.05.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 832 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं । निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों स्थापित किए गए हैं । केन्द्रीय सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है। आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है ।

4. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं ।

पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	6,82,32,800	2,26,81,224	9,09,14,024

5. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

<u>*टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा</u>

30 जून, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39

पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	45,81,912		44,66,376	

6. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 22 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1461
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

दिव्यांग नागरिकों की न्याय तक पहुंच

1461. डॉ. ए. चेल्लाकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में विशेषकर निचली अदालतों में न्यायिक अवसंरचना की भारी कमी की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिव्यांग नागरिकों के लिए उपयुक्त न्यायिक अवसंरचना तक पहुंच में सुधार लाने के प्रयास किए गए है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राज्यों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं भी हैं, के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों के संसाधनो की अनुपूर्ति केंद्र और राज्यों के मध्य विहित निधि-साझा-पद्धति में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करके न्यायिक अवसंरचना के विकास हेतु केंद्रीय रुप से प्रायोजित एक स्कीम के अधीन करती है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इसके अंतर्गत न्यायालय भवनों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास का सन्निर्माण आता है। तारीख 30.06.2023 तक, 25,215 स्वीकृत पदों के लिए और 19,876 कार्यरत न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए 21,365 न्यायालय हॉल और 18,846 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं । न्यायालय हॉलों और आवासीय क्वार्टरों के सन्निर्माण के अतिरिक्त, इस स्कीम में अब वकीलों के लिए हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और जिला तथा अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालय परिसरों का सन्निर्माण भी आता है ।

इस स्कीम के प्रारंभ से स्कीम के अधीन 10035.35करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई हैं जिसमें से 6591.04करोड़ रुपए (65.68%) वर्ष 2014-15 से जारी किए गए है । यह स्कीम 9,000 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत 5307.00 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश भी है, के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक बढ़ायी गई है । स्कीम

मार्गदर्शक सिद्धांत न्यायालय हाल और अन्य संरचनाओं की अवसंरचना के लिए मानदंड और विनिर्देश का उपबंध करते हैं जिसका राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने अनुपालन किया है | राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को यह प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं दिव्यांगों के अनुकूल हैं और सीपीडबल्यूडी/सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्रालय,निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारता विभाग द्वारा, समय समय पर, अधिकथित अपेक्षित मानकों/पहुंच मानदंडों को पूरा करती है |

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1477
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्याय विकास पोर्टल

1477. डॉ. टी. आर. पारिवेन्धर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हाल ही में न्याय विकास पोर्टल शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी शुरुआत के बाद से कितनी सीएसएस की निगरानी की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों से तमिलनाडु में कुल कितने सीएसएस कार्यान्वित किए जा रहे हैं और प्रक्रियाधीन हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : न्याय विकास ऑन-लाइन मानीटरिंग प्रणाली न्यायालय कक्षों और आवासीय इकाइयों तथा 3 नए घटकों, अर्थात् वकीलों के कक्षों, शौचालय परिसरों तथा डिजिटल कंप्यूटर कक्षों की प्रगति और पूर्णता पर डाटा एकत्रित करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्रों की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है । न्याय विकास वेब पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन मानीटरी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया गया है । इस प्रयोजन से निर्माण परियोजनाओं की मानीटरी के लिए, एक वेब पोर्टल और "न्याय विकास" नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसे 2018 में प्रारंभ किया गया था । राज्य सरकार, चल रही और पूर्ण हो गई परियोजनाओं से संबंधित डाटा/सूचना दर्ज करने और अपलोड करने के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी, सर्वेक्षक और माडरेटर नामित किए हैं । न्याय विकास मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करके परियोजनाओं की जियोटैगिंग से न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं की बेहतर मानीटरी करने में मदद मिली है । राज्यों में उपयोगकर्ता वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा दर्ज करते हैं और जियोटैगिंग के साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड करते हैं । उन्नत विशेषताओं के साथ, "न्याय विकास संस्करण 2.0" अप्रैल, 2020 में प्रारंभ किया गया है । मोबाइल ऐप का नया संस्करण, जो अप्रैल, 2020 में प्रारंभ किया गया था, उपयोगकर्ताओं के काफी अनुकूल हैं और आईओएस फोन के साथ-साथ एन्ड्राइड सिस्टम पर भी चलता है । मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग राज्य सर्वेक्षण द्वारा स्थानिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से फंसे आयामों के माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर जियोटैग और फोटो

अपलोड करने के लिए किया जा रहा है । पोर्टल में डाटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग किया गया है ।

(ग) : इस पोर्टल का डैशबोर्ड जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के अधीन परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति पर डेटा प्रदान करता है । 30.06.2023 तक 7,410 न्यायालय कक्षों (निर्मित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित) तथा 7,287 आवासीय इकाइयों (निर्मित, निर्माणाधीन और प्रस्तावित) के ब्यौरे इस पोर्टल पर अपलोड किए गए है ।

(घ) : विभाग द्वारा दो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, अर्थात् न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना और त्वरित निपटान विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना, जोकि तमिलनाडु तक भी विस्तृत है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1492
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

राज्यों में अतिरिक्त न्यायिक पद

1492. श्री राहुल कस्वां :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राज्य न्यायिक सेवाओं में पदों के सृजन के लिए कोई निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है और प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने पद सृजित किए गए हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान भारतीय विधिक सेवा में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारतीय विधिक सेवाओं में पदों की संख्या बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राज्य न्यायिक सेवाओं में पदों के सृजन और उसके विवरण की जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है । संविधान के अधीन राज्य न्यायिक सेवाओं में न्यायिक अधिकारियों के पदों के सृजन में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है । संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों की भर्ती और नियुक्ति के मुद्दों के संबंध में नियम और विनियम बनाती है । इस प्रकार, राज्य न्यायिक सेवाओं में न्यायिक अधिकारियों के पदों का सृजन संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय सीधे भर्ती प्रक्रिया करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से ऐसा करते हैं । इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में राज्य न्यायिक सेवाओं के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित उच्च न्यायालय में निहित है । इसलिए, राज्य न्यायिक सेवाओं के संबंध में पदों के सृजन या संबंधित कार्रवाई में केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

(घ) : विधि कार्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारतीय विधिक सेवा (आईएलएस) में 4 उप-संवर्ग जैसे विधिक सलाहकार, सरकारी अधिवक्ता, विधि अधिकारी और विधायी परामर्शी सम्मिलित हैं । पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, उपरोक्त प्रत्येक संवर्ग में की गई नियुक्ति का विवरण उपाबंध-1 में है ।

(ड.) और (च) : भारतीय विधिक सेवा (आईएलएस) के कैडर नियंत्रण प्राधिकारी होने के नाते विधि कार्य विभाग ने कैडर समीक्षा प्रभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से आईएलएस की कैडर समीक्षा के लिए प्रस्ताव आरंभ किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आईएलएस में पदों की संख्या बढ़ाने की परिकल्पना की गई है ।

******

उपाबंध- 1

'राज्यों में अतिरिक्त न्यायिक पदों' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 1492, जिसका उत्तर 28/07/2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

क्र.सं.	काडर	2020		2021		2022		2023	
		डीआर*	पी**	डीआर*	पी**	डीआर*	पी**	डीआर*	पी**
1	विधिक सलाहकार	-	-	-	2	2	17	-	6
2	सरकारी अधिवक्ता	1	-	-	3	1	2	-	-
3	विधि अधिकारी	0	0	0	0	0	2	0	0
4	विधायी परामर्शी	3	2	1	-	-	-	1	3

स्रोत : विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय ।
*डीआर: सीधी भर्ती । **पी: प्रोन्नति

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1498
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

त्वरित और निष्पक्ष न्याय

1498. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में की गई टिप्पणी पर ध्यान दिया है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग नागरिकों तक पहुंचने तथा एक आवश्यक सेवा के रूप में उन्हें त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में किए जाने की जरूरत है और यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों और हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या हाल के वर्षों में संपूर्ण भारत के न्यायालय न्याय प्रणाली की दक्षता और पहुंच में सुधार के लिए तेजी से प्रौद्योगिकी की ओर रुख कर रहे हैं और यदि हां, तो अपनाई गई नई प्रौद्योगिकियों और उनके माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है । ई-न्यायालय परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है । इसका उद्देश्य न्यायालयों को आईसीटी सक्षम बनाकर देश की न्यायिक प्रणाली को बदलना और न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाना है, जिससे न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके । परियोजना का चरण। वर्ष 2011-2015 के बीच लागू किया गया था। इसका उद्देश्य न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना था। ई-कोर्ट परियोजना के चरण। का उद्देश्य मुख्य रूप से हार्डवेयर की खरीद और स्थापना तथा नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करना था । इस चरण के अधीन 14,249 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया । परियोजना का चरण ॥ वर्ष 2015 से 2023 तक बढ़ाया गया। परियोजना का चरण ॥ नागरिकों को न्यायिक सेवाओं की आईसीटी सुविधा प्रदान करने पर केंद्रित है। इस चरण के अधीन 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया । सरकार ने सभी के लिए न्याय को सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-पहल की हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रोजेक्ट के अधीन , पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (चिह्नित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादी 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (03.07.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है ।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है । यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे । हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए),) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त , वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30 जून 2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30 जून 2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं ।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई , जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं । 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है । वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं ।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, तथा इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है ।

viii. यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं । 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 39 लाख (39,16,405) से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है । 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई है ।

ix. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है । ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। 30.06.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं । कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है। 30.06.2022 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है । यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है । इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा ।

xii. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

xiii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है ।

xiv. बेंच द्वारा खोज, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरंभ किया गया है । यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1507
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय में बुनियादी ढांचे का विकास

1507. श्री मारगनी भरत :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक बुनियादी ढांचे की अवस्था से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सम्पूर्ण देश में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक बुनियादी ढांचे के समतामूलक विकास को सुनिश्चित करने हेतु आरम्भ की गई योजनाओं अथवा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) सम्पूर्ण देश में उक्त अवधि के दौरान न्याय तक पहुंच को बेहतर बनाने और ई-अदालतों की शुरुआत के लिए आरम्भ की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत धनराशि के आवंटन और व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके अंतर्गत पूरी की गई समयसीमा और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 214 में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तदनुसार, प्रत्येक राज्य अपना स्वयं का उच्च न्यायालय रखने का हकदार है। हालाँकि, राज्यों से न्यायालय भवन, न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टर जैसी सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ सृजित और प्रदान करना अपेक्षित है। राज्य को उच्च न्यायालय की स्थापना और संचालन के लिए सभी खर्चों को भी वहन करना होगा। इसलिए, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। हालाँकि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उच्च न्यायालयों को आबंटित निधियों के ब्यौर केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि करने के लिए संघ सरकार, केन्द्र और राज्यों के मध्य विहित निधि साझा पेटर्न में उन्हे वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इसमे जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और वास सुविधाओं का निर्माण समाविष्ट है । यह स्कीम 5307 करोड़ रू के केंद्रीय अंश सहित 9000

करोड़ रू के बजटीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2026-26 तक और बढ़ा दी गई है । केंद्रीय सरकार ने इस स्कीम के प्रारंभ से आज तक 10035.35 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं, जिसमें से 6591करोड़ रू (65.68%) वर्ष 2014-15 से जारी किए गए हैं । पिछले 5 वर्षों के दौरान आवंटित और खर्च की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है;

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	वर्ष	कुल आबंटन	उपयोग किया गया
1.	2018-19	650.00	पूर्ण
2.	2019-20	982.00	पूर्ण
3.	2020-21	593.00	पूर्ण
4.	2021-22	770.44	684.14
5.	2022-23	848.00	पूर्ण

संविधान के अनुच्छेद 146(3) में उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित किया जाएगा। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय को किए गए आवंटन का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	वर्ष	कुल आबंटन	उपयोग किया गया
1.	2018-19	258.53	पूर्ण
2.	2019-20	296.56	पूर्ण
3.	2020-21	328.00	पूर्ण
4.	2021-22	350.86	341.41
5.	2022-23	405.47	392.78

प्रगति मैदान, नई दिल्ली से सटी भूमि पर भारत के उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए सरकार द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से निम्नलिखित धनराशि दी गई थी:

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण जिसके लिए अनुमोदन दिया गया था
1.	11.07.2012	₹.884.30 करोड़ की अनुमानित लागत पर उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को प्रशासनिक मंजूरी जारी की गई।
2.	27.03.2018	अनुमोदित अनुमान में बचत के भीतर, सीपीडब्ल्यूडी को वायवीय अपशिष्ट निपटान प्रणाली के लिए ₹.6.5 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई।
3.	04.04.2019	सीपीडब्ल्यूडी को ₹.16.58 करोड़ (लेन घटक के लिए ₹.7.19 करोड़ और वीओआइपी के लिए ₹.9.39 करोड़) का अतिरिक्त व्यय उपगत करने के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
4.	11.04.2019	एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के लिए सीपीडब्ल्यूडी को ₹.30.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय उपगत करने की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।

(घ) और (ङ) : ई-न्यायालय परियोजना और न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान परिकल्पना (दिशा) के अधीन निधियों के आबंटन और व्यय का विवरण इस प्रकार है:

(₹.करोड़ में)

क्र.स.	वर्ष	ई-न्यायालय*		दिशा**	
		कुल आबंटन	उपयोग	कुल आबंटन	उपयोग

			किया गया		किया गया
1.	2017-18	375.00	374.11	-	-
2.	2018-19	300.00	282.76	-	-
3.	2019-20	180.00	179.26	-	-
4.	2020-21	180.00	179.31	-	-
5.	2021-22	98.82	98.30	40.00	39.96
6.	2022-23	-	-	48.15	47.14

* ई-न्यायालय परिस्कीम चरण-II की धनराशि 31.03.2022 को समाप्त हो गई है ।
** दिशा स्कीम, 2021 में पांच साल (2021-26) की अवधि के लिए शुरू की गई है ।

ई-न्यायालय स्कीम के अधीन डिजिटलीकरण पहल में, वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) परियोजना के माध्यम से पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों में से 99.4% को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। वादी, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर 03.07.2023 तक 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से न्यायालय सुनवाई करने में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 30.06.2023 तक लगभग 2.77 करोड़ मामलों की सुनवाई की है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाईयां की है । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं सक्षम की गई हैं। भारत के 7 उच्च न्यायालयों और माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी गई है। यातायात चालान मामलें के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रचालित 22 आभासी न्यायालयों द्वारा 419.89 करोड़ रूपए से अधिक का ऑनलाईन जुर्माना 30.06.2023 तक वसूला गया है । 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में ई-भुगतान लागू किया है। जिन वकीलों या वादियों को सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक सहायता की आवश्यकता है, उनकी सुविधा के लिए 819 ई-सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी), एक प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया है जो समन भेजने और जारी करने के लिए 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में शुरू की गई है। "जजमेंट सर्च" पोर्टल सभी को बेंच, केस प्रकार, केस नंबर, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: दिनांक से, दिनांक तक और पूर्ण पाठ खोज द्वारा खोज के लिए निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

न्याय तक पहुंच पर केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जिसका शीर्षक "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान डिजाइन करना" है, को 2021 में पांच साल (2021-2026) की अवधि के लिए शुरू की गई है, जिसका कुल बजट ₹250 करोड़ है । इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ विधिक सेवाओं का नागरिक-केंद्रित परिदान करना है। इसके तीन घटक हैं, अर्थात्; (i) टेली-लॉ- देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में आम सेवा केंद्रों पर नागरिकों और पैनल वकीलों के बीच मुकदमे-पूर्व सलाह और परामर्श को मजबूत करने के लिए और टेली-लॉ सिटीजन मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर) और यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है। । टेली-लॉ ने 30 जून, 2023 तक 46 लाख लाभार्थियों को सलाह देने में सक्षम बनाया है; (ii) न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम का उद्देश्य रजिस्ट्रीकृत प्रो बोनो वकीलों को न्याय बंधु मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर) और उमंग पोर्टल के माध्यम से

रजिस्ट्रीकृत लाभार्थियों से जोड़ना है। 30 जून, 2023 तक 10,241 वकीलों ने न्याय बंधु कार्यक्रम में नामांकन किया है; (iii) अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम, विभिन्न राज्य एजेंसियों और राष्ट्रीय विधि स्कूलों आदि के माध्यम से नागरिकों का विधिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है, जिससे विधिक साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों (ऑनलाइन और भौतिक दोनों रीति) की विभिन्न पहलों के माध्यम से लगभग 4 लाख प्रतिभागियों को लाभ हुआ है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1519
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

तेलंगाना में योजनाओं का कार्यान्वयन

1519. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा तेलंगाना में कार्यान्वित की जा रही केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का वर्ष, योजना और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त प्रत्येक योजना के लिए आबंटित, स्वीकृत और जारी और उपयोग की गई धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान निर्धारित और प्राप्त किए गए वास्तविक लक्ष्यों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय को उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमियां मिली हैं और यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या उपरोक्त योजनाओं में से किसी में समय और लागत में वृद्धि हुई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : संघ सरकार दो केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं को प्रशासित कर रही है, अर्थात् न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना (ग्राम न्यायालय की योजना सहित) और विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की स्थापना की योजना (एफटीएससी) और दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं अर्थात्, ई-कोर्ट और दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधान का डिजाइन करना) ।

सरकार, निचली और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। योजना के समयबद्ध और उचित कार्यान्वयन के लिए, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी तंत्र मौजूद हैं। योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना: संघ सरकार केंद्र और राज्यों के बीच विहित निधि साझाकरण पैटर्न में राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना लागू कर रही है। यह योजना वर्ष 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है । इसमें न्यायालय हॉल, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसर, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और अधीनस्थ न्यायपालिका के आवासीय क्वार्टरों का निर्माण शामिल है । केंद्रीय सरकार ने योजना के अधीन इसकी शुरुआत से अब तक 10035.35 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं । जिसमें से वर्ष 2014-15 से 6591.04 करोड़ (65.68%) जारी किए गए हैं। इस योजना को 9000 करोड़ रु. के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें केंद्रीय हिस्सेदारी 5307.00 करोड़ रु0 है । पिछले 5 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तेलंगाना सहित राज्य-वार जारी किए गए धन का ब्यौरा उपाबंध- । में है । पीएफएमएस पोर्टल, अब धन के उपयोग पर नज़र रखता है। वर्तमान में, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा उपयोग के लिए 963.38 रुपये (केंद्र+राज्य का हिस्सा) की राशि लंबित है ।

तारीख 30.06.2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 19,876 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के मुकाबले 21,365 न्यायालय हॉल और 18,846 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं । इसके अलावा, न्याय विकास पोर्टल के अनुसार, 2,811 न्यायालय हॉल और 1640 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं । तेलंगाना राज्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 559 की स्वीकृत संख्या और 416 न्यायाधीशों की कार्यशील शक्ति के मुकाबले, 82 न्यायालय हॉल और 91 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं और 45 न्यायालय हॉल और 6 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं ।

वर्तमान में योजना के कार्यान्वयन में कोई कमी नहीं है क्योंकि सभी राज्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) में शामिल हो गए हैं और सभी व्ययों की पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से बारीकी से निगरानी की जा रही है । किसी भी तकनीकी गड़बड़ी या कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के लिए, योजना के दिशानिर्देश उपयुक्त निगरानी तंत्र प्रदान करते हैं, जैसे राज्य में उच्च न्यायालय स्तरीय निगरानी समिति, जिसकी अध्यक्षता संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति करते हैं और इसमें सदस्यों के रूप में उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, राज्य के विधि/गृह सचिव और राज्य के पीडब्ल्यूडी सचिव जैसे पणधारी शामिल होते हैं। यह समिति योजना के अधीन चल रही परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए हर छह महीने में बैठक करती है ।

इसके अलावा, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और योजना के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए न्याय विभाग में सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति है।

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों का नियमित दौरा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएमएस) से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से धन जारी किया जाता है और उपयोग की निगरानी की जाती है।

राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को चल रही परियोजनाओं को वास्तविक समय में जियो-टैग करना और इसे न्याय विकास पोर्टल पर प्रतिबिंबित करना आवश्यक है, जो न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति और समयबद्ध पूरा होने पर डेटा एकत्र करने के लिए इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की तकनीकी सहायता से विकसित एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली है ।

सबसे पहले, इस योजना में अपने मानदंडों और विशिष्टताओं के मामले में पर्याप्त लचीलापन है, ताकि राज्य अपनी स्थानीय जरूरतों और भू-स्थानिक विशिष्टताओं का ध्यान रख सकें ।

2. विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना की योजना: दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, सरकार ने संपूर्ण देश में केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन समयबद्ध तरीके से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र परीक्षण और निपटान के लिए कुल 1023 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए अगस्त 2019 में एक योजना को अंतिम रूप दिया। मार्च 2018 में लंबित मामलों के आधार पर, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा कुल 1023 एफटीएससी निर्धारित किए गए थे । उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, मई 2023 तक, देश भर के 29 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 412 विशिष्ट पोस्को (ई-पोस्को) न्यायालयों सहित कुल 758 एफटीएससीएस कार्यरत हैं, जिन्होंने 1,69,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया है। निर्धारित न्यायालयों, कार्यात्मक न्यायालयों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का राज्य-वार विवरण उपाबंध- 2(क) में दिया गया है ।

योजना की शुरुआत में लंबित मामलों के अनुरूप, तेलंगाना राज्य को 36 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय निर्धारित किए गए थे। तेलंगाना उच्च न्यायालय के आंकड़ों के अनुसार, सभी 36 निर्धारित न्यायालय प्रचालन में हैं, जिन्होंने बलात्संग और पोस्को अधिनियम से संबंधित 6700 से अधिक मामलों के निपटान में योगदान दिया है, जबकि 8069 मामले लंबित हैं।

तारीख 31.3.2023 तक, न्याय विभाग ने कुल 634.56 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2019-20 में रु. 140 करोड़, वित्त वर्ष 2020-21 में रु. 160 करोड़, वित्त वर्ष 2021-22 में रु. 134.56 करोड़ और वित्त वर्ष 2022-23 में रु. 200.00 करोड़) जारी किए हैं । इन एफटीएससी के संचालन के लिए 29 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों चालू वित्त वर्ष (2023-24) में तारीख 25.07.2023 तक 100.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । धनराशि जारी करने का राज्य-वार विवरण उपाबंध- 2(ख) में दिया गया है ।

तेलंगाना राज्य को इन विशेष न्यायालयों के कामकाज में सहायता के लिए केंद्रीय सरकार से धन प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2019-20 में 8.1 करोड़ रुपये जारी किए गए, इसके बाद वित्त वर्ष 2022-23 में 8.9875 करोड़ रुपये जारी किए गए । 25 जुलाई 2023 तक, चालू वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए धनराशि के केंद्रीय हिस्से के रूप में 3.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं । वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान तेलंगाना को कोई धनराशि जारी नहीं की गई ।

न्याय विभाग नियमित रूप से राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के विधि सचिवों और उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र सभी निर्धारित एफटीएससी का संचालन कर सकें। समय-समय पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और अर्द्धशासकीय पत्र सहित उच्च न्यायालयों को भी पत्र भेजे जाते हैं। माननीय विधि और न्याय मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों/उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और सचिव (न्याय) द्वारा राज्य/ संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजे जाते हैं ।

3. ई-न्यायालय : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। ई-न्यायालय परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का चरण-I, वर्ष 2011-2015 के बीच लागू किया गया था। परियोजना का चरण-II, वर्ष 2015-23 तक बढ़ाया गया। सरकार ने सभी के लिए न्याय को सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-पहल की हैं: -

i. वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) प्रोजेक्ट के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (निर्धारित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/निर्णयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादी 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (03.07.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. कस्टमाइज्ड फ्री और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) पर आधारित केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर (CIS) विकसित किया गया है। वर्तमान में सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है ।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है। यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे। हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए),) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी

(न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त , वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30 जून 2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30 जून 2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक केस मैनेजमेंट टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं ।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई , जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की। 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं। 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है। वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं ।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, और इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है ।

viii. यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं । 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 39 लाख (39,16,405) से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है । 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई है ।

ix. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है। ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। 30.06.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस , जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं। कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है। 30.06.2022 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक

उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं। यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है । इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा ।

xii. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

xiii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है ।

xiv. बेंच द्वारा खोज, केस प्रकार, केस संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "जजमेंट सर्च" पोर्टल आरंभ किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।

ई-कोर्ट एमएमपी चरण II को उच्च न्यायालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और निधियां सीधे संबंधित उच्च न्यायालयों को वितरित की जाती हैं , न कि राज्य सरकार को । उच्च न्यायालय-वार निधियों की स्थिति उपाबंध-III पर है ।

नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) ने अपने मूल्यांकन में ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट-चरण II में कोई बड़ी कमी नहीं पाई । हालाँकि, कुछ मापनीय संकेतकों के माध्यम से अधिक जागरूकता पैदा करने, बुनियादी ढांचे के रखरखाव, प्रशिक्षण और निगरानी की सिफारिश की गई थी ।

4. भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवोन्मेषी समाधान डिजाइन करना (दिशा): भारत सरकार के न्याय विभाग (डीओजे) ने पांच वर्ष (2021-2026) की अवधि के लिए "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवोन्वेषी समाधान डिजाइन करना" शीर्षक से न्याय तक पहुंच पर एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम आरंभ की है, जिसका कुल बजट 250 करोड़ रुपये है । इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ विधिक सेवाओं की नागरिक-केंद्रित डिलीवरी प्रदान करना है। इसके तीन घटक हैं जिनमें टेली-लॉ, जमीनी स्तर तक विधिक सहायता को मुख्यधारा में लाना; न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) और अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम सम्मिलित है । टेली-लॉ का उद्देश्य नागरिकों और पैनल वकीलों के बीच मुकदमे-पूर्व सलाह और परामर्श को सुदृढ़ करना है। टेली-लॉ सेवा देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में सामान्य सेवा केंद्रों पर उपलब्ध है। यह टेली-लॉ सिटीजन मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और उमंग

पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है। तारीख 30 जून, 2023 तक टेली-लॉ ने 46 लाख लाभार्थियों को सलाह देना संभव बना दिया है ।

न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) कार्यक्रम प्रो बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विकेन्द्रीकृत अखिल भारतीय व्यवस्था ढांचा तैयार करने का उपबंध करता है। इसका उद्देश्य न्याय बंधु मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और उमंग पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत प्रो बोनो वकीलों को रजिस्ट्रीकृत लाभार्थियों से जोड़ना है । तारीख 30 जून, 2023 तक 10,241 वकीलों ने न्याय बंधु कार्यक्रम में नामांकन कराया है। विधि संबंधी युवाओं को प्रो बोनो विधिक सेवाओं से परिचित कराने के लिए देश भर में 69 विधि स्कूलों के अधीन प्रो बोनो क्लब आरंभ किए गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, नागरिकों के विधिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए, न्याय विभाग विभिन्न राज्य एजेंसियों और राष्ट्रीय विधि स्कूलों आदि के माध्यम से अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम लागू कर रहा है। विधिक साक्षरता की विभिन्न पहलों और इसके अधीन कार्यान्वित किए जा रहे विधिक जागरूकता कार्यक्रमों (ऑनलाइन और भौतिक दोनों मोड) से 4 लाख प्रतिभागियों को लाभ हुआ है ।

पिछले दो वित्तीय वर्षों (2021-2022; 2022-2023) में इस स्कीम के अधीन कुल 88.15 करोड़ रुपये जारी किए गए और 87 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया (वित्त वर्ष-2021-2022-स्वीकृत रकम: 40 करोड़ रुपये और 39.96 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया; वित्तीय वर्ष-2022-2023-स्वीकृत रकम : 48.15 करोड़ रुपये और 47.14 करोड़ का उपयोग किया गया) ।

विशेष रूप से तेलंगाना राज्य में, टेली-लॉ सेवा 1860 सामान्य सेवा केंद्रों में चालू है और तारीख 30 जून, 2023 तक 33 जिलों में 73,417 लाभार्थियों को सलाह देने में सक्षम है । 183 वकील न्याय बंधु कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और 1 विधि कॉलेज ने तारीख 30 जून, 2023 तक क्षेत्र में प्रो बोनो क्लब का गठन किया है । वित्तीय वर्ष 2023-2024 में, न्याय विभाग ने तेलंगाना के तीन आकांक्षी जिलों में जागरूकता और संवेदनशीलता में वृद्धि सुनिश्चित करके, क्षेत्र के विकास में जनजातीय आबादी की भागीदारी बढ़ाने के लिए तेलंगाना राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कुमारमभीम-आसिफाबाद, भद्रारी कोठागुडेम और जयशंकर भूपालपल्ली सम्मिलित हैं ।

उपर्युक्त सभी स्कीमें स्वीकृत लागत के भीतर और निर्धारित समय सीमा के अनुसार कार्यान्वित की जा रही हैं और इसलिए इनमें से किसी भी स्कीम में समय और लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

****

उपाबंध- 1

लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, उत्तर में निर्दिष्ट विवरण और 30.06.2023 को केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अधीन जारी राशि का विवरण और अव्ययित शेष राशि ।

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	अव्ययित शेष राशि
1	आंध्र प्रदेश	10.00	20.00	10.28	0.00	22.50	0.00	4.97
2	बिहार	62.04	87.62	65.72	0.00	0.00	34.09	64.22
3	छत्तीसगढ	19.68	19.83	7.84	0.00	60.00	0.00	74.89
4	गोवा	3.15	4.06	3.80	3.20	25.00	0.00	1.00
5	गुजरात	15.02	16.49	13.50	0.00	6.22	0.00	1.92
6	हरियाणा	11.91	14.06	22.00	0.00	0.00	20.10	35.70
7	हिमाचल प्रदेश	4.08	5.72	5.50	0.00	0.00	4.67	5.41
8	जम्मू - कश्मीर	19.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	झारखंड	9.59	13.74	9.05	6.00	16.51	7.71	13.55
10	कर्नाटक	38.12	44.04	29.72	27.00	82.01	12.10	27.90
11	केरल	30.82	15.82	13.00	50.00	0.00	0.00	32.65
12	मध्य प्रदेश	79.42	66.90	45.60	55.00	125.00	29.00	44.79
13	महाराष्ट्र	10.58	61.09	23.11	18.00	100.00	8.11	0.00
14	ओडिशा	22.50	35.69	0.00	0.00	30.69	0.00	61.01
15	पंजाब	26.47	39.78	16.48	16.50	12.50	18.42	35.86
16	राजस्थान	17.41	64.21	29.90	41.50	71.66	27.87	48.72
17	तमिलनाडु	6.09	38.71	18.17	35.66	133.85	0.00	199.55
18	तेलंगाना	10.00	5.65	16.00	0.00	26.61	0.00	45.90
19	उत्तराखंड	22.02	28.50	5.86	80.00	0.00	0.00	46.05
20	उत्तर प्रदेश	128.06	169.66	111.00	219.00	0.00	0.00	109.24
21	पश्चिमी बंगाल	35.22	61.43	31.07	0.00	0.00	0.00	23.73
	कुल	**581.19**	**823.00**	**477.60**	**551.86**	**712.55**	**162.07**	**877.06**
	पूर्वोत्तर राज्य							
1	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.69	5.00	4.09	32.38	0.00	36.24
2	असम	32.09	36.54	25.00	27.40	25.00	0.00	9.49
3	मणिपुर	8.87	9.66	5.00	0.00	12.85	0.00	8.43
4	मेघालय	14.82	22.85	7.71	28.02	50.00	4.27	0.00
5	मिजोरम	5.94	5.24	5.00	9.50	0.00	2.42	2.59
6	नगालैंड	3.21	3.42	5.00	13.27	0.00	0.00	3.58
7	सिक्किम	2.57	2.78	2.95	0.00	2.27	0.00	2.08
8	त्रिपुरा	0.00	18.82	7.74	0.00	0.00	0.00	0.32
	कुल	**67.50**	**102.00**	**63.40**	**82.28**	**122.50**	**6.69**	**62.73**
	संघ राज्य क्षेत्र							
1	अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.31	0.17	0.35	0.01	0.00	0.00	0.00
2	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
3	डी एंड नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	दमण और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	दिल्ली	0.00	48.52	45.00	30.00	0.00	0.00	0.84
6	जम्मू - कश्मीर	0.00	5.00	6.65	20.00	12.60	0.00	11.68
7	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
9	पुदुचेरी	0.00	3.31	0.00	0.00	9.55	0.00	9.22
	कुल	**1.31**	**57.00**	**52.00**	**50.01**	**22.15**	**0.00**	**23.59**
	कुल योग	**650.00**	**982.00**	**593.00**	**684.15**	**857.20**	**168.76**	**963.38**

उपाबंध- 2(क)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, उत्तर में निर्दिष्ट विवरण और अलग से रखे गए न्यायालयों, कार्यात्मक न्यायालयों, निपटाए गए और लंबित मामलों का राज्य-वार विवरण

(मई 2023 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अलग से रखे गए न्यायालय		कार्यात्मक न्यायालय		योजना की शुरुआत के बाद से संचयी निपटान			मास के अंत में लंबित मामलों की संख्या			संचयी लंबित मामले
		पाक्सो सहित एफटीएस	ई पाक्सो	पाक्सो सहित एफटीएस	ई पाक्सो	एफटीएस	पाक्सो	कुल	एफटीएस		ई पाक्सो	
									बलात्संग	पाक्सो		
1	छत्तीसगढ	15	11	15	11	547	2976	3523	107	400	1987	2494
2	गुजरात	35	24	35	24	1647	6598	8245	624	722	5181	6527
3	मिजोरम	3	1	3	1	95	30	125	7	32	24	63
4	नागालैंड	1	0	1	0	48	3	51	2	53	0	55
5	झारखंड	22	8	22	16	1651	2997	4648	634	564	3158	4356
6	मध्य प्रदेश	67	26	67	57	2865	15897	18762	2360	156	8806	11322
7	मणिपुर	2	0	2	0	95	0	95	12	106	0	118
8	हरियाणा	16	12	16	12	1117	3053	4170	291	726	2899	3916
9	चंडीगढ़	1	0	1	0	171	0	171	69	148	0	217
10	राजस्थान	45	26	45	30	3154	7126	10280	202	1198	5470	6870
11	तमिलनाडु	14	14	14	14	0	5178	5178	0	0	5036	5036
12	त्रिपुरा	3	1	**3**	1	108	125	233	151	45	106	302
13	उत्तर प्रदेश	218	74	218	74	23559	21429	44988	6422	24610	48758	79790
14	उत्तराखंड	4	4	4	0	1138	0	1138	322	599	0	921
15	दिल्ली	16	11	16	11	347	702	1049	1218	0	3151	4369
16	मेघालय	5	5	5	5	0	290	290	0	0	1013	1013
17	जम्मू-कश्मीर	4	0	**4**	2	63	63	126	188	0	252	440
18	पंजाब	12	2	12	3	1238	1488	2726	426	613	511	1550
19	हिमाचल प्रदेश	6	3	6	3	195	553	748	150	356	421	927
20	कर्नाटक	31	17	31	17	1890	4775	6665	2326	0	3008	5334
21	तेलंगाना	36	10	36	0	4047	2731	6778	205	7864	0	8069
22	पुदुचेरी	1	1	1	1	0	0	0	0	0	209	209
23	आंध्र प्रदेश	18	8	16	16	0	2729	2729	0	0	7277	7277
24	असम	27	15	17	17	0	3566	3566	0	0	4557	4557
25	बिहार	54	30	45	45	0	7533	7533	0	0	16013	16013
26	गोवा	2	0	1	1	0	30	30	0	0	44	44
27	केरल	56	14	53	14	8880	3990	12870	1066	4086	1775	6927
28	महाराष्ट्र	138	30	30	14	5439	8887	14326	688	2497	2632	5817
29	ओडिशा	45	22	39	23	2827	5472	8299	770	2570	7924	**11264**
30	डब्ल्यू.बी.	123	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	अंदमान और निकोबार	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	अरुणाचल प्रदेश	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**1023**	**389**	**758**	**412**	**61121**	**108221**	**169342**	**18240**	**47345**	**130212**	**195797**

उपाबंध- 2(ख)

लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, उत्तर में निर्दिष्ट विवरण और फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालय योजना के अधीन जारी किए गए निधि का राज्यवार विवरण ।

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20 में जारी की गई राशि	2020-2120 में जारी की गई राशि	2021-2220 में जारी की गई राशि	2022-2320 में जारी की गई राशि	2023- 2024 में जारी की गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	2.85625	1.86875	3.375	6.7325	2.530238
3.	बिहार	2.025	15.26255	20.25	11.895	4.465125
4.	चंडीगढ़	0.1875	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ	3.375	3.375	4.259	3.93	1.488375
6.	दिल्ली	3.60	0.00	0.00	4.225	1.5876
7.	गोवा	0.225	0.00	0.00	0.47	0.099225
8.	गुजरात	7.875	7.875	0.00	9.26	3.472875
9.	हरियाणा	3.60	3.60	3.60	4.225	1.5876
10.	हिमाचल प्रदेश	1.0125	1.51875	0.00	2.375	0.893025
11.	जम्मू -कश्मीर	0.5625	0.00	2.635	1.58	1.61535
12.	झारखंड	4.95	4.95	0.00	5.825	2.18295
13.	कर्नाटक	6.975	0.00	6.635	7.395	3.805775
14.	केरल	8.40	0.00	0.00	7.40	15.4566
15.	मध्य प्रदेश	15.075	15.0750	26.175	17.72	7.498075
16.	महाराष्ट्र	31.05	0.00	0.00	8.72	3.77055
17.	मणिपुर	0.675	0.675	0.3375	0.785	0.297675
18.	मेघालय	1.6875	0.00	0.00	1.977	0.744188
19.	मिजोरम	1.0125	1.0125	2.02625	1.18	0.446513
20.	नगालैंड	0.3375	0.3375	0.00	0.38	0.148838
21.	ओडिशा	5.40	1.30	16.20	11.64	4.465125
22.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.1125	0.00	0.00
23.	पंजाब	2.70	0.00	0.00	4.312	2.5487
24.	राजस्थान	5.85	14.4	19.745	11.895	13.83263
25.	तमिलनाडु	3.15	3.15	2.59	6.62	1.38915
26.	तेलंगाना	8.10	0.00	0.00	8.9875	3.37365
27.	त्रिपुरा	1.0125	1.0125	0.00	1.1725	0.446513
28.	उत्तर प्रदेश	13.80625	84.29375	24.525	57.68	21.63105
29.	उत्तराखंड	2.70	0.00	2.092	1.53	0.59535
	कुल	**140**	**160**	**134.55**	**200.00**	**100.37**

उपाबंध- 3

लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593जिसका उत्तर28 .07. 2023को दिया जाना है, उत्तर में निर्दिष्ट विवरण और 30.06.2023 तक उच्च न्यायालयवार निधि की स्थिति का विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22	
		जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग	जारी	उपयोग
1	इलाहाबाद	20.57	20.27	8.07	7.96	15.04	13.63	13.79	10.22	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
3	बंबई	47.22	47.18	0.52	0.52	0.00	0.00	8.86	8.86	0.00	0.00
4	कलकत्ता	10.72	1.90	0.13	0.08	0.00	0.00	4.93	0	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ	9.34	9.34	1.33	1.33	4.44	4.44	2.34	2.34	0.00	0.00
6	दिल्ली	8.97	8.95	3.54	3.54	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00
7(क)	गुवाहाटी (अरुणाचल प्रदेश)	1.37	1.37	2.85	2.85	0.98	0.98	1.52	1.52	1.26	1.18
7(ख)	गुवाहाटी (असम)	8.13	8.13	8.7	8.22	13.68	13.4	6.11	1.78	3.49	3.46
7(ग)	गुवाहाटी (मिजोरम)	2.47	2.47	0.15	0.15	0.51	0.43	0.72	0.69	0.3	0.25
7(घ)	गुवाहाटी (नागालैंड)	1.83	1.83	0.71	0.71	0.7	0.7	0.83	0.83	0.84	0.84
8	गुजरात*	29.06	21.81	10.73	0.1	0.00	0.00	3.48	0.83	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	4.05	4.03	0.13	0.13	0.00	0.00	2.00	1.78	0.00	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	10.59	10.59	0.26	0.26	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
11	झारखंड	2.92	2.92	4.53	4.53	5.53	0.35	2.98	0.48	0.00	0.00
12	कर्नाटक	22.04	22.04	0.61	0.61	9.15	9.15	4.29	4.29	0.00	0.00
13	केरल	14.73	14.73	4.61	4.61	0	0	2.83	2.83	1.58	1.58
14	मध्य प्रदेश	22.51	22.51	0.39	0.39	11.21	11.06	6.28	6.21	0.00	0.00
15	मद्रास	25.45	24.56	5.11	4.09	0.00	0.00	4.73	2.46	0.00	0.00
16	मणिपुर	1.19	1.18	0.65	0.65	0.61	0.6	1.3	1.28	0.76	0.75
17	मेघालय	3.65	3.36	0.62	0.61	0.92	0.09	2.32	0.51	2.23	0.85
18	ओडिशा	12.7	12.47	1.59	1.48	13.46	13.09	3.37	3.31	0.00	0.00
19	पटना	8.72	8.30	0.13	0.07	7.08	6.4	5.44	5.3	0.00	0.00
20	पंजाब और हरियाणा	11.54	11.54	8.49	8.49	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00
21	राजस्थान	25.05	25.05	3.01	3.01	1.29	1.29	10.58	10.57	1.62	1.62
22	सिक्किम	1.40	1.39	0.8	0.44	1.61	0.68	1.01	0.92	0.77	0.00
23	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश**	33.95	23.78	8.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
25	त्रिपुरा	2.86	2.86	1.77	1.77	2.24	2.19	4.44	4.05	0.96	0.78
26	उत्तराखंड	4.60	4.49	0.13	0.13	0.00	0.00	1.28	1.12	0.00	0.00
कुल		**347.65**	**319.06**	**77.71**	**56.85**	**88.44**	**78.5**	**107.74**	**80.57**	**13.80**	**11.31**

*गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपये सरेंडर किए। कुल उपयोग में समर्पण निधि शामिल थी ।

** पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय को निधियां जारी की गई और दोनों राज्यों ने उपलब्ध निधियों को क्रमश 5842 के अनुपात में साझा किया ।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1524
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

कमजोर वर्गों के लिए किफायती न्याय

1524. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दलितों, पिछड़े वर्गों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को महंगी, जटिल तथा समय लेने वाली न्यायिक प्रणाली के कारण न्याय नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यायिक प्रक्रिया को समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिए त्वरित, सरल और किफायती बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रत्येक प्रयास कर रही है । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया जिसके अंतर्गत अधिनियम की धारा 12 के अधीन आने वाले हिताधिकारी भी है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य निःशक्तताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो तथा लोक अदालतों का आयोजन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि समान अवसरों के आधार पर विधिक व्यवस्था का संचालन न्याय के संवर्धन के लिए हो ।

इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय के स्तर तक विधिक सेवा संस्थाओं का गठन किया गया है । विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप/कार्यक्रमों के अंतर्गत विधिक सहायता और परामर्श ; विधिक जागरुकता कार्यक्रम ; विधिक सेवा/सशक्तीकरण कैंप ; विधिक सेवा क्लीनिक ; विधिक साक्षरता क्लब ; लोक अदालतें और पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम का कार्यान्वयन भी है ।

(ग) : न्याय तक त्वरित और समान पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने साधारण नागरिकों को विधिक सहायता तक आसान पहुंच के लिए

समर्थ बनाने हेतु एण्डरायड तथा आईओएस वर्जन पर विधिक सेवा मोबाइल एप्प आरंभ किया है ।

इसके अतिरिक्त, "भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवाचार समाधानों का अभिकल्पन" नामक न्याय तक पहुंच पर स्कीम भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई है जिसका लक्ष्य दूरस्थ विधि के माध्यम से मुकद्दमा पूर्व परामर्श और सलाह को मजबूत करना ; न्याय बंधु (प्रो बोनो विधिक सेवाएं) के माध्यम से प्रो बोनो विधिक सेवा प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय व्यवस्था का ढांचा सुनिश्चित करना तथा अखिल भारतीय विधिक साक्षरता और विधिक जागरुकता कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों को सशक्त करना है । इस स्कीम के अतंर्गत मध्यक्षेप का समर्थन करने के लिए तथा समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों को विधिक सेवाओं तक आसान पहुंच प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा में संदर्भ आधारित आईईसी (इनफोर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन) सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग भी है । इस स्कीम के अधीन ये सारी सेवाएं सभी नागरिकों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अन्य पिछड़े वर्ग तथा समाज के अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1542
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायालय परिसरों में आधुनिक सुविधाओं का अभाव

1542. श्री कुरुवा गोरांतला माधव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में न्यायालयों में पर्याप्त स्थान और आधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय कक्ष, जैसे बुनियादी ढांचे और न्यायालय परिसरों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय, चिकित्सा सहायता केंद्र, जलशोधक यंत्र और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जिससे उनके लिए प्रभावी ढंग से कार्य करने में कठिनाई होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी प्रतिशत निचली अदालतों में महिलाओं के लिए अलग शौचालय नहीं हैं;

(ग) सरकार द्वारा न्यायालय परिसरों में कार्यकरण की सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : राज्यों में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं का विकास जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए पृथक शौचालय, चिकित्सा सहायता केन्द्र, वाटर प्यूरिफायर और पुस्तकालय है, राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है । केन्द्रीय सरकार आधारभूत रूप से राज्य सरकार के संसाधनों की अनुपूर्ति में न्यायिक अवसंरचना के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्र और राज्यों के बीच विहित निधि साझा पैटर्न में वित्तीय सहायता प्रदान करती है । इस स्कीम को वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित किया जा रहा है । इसके अंतर्गत जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए निवासीय आवासों का संनिर्माण आता है । तारीख 30.06.2023 तक, 25,215 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के सामने उनकी कार्यरत संख्या 19,876 है, 21,365 न्यायालय हाल और 18,846 आवासीय इकाईयां हैं ।

10035.35 करोड़ रुपए की धनराशि को स्कीम के अधीन उसके प्रारंभ से अब तक जारी किया गया है, जिसमें से 2014-15 से 6591.04 करोड़ (65.68%) रुपए जारी किए गए हैं

। स्कीम को 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 9000 हजार करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ विस्तारित किया गया है, जिसके अंतर्गत 5307.00 करोड़ रुपए का केन्द्रीय अंश सम्मिलित है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायालय हालों और आवासीय क्वार्टरों के संनिर्माण के अतिरिक्त, स्कीम के अंतर्गत अधिवक्ता हाल, डिजीटल कंप्यूटर कक्ष और शौचालय परिसर सम्मिलित हैं । स्कीम दिशानिर्देशों में,न्यायालय भवनों के लिए मानक और विनिर्देश सम्मिलित हैं, जो राज्य सरकारों को चालू न्यायालय परिसरों और सुविधाओं तथा नई परियोजनाओं के लिए संनिर्माण योजना तैयार करते समय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्यमान मानकों का अनुपालन करने का परामर्श देते हैं ।

देश में कारबार की सरलता के लिए समुचित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालयों की अवसंरचना का सतत सुधार किया जा रहा है । समर्पित और अभिहित वाणिज्यिक न्यायालय वाणिज्यिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए विशिष्ट जनशक्ति सहित इन न्यायालय परिसरों में कार्यशील है । तथापि, अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए अवसंरचना हेतु केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन परियोजना-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1571
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

1571. श्री थोमस चाज़िकाडन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए ज्ञापन अथवा दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की रिक्तियों और अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों के रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय से कोई सलाह मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण की प्रक्रिया के ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है । उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या 75 : 25 के अनुपात में नियत की गई है । जब मूल उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों का पद रिक्त होता है और उक्त उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होती है, तो स्थायी न्यायाधीश के रूप में नई नियुक्ति की जाएगी । यदि मूल उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश की कोई रिक्ति नहीं है या स्थायी न्यायाधीश की रिक्ति है, लेकिन उक्त उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश पहले से ही नियुक्त किए जा चुके हैं, तो नई नियुक्ति अपर न्यायाधीश में से की जाएगी । भारत के उच्चतम न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का कोई उपबंध नहीं है ।

24.07.2023 तक उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों की रिक्तियों की सूची, उच्च न्यायालय-वार **उपाबंध-1** पर है । 01.01.2019 से विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्थायी न्यायाधीशों की रिक्तियों और न्यायाधीशों की नियुक्ति की सूची, **उपाबंध-2** पर है ।

****

उपाबंध-1

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण (27.07.2023 को)

		स्वीकृत पद संख्या			कार्यरत पद संख्या			रिक्तियां		
क.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**32**			**2**		
ख.	**उच्च न्यायालय**	**स्थायी**	**अपर**	**कुल**	**स्थायी**	**अपर**	**कुल**	**स्थायी**	**अपर**	**कुल**
1	इलाहाबाद	119	41	160	74	21	95	45	20	65
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	22	5	27	6	4	10
3	बंबई	71	23	94	40	26	66	31	-3	28
4	कलकत्ता	54	18	72	33	19	52	21	-1	20
5	छत्तीसगढ	17	5	22	10	5	15	7	0	7
6	दिल्ली	46	14	60	41	3	44	5	11	16
7	गुवाहाटी	22	8	30	15	9	24	7	-1	6
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	9	0	9	4	4	8
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	12	4	16	1	0	1
11	झारखंड	20	5	25	19	1	20	1	4	5
12	कर्नाटक	47	15	62	37	13	50	10	2	12
13	केरल	35	12	47	28	6	34	7	6	13
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	34	0	34	5	14	19
15	मद्रास	56	19	75	47	16	63	9	3	12
16	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	ओडिशा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19	पटना	40	13	53	33	0	33	7	13	20
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	22	60	26	-1	25
21	राजस्थान	38	12	50	34	0	34	4	12	16
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	25	2	27	7	8	15
24	त्रिपुरा	4	1	5	3	0	3	1	1	2
25	उत्तराखंड	9	2	11	8	0	8	1	2	3
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**621**	**152**	**773**	**219**	**122**	**341**

उपाबंध-2

वर्ष 2019 से 2023 तक स्थायी न्यायाधीशों की रिक्तियों और अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति के ब्यौरे (24.07.2023 तक)

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	2019		2020		2021		2022		2023	
		01.01.2019 को स्थायी न्यायाधीशों की रिक्ति	वर्ष 2019 में नियुक्त अपर न्यायाधीश	01.01.2020 को स्थायी न्यायाधीशों की रिक्ति	वर्ष 2020 में नियुक्त अपर न्यायाधीश	01.01.2021 को स्थायी न्यायाधीशों की रिक्ति	वर्ष 2021 में नियुक्त अपर न्यायाधीश	01.01.2022 को स्थायी न्यायाधीशों की रिक्ति	वर्ष 2022 में नियुक्त अपर न्यायाधीश	24.07.2023 को स्थायी न्यायाधीशों की रिक्ति	वर्ष 2023 में नियुक्त अपर न्यायाधीश
1	इलाहाबाद	15	10	09	04	38	17	46	12	45	09
2	आंध्र प्रदेश	14	-	13	-	10	02	8	03	6	02
3	बंबई	18	11	16	04	22	06	19	19	31	04
4	कलकत्ता	35	06	32	01	22	08	24	14	21	-
5	छत्तीसगढ	09	-	06	-	04	03	7	03	7	01
6	दिल्ली	06	-	09	-	15	-	15	01	5	03
7	गुवाहाटी	04	04	03	-	01	06	1	02	7	02
8	गुजरात	12	-	12	-	10	07	7	-	10	-
9	हिमाचल प्रदेश	02	01	01	-	01	01	2	-	4	-
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	04	-	05	-	02	02	-	04	1	-
11	झारखंड	05	02	02	-	02	-	-	01	1	-
12	कर्नाटक	26	10	28	10	21	06	8	06	10	04
13	केरल	04	01	08	06	05	12	8	01	7	-
14	मध्य प्रदेश	05	-	09	-	11	-	11	-	5	-
15	मद्रास	15	01	10	10	04	05	11	04	9	11
16	मणिपुर	01	-	-	01	-	-	1	-	1	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-01*	-	-	-	0	-
18	ओडिशा	06	-	06	-	05	04	2	-	3	-
19	पटना	18	-	14	-	18	04	14	-	7	-
20	पंजाब और हरियाणा	18	10	26	01	22	06	21	21	26	01
21	राजस्थान	13	-	17	-	15	03	10	-	4	-
22	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
23	तेलंगाना	05	-	06	-	04	07	13	02	7	-
24	त्रिपुरा	01	-	01	-	-	-	-01**	-	1	-
25	उत्तराखंड	-	01	-	-	01	-	2	-	1	-
	कुल	**236**	**57**	**233**	**37**	**232**	**99**	**229**	**93**	**219**	**37**

***वर्ष 2021 में, मेघालय उच्च न्यायालय में, 03 स्थायी न्यायाधीशों और 01 अपर न्यायाधीश की स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध, 04 स्थायी न्यायाधीश कार्यरत हैं, इसलिए स्थायी न्यायाधीशों का -01 पद रिक्त है ।**
****वर्ष 2022 में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय में, 04 स्थायी न्यायाधीशों और 01 अपर न्यायाधीश की स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध, 05 स्थायी न्यायाधीश कार्यरत हैं, इसलिए स्थायी न्यायाधीशों का -01 पद रिक्त है ।**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1593
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों में रिक्त पद और मामले

1593. श्री गिरीश चन्द्र :

श्री मनोज तिवारी :

श्री राहुल कस्वां :

इंजीनियर गुमान सिंह दामोर :

डॉ. संघमित्रा मौर्य :

श्री अरविंद सावंत :

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा :

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर :

डॉ. निशिकांत दुबे :

श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू :

श्री विनायक भाऊराव राऊत :

श्री संजय जाधव :

श्री एस. ज्ञानतिरावियम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न न्यायालयों और अधिकरणों में न्यायाधीशों के पदों के रिक्त होने के कारण न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है:

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अधिकरणों में न्यायाधीशों की स्वीकृत, वास्तविक संख्या और रिक्त पदों का न्यायालय/अधिकरण-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है:

(ग) इन सभी न्यायालयों में रिक्त पदों को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,

(घ) क्या इनमें अनेक मामले 10 और 15 वर्षों या उससे अधिक समय से लंबित हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ङ) क्या उच्चतर न्यायपालिका में आरक्षण का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) क्या सरकार का न्यायालय के निर्णयों/पत्राचार को ऑनलाइन करने का प्रावधान है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण,साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं । इनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और बहु मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं ।

न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों की जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में लंबित मामलों का विस्तृत न्यायालय-वार विवरण क्रमशः **उपाबंध 1, उपाबंध 2** और **उपाबंध 3** पर दिया गया है ।

(ख) : न्यायाधिकरणों में स्वीकृत, कार्यशील संख्या और रिक्ति के बारे में जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत, वास्तविक/कार्यशील संख्या और रिक्ति स्थिति को दर्शाने वाला एक विस्तृत विवरण क्रमशः **उपाबंध** -4 और **उपाबंध** 5 में है ।

(ग) : उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। अतः, उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने का समय नहीं बताया जा सकता है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रहती हैं ।

जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका के मामले में, जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के चयन, भर्ती और नियुक्ति में संविधान के अधीन केंद्रीय सरकार की कोई भूमिका नहीं है। संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है। इस प्रकार, अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से ऐसा करते हैं ।

(घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 21.03.2023 तक 30 से 50, 30 से 40, 40 से 50 और 50 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले क्रमशः 22, 20, 2, 0 हैं। उच्चतम न्यायालय में 10 और 15 वर्ष से कोई मामला लंबित नहीं है. उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के मामले में, 24 जुलाई, 2023 को राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10 और 15 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

24.07.2023* को लंबित मामलों का विवरण निम्नानुसार है					
क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**10 वर्ष से लंबित मामले**	**15 वर्ष से लंबित मामले**	**15 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले**	
				20 से 30 वर्ष से लंबित मामले	**30 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामले**
1	उच्च न्यायालय	1,83,146	1,11,847	2,17,010	71,204
2	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	8,73,587	3,09,792	5,20,588	1,01,837

*स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के क्षेत्र में है। न्यायालयों में मुकदमों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं है।

(ङ) : उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। तथापि, सरकार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता के लिए प्रतिबद्ध है और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं से संबंधित उपयुक्त अभ्यर्थियों पर उचित विचार किया जाए।

(च): राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। ई- न्यायालय परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य न्यायालयों को आईसीटी सक्षम बनाकर देश की न्यायिक प्रणाली को बदलना और न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाना है, जिससे न्याय वितरण प्रणाली को सुलभ, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। परियोजना के दूसरे चरण के अधीन जिसे 2015 से 2023 तक कार्यान्वित किया गया। 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया। सभी हितधारक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चय से संबंधित जानकारी तक पहुंच सकते हैं। 03.07.2023 तक, वादी 23.34 करोड़ से अधिक मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ई- न्यायालय सेवाएँ जैसे मामला रजिस्ट्रीकरण, वाद सूची, मामला की स्थिति, दैनिक आदेश और अंतिम निर्णय का विवरण वादियों और अधिवक्ताओं के लिए ई-कोर्ट वेब पोर्टल https://ecourts.gov.in/ecourts_home/के साथ-साथ ई- न्यायालय सेवा मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं।

उच्च न्यायालय के निर्णयों को ' निर्णय और आदेश खोज' पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। निर्णय खोज' खंड तक https://judgments.ecourts.gov.in पर पहुंचा जा सकता है, जिसमें बेंच द्वारा खोज, मामला का प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इस पोर्टल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक निःशुल्क टेक्स्ट सर्च इंजन का उपयोग करना है, जो किसी दिए गए कीवर्ड या कीवर्ड के संयोजन के आधार पर निर्णय ढूंढता है।

****

उपाबंध- 1

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

01.07.2023 को उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले	69,766

स्रोत्र :- उच्चत्तम न्यायालय वेबसाइट

उपाबंध- 2

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालय में 26.07.2023* को लंबित मामलों की संख्या		
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय का नाम**	**लंबित मामलों की कुल संख्या**
1	इलाहाबाद	1039879
2	बंबई	700214
3	राजस्थान	652093
4	मद्रास	551953
5	मध्य प्रदेश	445498
6	पंजाब और हरियाणा	442805
7	कर्नाटक	278405
8	आंध्र प्रदेश	247095
9	तेलंगाना	252901
10	पटना	203291
11	कलकत्ता	203637
12	केरल	189728
13	गुजरात	165487
14	ओडिशा	145908
15	दिल्ली	110951
16	हिमाचल प्रदेश	95184
17	छत्तीसगढ	91332
18	झारखंड	85840
19	गुवाहाटी	60635
20	उत्तराखंड	48000
21	जम्मू - कश्मीर	45150
22	मणिपुर	5034
23	त्रिपुरा	1174
24	मेघालय	1148
25	सिक्किम	157
	कुल	**6063499**

*स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी)।

उपाबंध- 3

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालय में 24.07.2023* को लंबित मामलों की संख्या		
क्र.सं.	राज्य	लंबित मामलों की कुल संख्या
1	उत्तर प्रदेश	11635286
2	महाराष्ट्र	5121209
3	बिहार	3508123
4	पश्चिमी बंगाल	2908921
5	राजस्थान	2273368
6	मध्य प्रदेश	2012302
7	कर्नाटक	1926412
8	केरल	1885878
9	गुजरात	1697326
10	हरियाणा	1532073
11	ओडिशा	1531155
12	तमिलनाडु	1474434
13	दिल्ली	1229741
14	पंजाब	914800
15	तेलंगाना	909793
16	आंध्र प्रदेश	852215
17	हिमाचल प्रदेश	543461
18	झारखंड	526160
19	असम	467874
20	छत्तीसगढ	410118
21	उत्तराखंड	336583
22	जम्मू और कश्मीर	317884
23	चंडीगढ़	82417
24	गोवा	56545
25	त्रिपुरा	45856
26	पुदुचेरी	34084
27	मेघालय	15930
28	मणिपुर	12641
29	अंदमान और निकोबार	8786
30	मिजोरम	5851
31	सिलवासा में डीएनएच	4075
32	नागालैंड	3316
33	दीव और दमण	3091
34	सिक्किम	1816
35	अरुणाचल प्रदेश	1387
36	लद्दाख	1225
	कुल	4,42,92,136

स्रोत :- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनडीजी).

उपाबंध- 4

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

24.07.2023 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्य संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	उच्चतम न्यायालय	34			32			02		
आ.	उच्च न्यायालयों	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	74	21	95	45	20	65
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	22	5	27	6	4	10
3	बंबई	71	23	94	40	26	66	31	-3	28
4	कलकत्ता	54	18	72	33	19	52	21	-1	20
5	छत्तीसगढ	17	5	22	10	5	15	7	0	7
6	दिल्ली	46	14	60	41	3	44	5	11	16
7	गुवाहाटी	22	8	30	15	9	24	7	-1	6
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	9	0	9	4	4	8
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	12	4	16	1	0	1
11	झारखंड	20	5	25	19	1	20	1	4	5
12	कर्नाटक	47	15	62	37	13	50	10	2	12
13	केरल	35	12	47	28	6	34	7	6	13
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	34	0	34	5	14	19
15	मद्रास	56	19	75	47	16	63	9	3	12
16	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	ओडिशा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19	पटना	40	13	53	33	0	33	7	13	20
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	22	60	26	-1	25
21	राजस्थान	38	12	50	34	0	34	4	12	16
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	25	2	27	7	8	15
24	त्रिपुरा	4	1	5	3	0	3	1	1	2
25	उत्तराखंड	9	2	11	8	0	8	1	2	3
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**621**	**152**	**773**	**219**	**122**	**341**

17.01.2022 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्य संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**32**			**2**		
आ.	**उच्च न्यायालयों**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**
1	इलाहाबाद	120	40	160	74	19	93	46	21	67
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	20	0	20	8	9	17
3	बंबई	71	23	94	52	08	60	19	15	34
4	कलकत्ता	54	18	72	30	09	39	24	09	33
5	छत्तीसगढ	17	05	22	10	03	13	07	02	09
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहाटी	18	06	24	17	06	23	01	0	01
8	गुजरात	39	13	52	32	0	32	07	13	20
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	08	01	09	02	02	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	13	0	13	0	04	04
11	झारखंड	19	06	25	19	01	20	0	05	05
12	कर्नाटक	47	15	62	39	06	45	08	09	17
13	केरल	35	12	47	27	12	39	08	0	08
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	29	0	29	11	13	24
15	मद्रास	56	19	75	45	15	60	11	04	15
16	मणिपुर	04	01	05	03	01	04	01	0	01
17	मेघालय	03	01	04	03	0	03	0	01	01
18	ओडिशा	20	07	27	18	0	18	02	07	09
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	43	06	49	21	15	36
21	राजस्थान	38	12	50	28	0	28	10	12	22
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	19	0	19	13	10	23
24	त्रिपुरा	04	01	05	05	0	05	-01	1	0
25	उत्तराखंड	09	02	11	07	0	07	02	02	04
	कुल	**829**	**269**	**1098**	**600**	**87**	**687**	**229**	**182**	**411**

01.01.2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्य संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**30**			**4**		
आ.	**उच्च न्यायालयों**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**
1	इलाहाबाद	120	40	160	82	14	96	38	26	64
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	18	0	18	10	09	19
3	बंबई	71	23	94	49	15	64	22	08	30
4	कलकत्ता	54	18	72	32	02	34	22	16	38
5	छत्तीसगढ	17	05	22	13	01	14	04	04	08
6	दिल्ली	45	15	60	30	0	30	15	15	30
7	गुवाहाटी	18	06	24	17	03	20	01	03	04
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	0	09	01	03	04
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	11	0	11	02	04	06
11	झारखंड	19	06	25	17	0	17	02	06	08
12	कर्नाटक	47	15	62	26	20	46	21	-05	16
13	केरल	35	12	47	30	07	37	05	05	10
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	29	0	29	11	13	24
15	मद्रास	56	19	75	52	10	62	04	09	13
16	मणिपुर	04	01	05	04	01	05	0	0	0
17	मेघालय	03	01	04	04	0	04	-01	01	0
18	ओडिशा	20	07	27	15	0	15	05	07	12
19	पटना	40	13	53	22	0	22	18	13	31
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	42	11	53	22	10	32
21	राजस्थान	38	12	50	23	0	23	15	12	27
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	18	06	24	14	0	14	04	06	10
24	त्रिपुरा	04	0	04	04	0	04	0	0	0
25	उत्तराखंड	09	02	11	08	01	09	01	01	02
	कुल	**815**	**264**	**1079**	**583**	**85**	**668**	**232**	**179**	**411**

01.01.2020 को भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण

		स्वीकृत संख्या			कार्य संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	**उच्चतम न्यायालय**	**34**			**33**			**1**		
आ.	**उच्च न्यायालयों**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**	**स्था.**	**अति.**	**कुल**
1	इलाहाबाद	76	84	160	67	40	107	09	44	53
2	आंध्र प्रदेश	28	09	37	15	0	15	13	09	22
3	बंबई	71	23	94	55	15	70	16	08	24
4	कलकत्ता	54	18	72	22	18	40	32	0	32
5	छत्तीसगढ	17	05	22	11	04	15	06	01	07
6	दिल्ली	45	15	60	36	0	36	09	15	24
7	गुवाहाटी	18	06	24	15	06	21	03	0	03
8	गुजरात	39	13	52	27	0	27	12	13	25
9	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	09	01	10	01	02	03
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	08	0	08	05	04	09
11	झारखंड	19	06	25	17	02	19	02	04	06
12	कर्नाटक	47	15	62	19	21	40	28	-06	22
13	केरल	35	12	47	27	05	32	08	07	15
14	मध्य प्रदेश	40	13	53	31	0	31	09	13	22
15	मद्रास	56	19	75	46	09	55	10	10	20
16	मणिपुर	04	01	05	04	0	04	0	01	01
17	मेघालय	03	01	04	03	0	03	0	01	01
18	ओडिशा	20	07	27	14	0	14	06	07	13
19	पटना	40	13	53	26	0	26	14	13	27
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	17	55	26	04	30
21	राजस्थान	38	12	50	21	0	21	17	12	29
22	सिक्किम	03	0	03	03	0	03	0	0	0
23	तेलंगाना	18	06	24	12	01	13	06	05	11
24	त्रिपुरा	04	0	04	03	0	03	01	0	01
25	उत्तराखंड	09	02	11	09	01	10	0	01	01
	कुल	**771**	**308**	**1079**	**538**	**140**	**678**	**233**	**168**	**401**

उपाबंध- 5

'न्यायालयों में रिक्ति पद और मामले' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 1593 जिसका उत्तर 28.07.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले तीन वर्षों* के लिए जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत संख्या (स्वी.सं.), कार्य संख्या (का. सं.) और रिक्ति (रि.) स्थिति

	31.12.2020 के अनुसार			31.12.2021 के अनुसार			12.2022 के अनुसार			25.07.2023 के अनुसार		
राज्य का नाम	**स्वी.सं.**	**का. सं.**	**रि.**	**स्वी.सं.**	**का. सं.**	**रि.**	**स्वी.सं.**	**का. सं.**	**रि.**	**स्वी.सं.**	**का सं.**	**रि.**
अंदमान और निकोबार	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13
आंध्र प्रदेश	607	510	97	607	492	115	607	534	73	618	544	74
अरुणाचल प्रदेश	41	32	9	41	32	9	41	33	8	42	33	9
असम	466	412	54	467	436	31	485	425	60	485	443	42
बिहार	1936	1433	503	1954	1394	560	2016	1349	667	2016	1554	462
चंडीगढ़	30	26	4	30	30	0	30	30	0	30	29	1
छत्तीसगढ	480	387	93	482	409	73	527	437	90	556	431	125
डी एंड एन हवेली	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	2	1
दमण और दीव	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0
दिल्ली	799	649	150	862	689	173	884	681	203	887	706	181
गोवा	50	40	10	50	40	10	50	40	10	50	40	10
गुजरात	1521	1152	369	1523	1123	400	1582	1151	431	1582	1186	396
हरियाणा	772	493	279	772	482	290	772	464	308	772	576	196
हिमाचल प्रदेश	175	161	14	175	160	15	179	163	16	179	160	19
जम्मू-कश्मीर	296	255	41	300	241	59	314	223	91	314	227	87
झारखंड	675	544	131	675	523	152	694	508	186	694	503	191
कर्नाटक	1357	1071	286	1363	1077	286	1365	1132	233	1367	1125	242
केरल	538	470	68	569	488	81	595	473	122	603	523	80
लद्दाख	16	8	8	17	9	8	17	9	8	17	9	8
लक्षद्वीप	3	3	0	3	3	0	4	4	0	4	3	1
मध्य प्रदेश	2021	1610	411	2021	1552	469	2021	1649	372	2028	1607	421
महाराष्ट्र	2190	1940	250	2190	1940	250	2190	1940	250	2190	1940	250
मणिपुर	54	36	18	59	42	17	59	42	17	59	42	17
मेघालय	97	49	48	97	49	48	99	57	42	99	57	42
मिजोरम	64	43	21	65	42	23	74	41	33	74	41	33
नागालैंड	33	26	7	34	24	10	34	24	10	34	24	10
ओडिशा	950	756	194	976	785	191	1001	767	234	1003	808	195
पुदुचेरी	26	11	15	26	11	15	28	11	17	29	11	18
पंजाब	692	593	99	692	607	85	797	589	208	797	587	210
राजस्थान	1489	1292	197	1548	1274	274	1587	1256	331	1616	1358	258
सिक्किम	25	20	5	28	20	8	30	21	9	35	23	12
तमिलनाडु	1298	1049	249	1316	1082	234	1340	1068	272	1364	1046	318
तेलंगाना	474	378	96	474	425	49	560	410	150	560	415	145
त्रिपुरा	120	97	23	122	97	25	128	108	20	128	109	19
उत्तर प्रदेश	3634	2581	1053	3634	2542	1092	3647	2474	1173	3694	2484	1210
उत्तराखंड	297	255	42	299	271	28	299	269	30	299	277	22
पश्चिमी बंगाल	1014	918	96	1014	918	96	1014	918	96	1014	918	96
कुल	**24247**	**19319**	**4928**	**24492**	**19328**	**5164**	**25077**	**19319**	**5758**	**25246**	**19858**	**5388**

*स्रोत: एमआईएस पोर्टल, न्याय विभाग

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2537
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय में मामलों का स्थगन

2537. श्री हैबी ईडन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्चतम न्यायालय में किसी मामले की तैनाती और स्थगन की तारीखों के संबंध में सूचना रखी है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस सीमा के क्या कारण है;

(ख) उच्चतम न्यायालय में 30 से अधिक बार स्थगित किए गए मामलों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उच्चतम न्यायालय में एसएनसी-लवलीन मामले की सुनवाई कितनी बार स्थगित की गई है, और

(घ) क्या सरकार का उक्त मामले में विलंब के कारणों का अन्वेषण/जांच करने का विचार है और यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी नहीं, विभाग ना तो उच्चतम न्यायालय में मामलों की प्रविष्टि और स्थगन की तारीखों से संबंधित सूचना रखता है, न ही उन मामलों की संख्या से संबंधित जानकारी रखता है जिनका उक्त न्यायालय में 30 बार से अधिक स्थगन हुआ है । मामलों का न्यायनिर्णयन और निपटान न्यायपालिका के अनन्य क्षेत्राधिकार के भीतर हैं और केन्द्रीय सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है ।

(ग) और (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई किए गए विनिर्दिष्ट मामलों से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है । मामले में सुनवाई करना और न्यायनिर्णयन जिसमें स्थगन प्रदान करना शामिल है, न्यायपालिका द्वारा न्यायिक कार्य में किए जाते हैं और सरकार की उक्त मामले में कोई भूमिका नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2540
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

पुराने लंबित मामले

2540. श्रीमती शारदा अनिल पटेल :

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न न्यायालयों में 50 वर्षों से अधिक समय से लंबित आपराधिक और दीवानी मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने न्यायालयों को इन पुराने मामलों को समयबद्ध कार्यक्रम के अंदर निपटाने का कोई निर्देश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्देश के बाद कितने मामलों का निपटान किया गया है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने सूचित किया है कि एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना तंत्र (आईसीएमआईएस) से प्राप्त डाटा के अनुसार 50 वर्ष से अधिक समय से लंबित कोई मामला नहीं है । उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के मामले में, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर, 31 जुलाई, 2023 को यथा विद्यमान सूचना के अनुसार, लंबित सिविल और दांडिक मामलों की संख्या निम्नानुसार है :--

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	50 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या		
		सिविल मामले	दांडिक मामले	कुल
1.	उच्च न्यायालय	1062	1	1063
2.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय	787	347	1134

स्रोत : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

(ख) और (ग) : उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा समय पर निपटारा करने के लिए उसके विभिन्न निर्णयों/आदेशों के माध्यम से नियमित आधार पर, अन्य न्यायालयों को निदेश दिए जाते हैं । उदाहरण के लिए, इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2012) 2एससीसी 688] के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोट किया कि जबकि उसका उच्च न्यायालयों पर अधीक्षण करने का कोई अधिकार नहीं है तथा भारत के संविधान के अधीन उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, किंतु अंतिम न्यायालय के रूप में और पूर्ण न्याय करने की उसकी शक्तियों के प्रयोग में, उच्चतम न्यायालय ने दांडिक मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों को कतिपय मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए थे । इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में उच्चतम न्यायालय ने जोर दिया कि उच्च न्यायालयों को योग्य दांडिक मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने या विचारण के अनुसरण में अन्वेषण को रोकने के अपने आदेश के प्राधिकार को यदा कदा ही उपयोग करना चाहिए । ऐसी शक्ति को मामले के त्वरित निपटारे के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए सम्यक् सावधानी और सतर्कता के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए । ऐसी शक्ति का एक बार प्रयोग हो जाने पर, उच्च न्यायालयों को उस मामले पर दृष्टि रखनी चाहिए, जहां उन्होंने अन्वेषण और विचारण को रोकने की अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग किया है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि उच्च न्यायालयों को यथासंभव शीघ्र, किंतु रोकादेश जारी होने की तारीख से छह मास के भीतर प्राथमिकता के आधार पर ऐसी कार्यवाहियों का निपटारा करना सुनिश्चित करना चाहिए ।

जमानत आवेदनों के नहीं सुने जाने की सांस्थानिक समस्या के उपचार हेतु तथा ऐसे आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए, उच्चतम न्यायालय ने अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य [(2021) 2एससीसी 427] के मामले में, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को मामलों के लंबन और निपटारे को मानिटर करने के लिए संसाधन के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) का उपयोग करने के लिए जोर दिया । उच्चतम न्यायालय ने यह और निदेश दिया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को उनकी प्रशासनिक क्षमताओं में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय तक पहुंच लोकतांत्रिक हो गई है तथा जमानत आवेदनों को नहीं सुने जाने की समस्या का समाधान हो गया है और उसका त्वरित ढंग से निपटारा किया जा रहा है, उनके पास उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए ।

उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालयों तथा जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए उपाय विरचित करने हेतु बकाया समितियों का गठन भी किया है ।

भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, समय पर निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय के निदेशों के पश्चात् निपटाए गए मामलों की संख्या के संबंध में सूचना रजिस्ट्री द्वारा नहीं रखी जाती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2563
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिक्तियां

2563. श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वर्तमान में उक्त फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीशों और अधिकारियों की अन्य श्रेणियों की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त न्यायालयों में रिक्तियों को भरने के लिए कोई उपाय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : देश मे त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसी सहित) अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना, उस राज्य सरकार जो संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करती हैं, के क्षेत्राधिकार के भीतर है । 14वें विधि आयोग (एफसी) ने विनिर्दिष्ट गंभीर प्रकृति के मामलों, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग व्यक्तियों, असाध्य बीमारी से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों के त्वरित विचारण के लिए वर्ष 2015-2020 के दौरान 18,00 त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) की स्थापना करने की सिफारिश की हैं । वित्त आयोग ने इस प्रयोजन के लिए कर न्यायगमन (32 % से 42 %) के माध्यम से उपलब्ध वृद्धित वित्तीय स्थान का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों से और आग्रह किया है । संघ सरकार ने भी 2015-2016 से त्वरित निपटान न्यायालय को स्थापित करने के लिए आबंटित निधियों से राज्य सरकार को आग्रह किया है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार 832 त्वरित निपटान न्यायालय 31.05.2023 तक देश में कार्यरत हैं ।

दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने 1023 विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससीएस) जिसमें अक्टूबर, 2019 से बलात्संग और पॉक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए 389 अनन्य लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (ई-पॉक्सो) न्यायालय शामिल हैं, को स्थापित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के

अनुसार 758 त्वरित निपटान न्यायालय जिसमें 412 अनन्य पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं, 29 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं जिन्होने 1,69,000 से अधिक मामलों का निपटान किया हैं जब कि 31 मई, 2023 तक 1,95,797 मामले इन न्यायालयों में लंबित हैं । इनमें अनन्य पॉक्सो न्यायालयों ने 1,08,000 से अधिक मामलों का निपटान किया हैं जब कि 1,30,000 से अधिक मामले लंबित हैं ।

संवैधानिक ढ़ांचे के अनुसार जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की चयन और नियुक्ति के लिए संबंधित उच्च न्यायालय और राज्य सरकार उत्तरदायी है । त्वरित निपटान न्यायालयों/विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों में न्यायाधीशों और अधिकारियों की अन्य श्रेणीयों की रिक्तियों के ब्यौरें केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2597
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता

2597. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :

डॉ. डी. एन. वी. सेथिल कुमार एस :

डॉ. सुभाष रामराव भामरे :

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले :

श्री कुलदीप राय शर्मा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में शामिल प्राधिकरणों/संस्थानों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) सहित इन प्राधिकरणों संस्थानों को मजबूत बनाने का विचार है और यदि हा, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक और वर्तमान वर्ष के दौरान एनएएलएसए सहित इन प्राधिकरणों/संस्थानों द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास एनएएलएसए सहित इन प्राधिकरणों/संस्थानों के कार्यकरण/कार्य-निष्पादन की निगरानी हेतु कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने न्याय बंधु (निःशुल्क विधिक सेवाएं) कार्यक्रम भी आरम्भ किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके अंतर्गत कितने निःशुल्क अधिवक्ताओं और लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थान स्थापित किए गए हैं:-

i. राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ।

ii. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलएससी) ।

iii. उच्च न्यायालय स्तर पर 39 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (एचसीएलएससी) ।

iv. राज्य स्तर पर 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए) ।

v. जिला स्तर पर 703 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ।

vi. तालुक स्तर पर 2341 तालुक विधिक सेवा समितियाँ (टीएलएससी) ।

(ख) और (ग) : सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरणों/संस्थानों को मजबूत करने के लिए सहायता अनुदान के रूप में सभी सहायता प्रदान करती है । सरकार द्वारा अनुदान सहायता के अधीन वार्षिक आधार पर एनएएलएसए को धनराशि आबंटित और जारी की जाती है । सरकार द्वारा एनएएलएसए को पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान क्रमशः 100 करोड़ रु., 145 करोड़ रु. और 190 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देश भर में मुफ्त विधिक सहायता, लोक अदालत, विधिक जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न विधिक सहायता क्रियाकलापों के लिए आबंटित/जारी किए गए हैं । चालू वर्ष अर्थात् 2023-24 के लिए, एनएएलएसए को 200 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता आबंटित की गई हैं जिसमें से सरकार द्वारा अब तक 50 करोड़ जारी किए जा चुके हैं । पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एनएएलएसए द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों को आबंटित धनराशि का विवरण **उपाबंध-क** पर है ।

(घ) : विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए, एनएएलएसए को सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) से मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट प्राप्त होती है, जिसमें किसी विशेष महीने में की गई सभी क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला जाता है । इसके पश्चात्, एनएएलएसए द्वारा मासिक आधार पर एक अंतिम क्रियाकलाप रिपोर्ट सरकार को भेजी जाती है, जिसकी समीक्षा और संकलन किया जाता है । मासिक क्रियाकलाप रिपोर्ट के अतिरिक्त्, एनएएलएसए सभी एसएलएसए से भी वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है ।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन विधिक सहायता के कामकाज का आंकलन करने के लिए कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय पर विभाग-संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है। इसके अतिरिक्त्, एनएएलएसए द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए अक्सर अखिल भारतीय बैठकें और क्षेत्रीय बैठकें भी आयोजित की जाती हैं । इसके अतिरिक्त्, विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों पर एनएएलएसए और न्याय विभाग के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें भी आयोजित की जाती हैं ।

(ङ) और (च) : जी हां । सरकार ने प्रो-बोनो की संस्कृति को आगे बढ़ाने और देश भर में प्रो-बोनो विधिक सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) शुरू किया है । यह विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों को नि:शुल्क प्रो-बोनो अधिवक्ताओं से जोड़ता है । कार्यक्रम के अधीन, विधिक प्रो-बोनो कार्य करने में रुचि रखने वाले

व्यवसायरत अधिवक्ता, प्रो-बोनो (निःशुल्क) विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र सीमांत लाभार्थियों के साथ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जुड़े हुए हैं । 30 जून, 2023 तक, न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन पर कुल 10231 अधिवक्ता रजिस्ट्रीकृत थें और 1870 लाभार्थी प्रो बोनो अधिवक्ता की सेवा का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रीकृत थें ।

****

उपाबंध 1

संसद् सदस्य श्री अमोल रामसिंह कोल्हे और अन्य द्वारा पूछे गए "गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता" से संबंधित लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2597, जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरणः-

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विधिक सहायता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवंटित निधियों को दर्शाने वाले विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (12.07.2023तक)
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	5,00,000	0
2	आंध्र प्रदेश	3,40,00,000	5,00,00,000	4,65,00,000	0
3	अरुणाचल प्रदेश	1,00,00,000	1,40,00,000	5,00,00,000	1,50,00,000
4	असम	3,70,00,000	6,40,00,000	7,40,00,000	2,00,00,000
5	बिहार	3,70,00,000	7,60,00,000	9,25,00,000	1,75,00,000
6	चंडीगढ़	80,00,000	55,00,000	60,00,000	25,00,000
7	छत्तीसगढ़	3,95,00,000	5,25,00,000	6,65,00,000	2,00,00,000
8	दादरा और नागर हवेली	2,50,000	0	10,00,000	0
9	दमण और दीव	2,50,000	0	0	5,00,000
10	दिल्ली	5,00,00,000	9,30,00,000	12,25,00,000	0
11	गोवा	50,00,000	15,00,000	45,00,000	25,00,000
12	गुजरात	3,45,00,000	5,75,00,000	8,80,00,000	2,00,00,000
13	हरियाणा	4,50,00,000	6,50,00,000	7,60,00,000	1,50,00,000
14	हिमाचल प्रदेश	1,85,00,000	2,45,00,000	3,90,00,000	1,25,00,000
15	जम्मु-कश्मीर	3,50,00,000	4,65,00,000	6,60,00,000	2,00,00,000
16	झारखंड	4,00,00,000	7,35,00,000	7,00,00,000	2,00,00,000
17	कर्नाटक	6,25,00,000	7,50,00,000	9,20,00,000	2,00,00,000
18	केरल	5,25,00,000	9,90,00,000	8,00,00,000	0
19	लद्दाख	0	65,00,000	45,00,000	10,00,000
20	लक्षद्वीप	0	0	5 ,00,000	0
21	मध्य प्रदेश	3,00,00,000	5,00,00,000	7,40,00,000	2,50,00,000
22	महाराष्ट्र	6,25,00,000	8,25,00,000	9,60,00,000	0
23	मणिपुर	1,00,00,000	1,05,00,000	1,90,00,000	50,00,000
24	मेघालय	50,00,000	50,00,000	2,60,00,000	0
25	मिजोरम	50,00,000	1,15,00,000	2,15,00,000	35,00,000
26	नागालैंड	50,00,000	1,15,00,000	2,75,00,000	0
27	ओडिशा	3,25,00,000	4,25,00,000	7,60,00,000	1,50,00,000
28	पुडुचेरी	10,00,000	20,00,000	92,00,000	0
29	पंजाब	3,25,00,000	6,40,00,000	6,16,00,000	1,75,00,000
30	राजस्थान	4,55,00,000	7,00,00,000	8,40,00,000	1,75,00,000
31	सिक्किम	50,00,000	65,00,000	1,65,00,000	30,00,000
32	तमिलनाडु	4,20,00,000	6,00,00,000	8,10,00,000	2,00,00,000
33	तेलंगाना	3,50,00,000	4,10,00,000	5,05,00,000	2,00,00,000
34	त्रिपुरा	2,80,00,000	2,65,00,000	3,40,00,000	75,00,000
35	उत्तर प्रदेश	6,50,00,000	6,00,00,000	11,80,00,000	2,50,00,000
36	उत्तराखंड	2,50,00,000	2,55,00,000	3,55,00,000	75,00,000
37	पश्चिमी बंगाल	5,20,00,000	7,00,00,000	8,80,00,000	1,75,00,000
38	उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति	1,00,00,000	1,00,00,000	90,00,000	0
39	मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति	0	0	1,25,00,000	0
	कुल	**1,00,00,00,000**	**1,45,30,00,000**	**1,92,08,00,000**	**37,05,00,000**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2598
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश की अदालतों में दीवानी और फौजदारी मामले

2598. श्री राजवीर दिलेर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में कितने फौजदारी और दीवानी मामले लंबित है;

(ख) उत्तर प्रदेश में निचली अदालतों द्वारा विभिन्न फौजदारी और दीवानी मामलों को निपटाने में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों और विगत तीन वर्षों के दौरान भरे गए रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रिक्त पदों के कारण मामलों के निपटान पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन हाल ही में किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, तारीख 01.08.2023 तक उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित सिविल और दाण्डिक मामलों की संख्या क्रमश: 18,69,280 और 97,84,280 हैं ।

(ख) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जिला न्यायपालिका/विचारण न्यायालयों के द्वारा वर्ष 2022 के दौरान सिविल और दाण्डिक मामलों के निपटान में लगे औसतन समय को जिला-वार उपाबंध-1 में दिया गया है ।

(ग) : इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 01.08.2023 तक उत्तर प्रदेश राज्य में रिक्त न्यायालयों/न्यायिक अधिकारियों के पदों के काडर-वार ब्यौरें निम्नानुसार हैं:--

क्र. सं.	काडर	रिक्तियां
1	उच्चतर न्यायिक सेवा	448
2	सिविल न्यायाधीश (ज्येष्ठ प्रभाग)	389
3	सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ प्रभाग)	394

पिछले तीन वर्षों के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार हैं:--

क्र.सं.		
1	01 जनवरी, 2020 से 31 दिसंबर, 2020	199
2	01 जनवरी, 2021 to 31 दिसंबर, 2021	182
3	01 जनवरी, 2022 to 31 दिसंबर, 2022	05

(घ) और (ङ) : न्यायालयों में मामलों के निपटान को प्रभावित करने वाला केवल न्यायाधीशों की रिक्तियां ही कारण नहीं है । न्यायालयों मे मामलों का निपटान अन्य विभिन्न कारणों से भी प्रभावित होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालय कर्मचारी की उपलब्धता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारी अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी और मुकदमेबाजों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपायोजन सहित तथ्यों की जठिलता शामिल हैं । अन्य कारक, जो मामलों की लंबितता को बढ़ाते हैं, जिसमें मामलों के विभिन्न प्रकारों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और निगरानी, ट्रैक और सुनवाई के लिए मामलों की अधिकता के लिए पर्याप्त व्यवस्था की कमी शामिल हैं ।

यद्यपि, हाल ही में मामलों के निपटान पर रिक्त पदों के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया है ।

****

उपाबंध- 1

'उत्तर प्रदेश न्यायालयों में सिविल और दाण्डिक मामलों' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. †2598 जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उत्तर प्रदेश की जिला न्यायपालिका/विचारण न्यायालयों में 2022 के दौरान दाण्डिक और सिविल मामलों के निपटान में लगा औसतन समय जिला-वार

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 2022 (दिनों में) के दौरान निपटान में लगा औसतन समय (सिविल मामलों में)	वर्ष 2022 (दिनों में) के दौरान निपटान में लगा औसतन समय (दाण्डिक मामलों में)	वर्ष 2022 (दिनों में) के दौरान निपटान में लगा औसतन समय (कुल)
1	आगरा	1862	376	500.03
2	अलीगढ़	547.5	638.75	630.13
3	इलाहाबाद	1685	581	855.45
4	अंबेडकरनगर	3030.41	6989.48	6577.95
5	औरैया	182.61	438.84	401.61
6	आजमगढ़	185	203	198.84
7	बागपत	830	370	421.33
8	बहराईच	3164.5	4232.4	4069.18
9	बलिया	2514	1056	1392.14
10	बलरामपुर	2285	2311	2307.46
11	बाँदा	910	737	762.7
12	बाराबंकी	2759	1190	1409.59
13	बरेली	1403.27	737.78	827.85
14	बस्ती	62	170	150.8
15	भदोही	1085	714	759.53
16	बिजनौर	1076	612	682.57
17	शाहजहांपुर	2107	987	1051.88
18	बुलन्दशहर	1576	1286	1326.26
19	चंदौली	1788	1177	1271.41
20	चित्रकूट	1288	1975	1930.39
21	देवरिया	2914	1088	1729.32
22	एटा	80	65	65.86
23	इटावा	1095	730	766.18
24	फैजाबाद	9646	8738	8840.16
25	फर्रूखाबाद	5364	4827	4876.83
26	फ़तेहपुर	5805	5490	5503.7
27	फिरोजाबाद	700	988	949.48
28	जी.बी.नगर	1405	106	138.45
29	गाज़ियाबाद	3662	3469	3477.9
30	गाजीपुर	2130	2246	2238.87
31	गोंडा	1891	2998	2805.04
32	गोरखपुर	214.51	30.6	43.29
33	हमीरपुर	2108	1784	1799.77
34	हापुड़	650.86	1367.01	1313.1
35	हरदोई	1737	888	1076.55
36	हाथरस	2083	945	1153.85
37	उरई में जालौन	1591	635	847.42
38	जौनपुर	3285	1095	1555.47
39	झांसी	6570	2555	2946.28
40	जे. पी. नगर (अमरोहा)	487	513	509.75

41	कन्नौज	749.3	632.8	652.74
42	कानपुर देहात	911.38	548.82	588.98
43	कानपुर नगर	4179	143	693.45
44	कासगंज	85.47	48.13	49.8
45	कौशांबी	1046	1621	1517.89
46	कुशीनगर	2257	2058	2093.97
47	लखीमपुर खीरी	1417	988	1060.08
48	ललितपुर	1641	861	895.23
49	लखनऊ	11167	9265	9478.72
50	महाराजगंज	2401	1752	1911.43
51	महोबा	3873	3268	3322.38
52	मैनपुरी	1115	975	995.86
53	मथुरा	1737	2796	2732.19
54	मऊ	3060.5	2122.71	2295.82
55	मेरठ	1489	1892	1868.56
56	मिर्जापुर	3693	3988	3914.66
57	मुरादाबाद	1866	546	657.72
58	मुजफ्फर नगर	1769	1338	1379.57
59	पीलीभीत	1659	799	860.08
60	प्रतापगढ़	2438	1413	1653.61
61	रायबरेली	3249	3668	3539.67
62	रामपुर	8342	5622	5929.49
63	सहारनपुर	650	380	395.42
64	संभल	1095.2	912.5	931.32
65	संतकबीरनगर	2239.35	2403.8	2387.21
66	शाहजहांपुर	1628	867	946.43
67	शामली	1450	3512	3302.81
68	श्रावस्ती	6794	8316	8228.66
69	सिद्धार्थनगर	3260	998	1176.49
70	सीतापुर	208	177	182.62
71	सोनभद्र	1140	826	858.58
72	सुल्तानपुर	691.06	451.19	506.3
73	उन्नाव	1105.96	571.09	669.65
74	वाराणसी	1779	481	701.96

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2617
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की पारदर्शी नियुक्ति हेतु योजना

2617. श्री राहुल कस्वां :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए, है/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया को ऑनलाइन करके और इसे इंटरनेट सुविधा से जोड़कर कागजी कार्रवाई को कम कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ): उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह बनाने और प्रणाली में निष्पक्षता लाने के लिए, सरकार ने संविधान (निन्यानबेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 तारीख 13.04.2015 से प्रवृत्त किया । हालाँकि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.10.2015 के निर्णय के माध्यम से दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया । कॉलेजियम संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के लागू होने से पहले विद्यमान प्रणाली को प्रभावी घोषित किया गया था ।

इसके पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.12.2015 के आदेश के अधीन सरकार को पात्रता मानदंडों, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना और शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (जिसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं) के परामर्श से विद्यमान एमओपी को पूरक करके अंतिम रूप देने का निर्देश दिया । भारत सरकार ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात्, विद्यमान एमओपी में प्रस्तावित परिवर्तन और एमओपी का प्रारूप तारीख 22.03.2016 के पत्र के माध्यम से भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को भेजा था । सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (एससीसी) की प्रतिक्रियाएं तारीख 25.05.2016 और तारीख 01.07.2016 को प्राप्त हुईं । एससीसी के विचारों के प्रत्युत्तर

में सरकार की टिप्पणियों से तारीख 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अवगत कराया गया । एससीसी ने तारीख 13.03.2017 को एमओपी के प्रारूप पर सरकार के विचारों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान कीं । न्यायाधीशों की नियुक्ति में सम्मिलित मुद्दों को हल करने के सुझावों के साथ सरकार के रुख को सचिव (न्याय) के तारीख 11.07.2017 के पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के महासचिव को अवगत कराया गया था । नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक खोज-सह-मूल्यांकन समिति की स्थापना करके अधिक मजबूत मूल्यांकन प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया ।

भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को तारीख 06.01.2023 के अपने हालिया पत्र में, सरकार ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है । तारीख 6.01.2023 के पत्र में, सरकार ने उच्चतम न्यायालय से फिर अनुरोध किया कि संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिनिधिक और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर भेजे गए विभिन्न सुझावों पर विचार किया जाए ।

ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट देश की जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के आईसीटी सक्षमता के लिए एक राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना है, जिसका उद्देश्य न्यायालय की प्रक्रियाओं को तेज करके और मामले की स्थिति, आदेशों/निर्णयों, आदि की जानकारी का पारदर्शी ऑनलाइन प्रवाह प्रदान करके न्यायपालिका के साथ-साथ वादियों, वकीलों और अन्य हितधारकों को निर्णय के मामलों में तेजी से निपटान की सुविधा प्रदान करना है । सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों के सार्वभौमिक कंप्यूटरीकरण और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सक्षम करने के अपने उद्देश्य के साथ, न्याय विभाग भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के साथ निकट समन्वय में ई-कोर्ट परियोजना द्वितीय चरण को कार्यान्वित कर रहा है । द्वितीय चरण तक, 18,735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है । डब्ल्यू.ए.एन. परियोजना के भाग के रूप में, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों में से 99.4% को कनेक्टिविटी प्रदान की गई है । राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) का उपयोग करके, वकील और मुकदमेबाज 23.34 करोड़ मामलों और 22.21 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरी क्योंकि सामूहिक मोड में भौतिक सुनवाई और सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करते हुए, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों ने लगभग 2.77 करोड़ मामलों की सुनवाई की है और उच्चतम न्यायालय ने करीब 4.82 लाख मामलों की सुनवाई की थी । यातायात संबंधी अपराधों की सुनवाई के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं और 419.89 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया है । डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, 25 उच्च न्यायालयों के अंतर्गत 819 ई-सेवा केंद्रों को क्रियाशील बनाया गया है । वकीलों/वादियों को मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि पर तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्मों या सेवा वितरण चैनलों के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जाती हैं । गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है । जजमेंट सर्च पोर्टल उच्च न्यायालयों के निर्णयों की प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध करा रहा है । ई-कोर्ट परियोजना को राष्ट्रीय ख्याति के कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ।

केंद्रीय बजट 2023-2024 में, भारत सरकार ने 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण की घोषणा की । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर, व्यय वित्त समिति ने 23.02.2023 को हुई अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ई-कोर्ट के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2624
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

आम आदमी के लिए सुलभ न्यायिक व्यवस्था

2624. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 सितम्बर, 2021 को कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल, बंगलौर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम, जिसमें स्वर्गीय न्यायमूर्ति एम. एम. शांतनगौदर को श्रद्धांजलि दी गई, में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है कि इस बात के दृष्टिगत कि किसी भी न्यायिक प्रणाली का केंद्रीय बिंदु वादी के लिए न्याय है, ऐसी न्यायिक प्रणालियों की आवश्यकता पर बल दिया गया है जहां आम आदमी को न्यायालय में न्यायाधीशों/न्यायिक प्राधिकारियों के पास जाने में डर न लगे और उनके समक्ष सच बोलने में संकोच न हो;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : भारतीय संविधान के अधीन न्यायपालिका एक स्वतंत्र साधन है । इस प्रकार न्यायालयों के समक्ष मुकदमों को लाने वाले व्यवहार तथा प्रक्रिया के नियम स्वयं न्यायालय द्वारा विरचित किए जाते हैं । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 तथा अनुच्छेद 225 के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में क्रमश: न्यायालय के व्यवहार और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं । केंद्रीय सरकार की उक्त मामले में सीधे कोई भूमिका नहीं होती है ।

(ग) : केंद्रीय सरकार न्यायपालिका के स्वतंत्रता के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है तथा न्याय परिदान को सहायता प्रदान करने के लिए एक सहायक पर्यावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है । सरकार मुकदमों के न्याय प्रदान करने के कार्य में न्यायपालिका की सहायता के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है । सरकार द्वारा अपनाएं गए बहु कदम के विवरण निम्नलिखित के अधीन है:-

i. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10035 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है ।

ii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है । कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है । 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है । वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है । 815 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो । 18 राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं । 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 408 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है । ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को शामिल करने का आशय रखता है ।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भर्ती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए । मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
31.07.2023	25,246	19858

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं । जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है ।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है । 31.05.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 832 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं । निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र स्थापित किए गए हैं । सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है ।

vi. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है । तद्नुसार , तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है । यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है । लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है । राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	पूर्व-मुकदमेबाजी मामले	लंबित मामले	सकल योग
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	6,82,32,800	2,26,81,224	9,09,14,024

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और

पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा**

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	45,81,912		44,66,376	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है। उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2631
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्याय बंधु योजना

2631. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न्याय बंधु योजना के अंतर्गत कितने निःशुल्क क्लब कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या न्याय विभाग के अधिकारी निःशुल्क क्लबों के कार्यकरण का आकलन करने के लिए नियमित रूप से विधि शिक्षा संस्थानों का दौरा करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2021 से निःशुल्क क्लबों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने के लिए विधि कॉलेजों को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : भारत सरकार के न्याय विभाग (डीओजे) ने युवा विधिक बुद्धि में प्रो-बोनो विधिक सेवाओं की संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2020 में प्रो-बोनो क्लब योजना प्रारंभ की थी । वर्ष 2020 से, 89 विधि विद्यालयों को शामिल किया गया । इन प्रो-बोनो क्लबों की कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए, समय-समय पर डीओजे से अधिकारियों द्वारा विधि विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है और ओरिएंटेशन कार्यक्रमों और मासिक बैठकों (ऑफलाइन और ऑनलाइन) में प्रो-बोनो क्लब के सदस्यों के साथ नियमित आधार पर बातचीत की गई है । इन विधि विद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे प्रो-बोनो क्लब के अधीन विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) है । इसमें व्यापक तौर पर वकीलों को प्रो-बोनो मुकदमेबाजी सहायता प्रदान करना, पूरे वर्ष प्रो-बोनो सेवाओं के लिए कतिपय संख्या में घंटों को देना, आसपास के गांवों में सामुदायिक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करना, अनुसंधान और दस्तावेजी कार्य करना तथा वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना आदि शामिल है । प्रत्येक प्रो-बोनो क्लबों को केवल दो वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख रूपए का वार्षिक अनुदान दिया जाता है । प्रो-बोनो क्लबों को वार्षिक रिपोर्ट जमा करनी होती है । 15 जुलाई, 2023 तक इन विधि विद्यालयों को 11.8 करोड़ रुपए का वितरण किया जा चुका है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2663
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

तेलंगाना उच्च न्यायालय में रिक्ति

2663. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता :

डॉ. जी. रणजीत रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 11 पद रिक्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तेलंगाना उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये पद कब से रिक्त पड़े है;

(घ) सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए है;

(ङ) क्या न्यायालयों और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाये जाने की मांगे की जाती रही हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : 31.07.2023 तक 42 स्वीकृत पद संख्या में से तेलंगाना उच्च न्यायालय में 30 न्यायाधीश (25 स्थायी और 05 अतिरिक्त) कार्यरत हैं जिसमें से 12 पद (07 स्थायी और 05 अतिरिक्त) रिक्त पड़े हैं । वर्तमान मे तेलंगाना उच्च न्यायालय के चार प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं । उच्च न्यायालय कॉलेजियम से और सिफारिशें तेलंगाना उच्च न्यायालय में शेष 08 रिक्तियों के संबंध में ग्रहण की जानी हैं । तेलंगाना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सबसे पुरानी रिक्तियां 30.05.2022 की हैं ।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 और 28 अक्टूबर, 1998 (तीन न्यायाधीशों का मामला) की उनकी सलाहकारी राय के साथ पठित 06 अक्टूबर, 1993 (दूसरा न्यायाधीशों का मामला) के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में 1998 मे तैयार की गई संगम ज्ञापन प्रक्रिया में अधिकथित प्रक्रिया के अधीन नियुक्त किए जाते हैं । संगम ज्ञापन प्रक्रिया के अनुसार उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों

की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों का आरंभ किया जाना संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित हैं । उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से रिक्तियां होने से छह माह पूर्व उच्च न्यायालय न्यायाधीश की रिक्ति को भरने के लिए प्रस्ताव का आरंभ किया जाना अपेक्षित है । सरकार, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में केवल उन्ही व्यक्तियों को नियुक्ति करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की गई है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सतत्, एकीकृत और समन्वयकारी प्रक्रिया है । राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से सलाह और अनुमोदन अपेक्षित हैं । नियमित अंतरालों पर सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा उन्ही नामों की सिफारिश ग्रहण करती है जिन्हें प्रक्रिया ज्ञापन के उपबंधों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया है । जब कि विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया गया है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या न्यायाधीशों के उन्नयन के कारण हो रही हैं और न्यायधीशों की पद संख्या में वृद्धि भी एक कारण है ।

उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ के अलावा अन्य स्थानों में उच्च न्यायालयों की अतिरिक्त न्यायपीठों को, जसवंत सिंह आयोग और उस राज्य से, जो आवश्यक व्यय और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करता है, पूर्ण प्रस्तावों पर सम्यक् विचार-विमर्श के पश्चात् शीर्ष न्यायालय की रिट याचिका (सि) सं. 2000 की 379 में दिए गए निर्णय द्वारा की गई सिफारिशों और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति जिनसे उच्च न्यायालय के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन की देखरेख करना अपेक्षित है, की सिफारिश के अनुसार स्थापित किया गया है । पूर्ण प्रस्ताव पर संबंधित राज्य के राज्यपाल की सहमति भी होनी चाहिए ।

उच्च न्यायालय न्यायपीठों को स्थापित करने के लिए अनुरोध समय-समय पर विभिन्न संगठनों से ग्रहण किए गए हैं । यद्यपि, वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय की न्यायपीठ (न्यायपीठों) की स्थापना से संबंधित कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

07.04.2013 को मुख्य न्यायमूर्तियों और मुख्यमंत्रियों की हुई संयुक्त संगोष्टि में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की 25 % संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया था । तद्नुसार तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीश पद संख्या 09 जून, 2021 को 24 से बढ़ाकर 42 कर दी गई थी ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2692
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों के पदों को भरने हेतु प्रयास

2692. श्री दयानिधि मारन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और न्यायाधीशों की वास्तविक संख्या के संबंध में राज्यमद-वार वर्तमान आकड़े क्या हैं और इन के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की कमी को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे है;
(ख) क्या सरकार उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बना रही है, विशेष रूप से न्यायाधीशों के वे स्वीकृत पद जो वर्तमान में खाली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस समय कितने बैकलॉग मामले हैं और इन बैकलॉग मामलों से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है;
(घ) पिछले नौ वर्षों के दौरान, विशेषकर निचली अंदालतों में न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार लाने में क्या प्रगति हुई है; और
(ङ) न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवंटित धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और 2014 से इस उद्देश्य के लिए वर्ष-वार कितना धन आवंटित और खर्च किया गया?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : संवैधानिक ढांचे के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 233 और 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, संबंधित राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से संबंधित राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति के मुद्दों से संबंधी नियमों और विनियमों को विरचित करती है। इस प्रकार, अधीनस्थ/जिला न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों का चयन और नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। कुछ राज्यों में, संबंधित उच्च न्यायालय भर्ती प्रक्रिया करते हैं, जबकि अन्य राज्यों में, उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से ऐसा करते हैं।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की अपेक्षा होती है। सरकार को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित नाम प्राप्त होते हैं, जिन्हें प्रक्रिया ज्ञापन के उपबंधों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन

के लिए संसाधित किया जाता है। जबकि विद्यमान रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदत्याग या उन्नयन के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण भी उत्पन्न होती रहती हैं।

31.07.2023 तक, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की 02 रिक्तियाँ हैं। जहां तक उच्च न्यायालयों का संबंध है, 1114 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले 778 न्यायाधीश कार्यरत हैं और न्यायाधीशों के 336 पद रिक्त हैं। इन 336 रिक्तियों के लिए, उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 137 प्रस्ताव सरकार और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं और शेष 199 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी तक उच्च न्यायालय कॉलेजियम से प्राप्त नहीं हुई हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की स्वीकृत, कार्यशील शक्ति और रिक्त पद का विस्तृत विवरण क्रमशः **उपाबंध-1** पर और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए **उपाबंध-2** पर है।

(ग) : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों/बैकलॉग का विस्तृत विवरण **उपाबंध**-3 पर है।

जहां तक जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बैकलॉग से निपटने की रणनीतियों की बात है, यह न्यायपालिका के विशेष क्षेत्र में आता है और केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। तथापि, केंद्रीय सरकार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से, सरकार ने कई पहल की हैं जिनका विवरण इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

i. न्यायिक अवसंरचना के केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम के अधीन, न्यायालय हालों, न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर, वकीलों के हॉल, शौचालय परिसरों और डिजिटल कंप्यूटर कक्षों के निर्माण के लिए राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को निधियाँ जारी की जा रहा हैं, जिससे वकीलों और वादियों के जीवन में आसानी होगी, जिसके द्वारा न्याय परिदान करने में सहायता करना है। आज की तारीख के अनुसार, 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) की शुरुआत के बाद से 10035 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से बढ़कर 30.06.2023 को 21,365 हो गई है, और आवासीय इकाइयों की संख्या 30.06.2014 को 10,211 से बढ़कर 30.06.2023 को 18,846 हो गई है ।
ii. इसके अतिरिक्त, ई-न्यायालय मिशन मोड परिस्कीम के अधीन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की आईटी सक्षमता के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाया गया है। कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अब तक बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.4% न्यायालय परिसरों में वैन संयोजकता प्रदान की गई है। वीडियो

कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा 3,240 न्यायालय परिसरों और 1,272 संबंधित जेलों के बीच सक्षम की गई है। 815 ई-सेवा केंद्र न्यायालय परिसरों में स्थापित किए गए हैं जिससे वकीलों और वादकारियों को मामले की स्थिति, निर्णय/आदेश प्राप्त करने, न्यायालय/मामले से संबंधित जानकारी और ई-फाइलिंग सुविधाओं से संबंधित सहायता की आवश्यकता हो। 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 31.05.2023 तक, इन न्यायालयों ने 3.113 करोड़ रुपए से अधिक मामलों को संभाला है और 408 करोड़ रुपए से अधिक के जुर्माना की वसूली की है। ई-न्यायालय का चरण III शुरू होने वाला है, जो सभी हितधारकों के लिए न्याय वितरण को अधिक मजबूत, आसान और सुलभ बनाने के लिए नवीनतम तकनीक जैसे कृतिम आसूचना (एआई) और ब्लॉक चेन को सम्मिलित करने का आशय रखता है ।

iii. सरकार नियमित रूप से उच्च न्यायपालिका में रिक्तियों को भरती रही है । 01.05.2014 से 10.07.2023 तक उच्चतम न्यायालय में 56 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 919 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 653 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1114 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	**स्वीकृत संख्या**	**कार्यरत पद संख्या**
31.12.2013	19,518	15,115
01.08.2023	25,246	19858

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

iv. अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए 25 उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है।

v. चौदहवें वित्त आयोग के तत्वावधान में, सरकार ने जघन्य अपराधों ; वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों आदि से अंतर्वलित मामले से निपटने के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना की है। 31.05.2023 की स्थिति के अनुसार, जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 832त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक इस स्कीम में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जुड़ गए है ।

vi. लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के विचार से सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

vii. वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का पूरे मनोयोग से संवर्धन किया गया है। तद्नुसार , तारीख 20 अगस्त, 2018 को संशोधित वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और

निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का संशोधन किया गया है। विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

viii. लोक अदालत सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। यह एक ऐसा मंच है जहां न्यायालय या पूर्व-मुकदमेबाजी के स्तर पर लंबित विवादों/मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा/समझौता किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन, लोक अदालत द्वारा किए गए एक पंचाट को एक सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है और यह सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है और किसी भी अदालत के समक्ष इसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है। लोक अदालत कोई स्थायी स्थापना नहीं है। राष्ट्रीय लोक अदालतें सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालयों में एक पूर्व निर्धारित तारीख पर एक साथ आयोजित की जाती हैं पिछले तीन वर्षों के दौरान लोक न्यायालयों में निपटान किए गए मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**पूर्व-मुकदमेबाजी मामले**	**लंबित मामले**	**सकल योग**
2021	72,06,294	55,81,743	1,27,88,037
2022	3,10,15,215	1,09,10,795	4,19,26,010
2023(17.06.2023 तक)	3,00,11,291	61,88,686	3,61,99,977
कुल	6,82,32,800	2,26,81,224	9,09,14,024

ix. सरकार ने 2017 में टेली-लॉ कार्यक्रम शुरू किया, जो ग्राम पंचायत में और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान्य सेवा केंद्रों (सामान्य सेवा केंद्र) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं के माध्यम से विधिक सलाह और पैनल वकीलों के साथ परामर्श की मांग करने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ।

***टेली-लॉ डेटा का प्रतिशतवार ब्यौरा**

28 फरवरी, 2023 तक	रजिस्ट्रीकृत मामले दर्ज	% वार ब्यौरा	सलाह सक्षम की गई	% वार ब्यौरा
लिंग वार				
महिला	15,75,140	34.38	15,35,775	34.39
पुरुष	30,06,772	65.62	29,30,601	65.61
जाति श्रेणी वार				
सामान्य	9,82,636	21.45	9,52,773	21.33
ओबीसी	13,28,505	28.99	12,93,153	28.95
एससी	14,88,971	32.50	14,53,283	32.54
एसटी	7,81,800	17.065	7,67,167	17.18
कुल	45,81,912		44,66,376	

x. देश में प्रो बोनो संस्कृति और प्रो बोनो वकालत को संस्थिकरण करने के लिए प्रयास किए गए हैं । प्रौद्योगिकीय कार्य ढांचा को कार्यान्वित किया गया है जहां प्रो बोनो कार्य के लिए अधिवक्ता अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए इच्छुक हैं वहां वे न्याय बंधु (एन्ड्राइड एन्ड आईओएस और एप्स) पर प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं । न्याय बंधु सेवाएं भी यूएमएएनजी प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं । अधिवक्ताओं का प्रो बोनो पैनल राज्य स्तर पर 21 उच्च न्यायालयों में आरंभ किया गया है । उदयीमान वकीलों में प्रो बोनो संस्कृति को उनके मन बैठाने के लिए प्रो बोनो क्लब 69 चयनित विधि विद्यालयों में आरंभ किए गए हैं।

(घ) और (ङ) : केंद्रीय सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच विहित निधि की साझेदारी पैटर्न मूल रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीयरूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के अधीन वित्तीय सहायता जारी करके राज्य सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करती है । यह स्कीम 1993-94 से क्रियान्वित की जा रही है । इसमें जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवासों का निर्माण सम्मिलित है । 25,215 की स्वीकृत संख्या और 19,876 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के मुकाबले 30.06.2023 तक 21,365 न्यायालय हॉल और 18,846 आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं ।

स्कीम की शुरुआत से अब तक इसके अधीन 10035.35 करोड़ रुपये की राशि जारी किए गए हैं, जिसमें से 2014-15 से 6591.04 करोड़ रु. (65.68%) जारी किए गए हैं । इस स्कीम को 5307.00 करोड़. रुपये के केंद्रीय हिस्सेदारी समेत 9000 करोड़ रु.बजटीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है । न्यायालय हॉल और आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के अलावा, इस स्कीम में अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में वकीलों के हॉल, डिजिटल कंप्यूटर कमरे और शौचालय परिसरों का निर्माण भी सम्मिलित है । 2014-15 से 2022-23 तक निधियों का और जारी किया गया आवंटन **उपाबंध-4** के अनुसार है ।

सरकार निचली और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है । स्कीम के समयबद्ध और उचित कार्यान्वयन के लिए, स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार निगरानी तंत्र विद्यमान हैं ।

राज्य में संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक उच्च न्यायालय स्तरीय निगरानी समिति है, और इसमें अन्य हितधारक भी होते हैं, जैसे उच्च न्यायालय के महारजिस्ट्रार, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, राज्य के विधि/गृह सचिव और राज्य लोक निर्माण विभाग के सचिव सदस्य के रूप है । यह समिति स्कीम के अधीन चल रही परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए हर छह महीने में बैठक करती है ।

इसके अलावा, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए न्याय विभाग में सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति है ।

इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों का नियमित दौरा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं ।

लोक वित्तीय प्रबंधन (पीएफएमएस) से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर राज्य के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) भी आयोजित किए जाते हैं, जिसके माध्यम से धन जारी किया जाता है और उपयोग की निगरानी की जाती है ।

****

उपाबंध- 1

"न्यायाधीशों के पद भरने हेतु प्रयास'' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2692 जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, कार्य संख्या और रिक्तियों को दर्शाने वाला विवरण (31.07.2023 के अनुसार)

		स्वीकृत संख्या			कार्यरत संख्या			रिक्तियाँ		
अ.	उच्चतम न्यायालय	34			32			02		
आ.	उच्च न्यायालयों	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल	स्था.	अति.	कुल
1	इलाहाबाद	119	41	160	73	21	94	46	20	66
2	आंध्र प्रदेश	28	9	37	23	5	28	5	4	9
3	बंबई	71	23	94	40	26	66	31	-3	28
4	कलकत्ता	54	18	72	33	19	52	21	-1	20
5	छत्तीसगढ	17	5	22	10	4	14	7	1	8
6	दिल्ली	46	14	60	41	3	44	5	11	16
7	गुवाहाटी	22	8	30	15	9	24	7	-1	6
8	गुजरात	39	13	52	29	0	29	10	13	23
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	12	0	12	1	4	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	12	4	16	1	0	1
11	झारखंड	20	5	25	19	1	20	1	4	5
12	कर्नाटक	47	15	62	38	13	51	9	2	11
13	केरल	35	12	47	32	2	34	3	10	13
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	33	0	33	6	14	20
15	मद्रास	56	19	75	47	16	63	9	3	12
16	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	उड़ीसा	24	9	33	21	0	21	3	9	12
19	पटना	40	13	53	33	0	33	7	13	20
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	38	22	60	26	-1	25
21	राजस्थान	38	12	50	34	0	34	4	12	16
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	25	5	30	7	5	12
24	त्रिपुरा	4	1	5	3	0	3	1	1	2
25	उत्तराखंड	9	2	11	8	0	8	1	2	3
	कुल	**840**	**274**	**1114**	**628**	**150**	**778**	**212**	**124**	**336**

उपाबंध- 2

"न्यायाधीशों के पद भरने हेतु प्रयास'' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2692 जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में स्वीकृत , कार्यरत संख्या और रिक्ति की स्थिति (31.07.2023 के अनुसार)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कुल स्वीकृत पदसंख्या	कुल कार्यरत पदसंख्या	कुल रिक्तियाँ
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप*	0	13	-13
2.	आंध्र प्रदेश	618	544	74
3.	अरुणाचल प्रदेश	42	33	9
4.	असम	485	443	42
5.	बिहार	2016	1554	462
6.	चंडीगढ़	30	29	1
7.	छत्तीसगढ़	556	431	125
8.	दादर और नागर हवेली	3	2	1
9.	दमन और दीव	4	4	0
10.	दिल्ली	887	706	181
11.	गोवा	50	40	10
12.	गुजरात	1582	1186	396
13.	हरियाणा	772	576	196
14.	हिमाचल प्रदेश	179	160	19
15.	जम्मू-कश्मीर	314	227	87
16.	झारखंड	694	503	191
17.	कर्नाटक	1367	1125	242
18.	केरल	603	523	80
19.	लद्दाख	17	9	8
20	लक्षद्वीप	4	3	1
21.	मध्य प्रदेश	2028	1607	421
22.	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23.	मणिपुर	59	42	17
24.	मेघालय	99	57	42
25.	मिजोरम	74	41	33
26.	नागालैंड	34	24	10
27.	ओडिशा	1003	808	195
28.	पुडुचेरी	29	11	18
29.	पंजाब	797	587	210
30.	राजस्थान	1616	1358	258
31.	सिक्किम	35	23	12
32.	तमिलनाडु	1364	1046	318
33.	तेलंगाना	560	415	145
34.	त्रिपुरा	128	109	19
35.	उत्तर प्रदेश	3694	2484	1210
36.	उत्तराखंड	299	277	22
37.	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
	कुल	**25246**	**19858**	**5388**

स्रोत: एमआईएस पोर्टल, न्याय विभाग

* संघ राज्यक्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप और पश्चिमी बंगाल राज्य की संयुक्त स्वीकृत शक्ति, जैसा कि पश्चिमी बंगाल राज्य के लिए दिखाया गया है

उपाबंध- 3

"न्यायाधीशों के पद भरने हेतु प्रयास'' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2692 जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या		
क्र.सं.	**न्यायालय का नाम**	**लंबित मामलों की संख्या**
1.	उच्चतम न्यायालय *	69,766 (01.07.2023 के अनुसार)

2.	उच्च न्यायालय **	60,63,499 (01.08.2023 के अनुसार)
3.	जिला और अधीनस्थ न्यायालय **	4,44,25,209 (01.08.2023 के अनुसार)

*स्रोत:- भारत का उच्चतम न्यायालय
**स्रोतः-एनजेडीजी

उपाबंध- 4

"न्यायाधीशों के पद भरने हेतु प्रयास'' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न 2692 जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पुनरीक्षित प्राक्कलन	निधि जारी करना
1	2014-15	936.00	936.00
2	2015-16	562.99	562.99
3	2016-17	538.74	538.74
4	2017-18	621.21	621.21
5	2018-19	650.00	650.00
6	2019-20	982.00	982.00
7	2020-21	593.00	593.00
8	2021-22	770.14	684.14
9	2022-23	848.00	857.20

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2694
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

मामलों के निपटान की समय-सीमा

2694. श्री दीपक बैज :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की जिला अदालतों में बढ़ रहे दीवानी और आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए कोई समय-सीमा तय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार जिला अदालतों में लंबित मामलों के शीघ्र और त्वरित निपटान के लिए प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) देश की जिला अदालतों में लंबित दीवानी और आपराधिक मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी**,** नहीं । मामलों का निपटारा या निपटारे के लिए समय-सीमा नियत करना न्यायपालिका के विशिष्ट अधिकार-क्षेत्र में आता है और केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । इसलिए**,** देश के जिला न्यायालयों में सिविल और दांडिक मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा नियत करने हेतु सरकार द्वारा विचार करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) : ई-न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना के अधीन**,** सरकार ने देश में जिला/अधीनस्थ न्यायालयों के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईटीसी) प्रभावन के लिए प्रयास किए हैं । यह न्यायालय की प्रक्रिया को तेज करके और न्यायपालिका के साथ-साथ**,** वादियों**,** अधिवक्ताओं और अन्य पणधारियों को मामला प्रास्थिति**,** आदेश/निर्णय आदि पर सूचना के पारदर्शी ऑन-लाइन प्रवाह का उपबंध करके मामलों के तेजी से निपटारे को सुकर बनाएगा ।

सभी जिला और अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईटीसी) प्रभावन के उद्देश्य से**,** न्याय विभाग**,** भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के निकट समन्वय से ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 का कार्यान्वयन कर रहा है । चरण-2 में अब तक 18**,**735 जिला और अधीनस्थ न्यायालय कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं । संपूर्ण भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4**%** को डब्ल्यूएएन परियोजना (वैन परियोजना) के भाग के रूप में संपर्क प्रदान किया गया है । राष्ट्रीय न्यायिक

डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) का उपयोग करके अधिवक्ता और वादी, 23.34 करोड़ मामला प्रास्थिति तथा 22.21 करोड़ आदेशों/ निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, न्यायालयों के सहारे के रूप में उभरा, क्योंकि सामूहिक ढंग से भौतिक सुनवाईयां और सामान्य न्यायालय कार्यवाहियां संभव नहीं थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग करके जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने तथा उच्च न्यायालयों ने लगभग 2.77 करोड़ मामले सुने हैं और उच्चतम न्यायालय ने लगभग 4.82 लाख मामले सुने हैं । यातायात संबंधी अपराधों के विचारण हेतु 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 आभासी न्यायालय गठित किए गए हैं और 419.89 करोड़ रुपए से अधिक जुर्माना वसूल किया है । डिजिटल खाई को पाटने के लिए, 25 उच्च न्यायालयों के अधीन 819 ई-सेवा केन्द्र क्रियाशील किए गए हैं । अधिवक्ताओं/वादियों को मामला प्रास्थिति, वाद सूची, निर्णयों, आदि पर वास्तविक समय-सूचना प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफार्मों या सेवाप्रदान चैनलों के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । गुजरात, गोहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यायालय की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण आरंभ हो गया है । निर्णय खोज पोर्टल, उच्च न्यायालय के निर्णयों की प्रतियां नि:शुल्क प्रदान कर रहा है । ई-न्यायालय परियोजना को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के अनेक पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ।

संघ बजट 2023-2024 में, भारत सरकार ने, 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 घोषित किया । ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर, 23.02.2023 को हुई अपनी बैठक में व्यय वित्त समिति ने 7210 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 का अनुमोदन कर दिया है । इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाले सशक्त प्रौद्योगिकी समूह ने 21.06.2023 को अपनी बैठक में अनुमोदन के लिए ई-न्यायालय परियोजना, चरण-3 की सिफारिश मंत्रिमंडल से की है ।

(घ) : 31.07.2023 को देश के जिला न्यायालयों में लंबित सिविल और दांडिक मामलों को दर्शित करने वाला राज्यवार विस्तृत विवरण, **उपाबंध-1** पर है ।

****

उपाबंध 1

'मामलों के निपटान की समयसीमा' से संबंधित लोकसभा अतरांकित प्रश्न सं. †2694, **जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है, के उत्तर के भाग (घ) में निर्दिष्ट विवरण**

31.07.2023 को जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामले				
क्र.सं.	**राज्य**	**सिविल**	**दांडिक**	**दोनों**
1	अण्डमान और निकोबार	3343	5287	8630
2	आंध्र प्रदेश	417412	437582	854994
3	अरुणाचल प्रदेश	403	984	1387
4	असम	101498	369244	470742
5	बिहार	526587	2990092	3516679
6	चंडीगढ़	23257	59160	82417
7	छत्तीसगढ	79713	331271	410984
8	दिल्ली	240630	989172	1229802
9	दीव और दमन	1450	1637	3087
10	सिलवासा डीएनएच	1960	2130	4090
11	गोवा	26092	30579	56671
12	गुजरात	409327	1298017	1707344
13	हरियाणा	458943	1073130	1532073
14	हिमाचल प्रदेश	164105	382918	547023
15	जम्मू-कश्मीर	100888	218780	319668
16	झारखंड	88955	437654	526609
17	कर्नाटक	940836	992795	1933631
18	केरल	524143	1368494	1892637
19	लद्दाख	633	590	1223
20	मध्य प्रदेश	403318	1613043	2016361
21	महाराष्ट्र	1629295	3519527	5148822
22	मणिपुर	8319	4410	12729
23	मेघालय	4441	11511	15952
24	मिजोरम	2555	3297	5852
25	नगालैंड	621	2647	3268
26	ओडिशा	284803	1247904	1532707
27	पुदुचेरी	13461	20603	34064
28	पंजाब	398883	519386	918269
29	राजस्थान	561500	1719363	2280863
30	सिक्किम	629	1173	1802
31	तमिलनाडु	753954	724220	1478174
32	तेलंगाना	345482	567425	912907
33	त्रिपुरा	11689	32928	44617
34	उत्तर प्रदेश	1869280	9784280	11653560
35	उत्तराखंड	45499	293248	338747
36	पश्चिमी बंगाल	624148	2291214	2915362
कुल		**11068052**	**33345695**	**44413747**

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी)

******

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2710
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

महिलाओं के प्रति अपराध के मामले

2710. श्री थोमस चाजिकाडन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में महिलाओं के प्रति हिंसक अपराधों सहित लंबित मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, न्यायालय-वार और श्रेणी-वार संख्या कितनी है और इन लंबित मामलों के लिए चिह्नित कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त लंबित मामलों में वर्ष-वार और न्यायालय-वार कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई है;

(ग) निपटाए गए मामलों की संख्या कितनी है और उनके निपटान में न्यायालय-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार औसतन कितना समय लग रहा है;

(घ) क्या लंबित मामलों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव और न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : मामला विनिर्दिष्ट डाटा सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है । यद्यपि, मामला प्रास्थिति डाटा राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर रखा जाता है । एनजेडीजी पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के विस्तृत विवरण **उपाबंध-1** पर हैं और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के **उपाबंध-2** पर हैं । उच्चतम न्यायालय के मामले में एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना तंत्र (आईसीएमआईएस) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान लंबित मामलों का विवरण **उपाबंध-3** पर हैं ।

न्यायालयों में मामलों की लंबितता में विभिन्न कारक जिम्मेदार हो सकते हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों, सहायक न्यायालय कर्मचारी की उपलब्धता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारी अर्थात् बार, अन्वेषण अभिकरण, साक्षी और मुकदमेबाजों का सहयोग और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित उपायोजन सहित तथ्यों की जठिलता शामिल हैं । अन्य कारक, जो मामलों की लंबितता को बढ़ाते हैं, जिसमें मामलों के विभिन्न प्रकारों के निपटान के लिए संबंधित न्यायालयों द्वारा विहित समय-सीमा की कमी, बार-बार स्थगन और निगरानी, ट्रैक और सुनवाई के लिए मामलों की अधिकता के लिए पर्याप्त

व्यवस्था की कमी शामिल हैं । यद्यपि, न्यायालय में लंबित मामलों निपटान न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के भीतर है, केन्द्रीय सरकार की न्यायालय में मामलों के निपटान में कोई भूमिका नहीं है ।

(ख) : पिछले पांच वर्षों में मामलों की लंबितता बढ़ने या घटाने का प्रतिशत दिखाने वाले विस्तृत विवरण वर्ष-वार उच्चतम न्यायालय के लिए **उपाबंध-4** पर हैं, उच्च न्यायालय में **उपाबंध-5** पर हैं और जिला और अधीनस्थ न्यायालय में **उपाबंध-6** पर हैं ।

(ग) : मामलों के निपटान के लिए लगे औसतन समय से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है, मामले का समय से निपटान न्यायपालिका के अनन्य क्षेत्राधिकार के भीतर है । एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना तंत्र (आईसीएमआईएस) से प्राप्त डाटा के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या, 15.03.2023 तक 9,602 थी । एनजेडीजी पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के मामले में क्रमश: निपटान किए गए मामलों की संख्या **उपाबंध-7** और **उपाबंध-8** पर हैं ।

(घ) और (ङ) : जी नहीं, विभाग द्वारा मामलों की लंबितता पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर और न्यायपालिका में आर्टिफिशीयल इंटेलिजंस संचालित करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन संचालित नहीं किया गया है ।

****

उपाबंध-1

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न. सं. 2710 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय में मामलों की लंबितता						
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**तारीख 31.12.2018 तक मामलों की लंबितता**	**तारीख 31.12.2019 तक मामलों की लंबितता**	**तारीख 31.12.2020 तक मामलों की लंबितता**	**तारीख 31.12.2021 तक मामलों की लंबितता**	**तारीख 31.12.2022 तक मामलों की लंबितता**
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	939475	944657	773408	803567	1032228
2	बंबई उच्च न्यायालय	287864	305962	559119	569018	610734
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	231576	228060	267431	225449	207898
4	गुवाहटी उच्च न्यायालय	33445	37243	51901	55649	58501
5	तेलंगाना उच्च न्यायालय		206413	236852	256518	254089
6	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	354833	193594	207762	222842	240238
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	63574	69316	75836	81001	91184
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	74536	80950	91195	100068	105271
9	गुजरात उच्च न्यायालय	114962	129184	142803	152130	161929
10	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	36177	54452	73862	82238	91210
11	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	64042	71693	63468	47761	44526
12	झारखण्ड उच्च न्यायालय	88932	58272	88445	88371	87992
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय	357604	271929	293259	265946	304444
14	केरल उच्च न्यायालय	192754	196823	214384	212525	197314
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	331388	357929	362932	413467	429743
16	मणिपुर उच्च न्यायालय	3062	2468	4374	4817	4865
17	मेघालय उच्च न्यायालय	782	757	1443	1578	1188
18	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	337231	353888	637148	447690	447886
19	राजस्थान उच्च न्यायालय	285012	459828	523600	574064	633787
20	सिक्किम उच्च न्यायालय	252	234	241	180	165
21	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	2977	2586	2347	1736	1601
22	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	34049	35407	38676	41922	45023
23	मद्रास उच्च न्यायालय	293004	272722	580770	579742	550083
24	उड़ीसा उच्च न्यायालय	167909	150562	172476	195161	164709
25	पटना उच्च न्यायालय	153486	172425	178835	225628	212106
	कुल	**4448926**	**4657354**	**5642567**	**5649068**	**5978714**

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ।

उपाबंध-2

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न. सं. 2710 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च न्यायालय में मामलों की लंबितता						
क्र.सं.	**राज्य**	**तारीख 31.12.2018 तक मामलों की लंबितता**	**तारीख 31.12.2019 तक मामलों की लंबितता**	**तारीख 31.12.2020 तक मामलों की लंबितता**	**तारीख 31.12.2021 तक मामलों की लंबितता**	**तारीख 31.12.2022 तक मामलों की लंबितता**
1	आंध्र प्रदेश	1068400	567096	635220	773952	829147
2	तेलंगाना		580193	674301	805622	1059401
3	अंडमान और निकोबार	10229	9795	0	0	11886
4	अरूणाचल प्रदेश	9652	10658			
5	असम	291960	301427	357197	417788	488800
6	बिहार	2502204	2714344	3158070	3379229	3445159
7	चंडीगढ़	56357	62955	57418	69502	79526
8	छत्तीसगढ़	267429	285025	324273	376220	411599
9	दिल्ली	834813	882366	955850	1082415	1293571
10	दमण और दीव	5468	5344	2777	2878	2901
11	सिलवासा, दादर और नागर हवेली			3502	3681	3770
12	गोवा	42783	49049	56545	59370	56375
13	गुजरात	1447459	1595813	1890667	1951550	1743723
14	हरियाणा	728097	853375	1100904	1281697	1458270
15	हिमाचल प्रदेश	256640	293706	416564	455949	476137
16	जम्मू-कश्मीर	163520	172769	215803	243026	299716
17	झारखंड	330607	365642	438567	495108	519156
18	कर्नाटक	1494608	1531008	1746886	1823103	1893265
19	केरल	1652509	1614277	1798342	1943255	1933363
20	लद्दाख			749	824	1154
21	मध्य प्रदेश	1354602	1455435	1690053	1876194	2000268
22	महाराष्ट्र	3531425	3821487	4516311	4881718	4982911
23	मणिपुर	6216	6516	10794	12802	12269
24	मेघालय	13584	13673	10403	14622	16135
25	मिजोरम	6154	6589	4699	5882	5142
26	नगालैंड	4994	3361	1539	2603	2966
27	ओडिशा	1319031	1433522	1382538	1519106	1559338
28	पुदुचेरी	27161	30094	0	34029	29831
29	पंजाब	602014	642327	814538	918858	922360
30	राजस्थान	1732308	1769823	1830462	2029814	2123475
31	सिक्किम	1208	1142	1570	1926	1843
32	तमिलनाडु	1084286	1137684	1288573	1363917	1432575
33	त्रिपुरा	58261	27491	41032	39204	40012
34	लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र	364	397			
35	उत्तर प्रदेश	6987417	7807863	8572092	9822224	10973480
36	उत्तराखंड	232338	195281	260564	301001	327350
37	पश्चिमी बंगाल	1950492	2048697	2380633	2589993	2772290
	कुल	**30074590**	**32296224**	**36639436**	**40579062**	**43209164**

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) ।

उपाबंध-3

<u>'महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न. सं. 2710 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्चतम न्यायालय में मामलों की लंबितता

वर्ष	वर्ष के अंत तक लंबित मामलों की कुल संख्या
2018	57,346
2019	59,859
2020	65,086
2021	70,239
2022	69,768

स्रोत: एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना तंत्र (आईसीएमआईएस), भारत का उच्चतम न्यायालय ।

उपाबंध-4

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न. सं. 2710 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्चतम न्यायालय में पिछले पांच वर्षों में ऐसे लंबित मामलों के बढ़ने या घटने का प्रतिशत

वर्ष	**वर्ष के अंत तक लंबित मामलों की कुल संख्या**	**% बढ़ना(+)/ घटना(-)**
2018	57,346	-
2019	59,859	(+)4.20%
2020	65,086	(+)8.03%
2021	70,239	(+)7.34%
2022	69,768	(-)0.68%

उपाबंध-5

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न. सं. 2710 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

उच्च न्यायालय में पिछले पांच वर्षों में ऐसे लंबित मामलों के बढ़ने या घटने का प्रतिशत

क्र.सं.	उच्च न्यायालयों में लंबितता की स्थिति	लंबित मामलों की संख्या	% बढना(+)/ घटना(-)
1	तारीख 31.12.2018 तक मामलों की लंबितता	4448926	-
2	तारीख 31.12.2019 तक मामलों की लंबितता	4657354	**(+)**4.48%
3	तारीख 31.12.2020 तक मामलों की लंबितता	5642567	**(+)**17.46%
4	तारीख 31.12.2021 तक मामलों की लंबितता	5649068	**(+)**0.12%
5	तारीख 31.12.2022 तक मामलों की लंबितता	5978714	**(+)**5.51%

उपाबंध-6

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न. सं. 2710 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में पिछले पांच वर्षों में ऐसे लंबित मामलों के बढ़ने या घटने का प्रतिशत

क्र.सं.	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबितता की स्थिति	लंबित मामलों की संख्या	% बढ़ना(+)/घटना(-)
1	तारीख 31.12.2018 तक मामलों की लंबितता	30074590	-
2	तारीख 31.12.2019 तक मामलों की लंबितता	32296224	**(+)**6.88%
3	तारीख 31.12.2020 तक मामलों की लंबितता	36639436	**(+)**11.85%
4	तारीख 31.12.2021 तक मामलों की लंबितता	40579062	**(+)**9.71%
5	तारीख 31.12.2022 तक मामलों की लंबितता	43209164	**(+)**6.09%

उपाबंध-7

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न. सं. 2710 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

तारीख 02.08.2023 तक उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल निपटाए गए मामले
1	इलाहाबाद उच्च न्यायालय	4857565
2	बंबई उच्च न्यायालय	3436481
3	कलकत्ता उच्च न्यायालय	1673144
4	गुवाहटी उच्च न्यायालय	554153
5	तेलंगाना उच्च न्यायालय	1581234
6	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय	856765
7	छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय	495739
8	दिल्ली उच्च न्यायालय	755756
9	गुजरात उच्च न्यायालय	1636941
10	हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय	478260
11	जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय	357502
12	झारखण्ड उच्च न्यायालय	694037
13	कर्नाटक उच्च न्यायालय	1756435
14	केरल उच्च न्यायालय	1732900
15	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	2577704
16	मणिपुर उच्च न्यायालय	52832
17	मेघालय उच्च न्यायालय	14838
18	ओडिशा उच्च न्यायालय	1475235
19	पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	2132556
20	राजस्थान उच्च न्यायालय	2602738
21	सिक्किम उच्च न्यायालय	2431
22	त्रिपुरा उच्च न्यायालय	43405
23	उत्तराखंड उच्च न्यायालय	278481
24	मद्रास उच्च न्यायालय	4476319
25	पटना उच्च न्यायालय	2321831
	कुल	**36845282**

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड ।

उपाबंध-8

'महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले' से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न. सं. 2710 जिसका उत्तर तारीख 04.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

तारीख 02.08.2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	कुल निपटाए गए मामले
1	अंदमान और निकोबार	38158
2	आंध्र प्रदेश	3236732
3	अरुणाचल प्रदेश	320
4	असम	1717234
5	बिहार	3802529
6	चंडीगढ़	308935
7	छत्तीसगढ	1843154
8	दिल्ली	3709285
9	दमण और दीव	20954
10	सिलवासा दादरा और नगर हवेली	17872
11	गोवा	409596
12	गुजरात	12297263
13	हरियाणा	4902236
14	हिमाचल प्रदेश	2359564
15	जम्मू-कश्मीर	792918
16	झारखंड	2155066
17	कर्नाटक	16238915
18	केरल	7259091
19	लद्दाख	4967
20	मध्य प्रदेश	11760416
21	महाराष्ट्र	20075116
22	मणिपुर	128484
23	मेघालय	71735
24	मिजोरम	28990
25	नगालैंड	3114
26	ओडिशा	2094540
27	पुदुचेरी	192416
28	पंजाब	5334190
29	राजस्थान	6715914
30	सिक्किम	38297
31	तमिलनाडु	9730967
32	तेलंगाना	3028365
33	त्रिपुरा	235708
34	उत्तर प्रदेश	22529521
35	उत्तराखंड	1451816
36	पश्चिमी बंगाल	4219181
कुल		148753559

स्रोत: - राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2723
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

वर्चुअल न्यायालयों की प्रगति

2723. श्री सय्यद ईमत्याज जलील :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24/7 वर्चुअल न्यायालयों की स्थापना में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन्हीं प्रायोगिक परियोजनाओं अथवा कार्यान्वयन की समय-सीमा सहित इस पहल की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) न्यायिक अकादमियों, विधि विश्वविद्यालयों, आईआईएम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा 24/7 वर्चुअल न्यायालयों पर अनुसंधान-अध्ययन हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए किन-किन मानदण्डों का उपयोग किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार विशेषकर न्यायाधीशों की भागीदारी के साथ वर्चुअल न्यायालयों की शुरूआत करके न्याय अनुपालन सुनिश्चित करते हुए और वर्चुअल न्यायालयों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया अपनाने के सिद्धांतों को बनाए रखेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इन चिंताओं के समाधान के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश या प्रोटोकॉल लागू किए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग): वर्चुअल न्यायालय एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य न्यायालय में वादी या वकील की उपस्थिति को समाप्त करना और वर्चुअल मंच पर मामलों का न्यायनिर्णयन करना है । न्यायालय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और वादियों को सूक्ष्म विवादों को निपटाने के लिए एक प्रभावी रास्ता प्रदान करने के लिए इस अवधारणा को विकसित किया गया है । वर्चुअल न्यायालय को एक न्यायाधीश द्वारा एक वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर प्रशासित किया जा सकता है जिसका अधिकार क्षेत्र पूरे राज्य तक फैल सकता है और 24X7 कार्य कर सकता है । वर्तमान में, वर्चुअल न्यायालय केवल यातायात चालान मामलों से संबंधित मामलों को निपटा रहे हैं, जिससे न केवल मुकदमेबाजी की लागत कम हुई है, बल्कि यातायात चालान मामलों के निवारण की प्रक्रिया भी सरल हो गई है । 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों (3,26,14,617) को निपटाया गया है और 39 लाख से अधिक

(39,16,405) मामलों में, तारीख 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये से अधिक ऑनलाइन जुर्माने की वसूली की गई है। भारत भर में वर्चुअल न्यायालयों के माध्यम से निपटाए गए मामलों का विवरण उपाबंध- । पर दिया गया है । तारीख 30.06.2023 तक, 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों जैसे दिल्ली (2), हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 22 ऐसे न्यायालय हैं ।

न्यायिक सुधारों पर कार्रवाई अनुसंधान और अध्ययन की अपनी योजना के अधीन विभाग समय-समय पर न्याय वितरण और न्यायिक सुधारों के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर योग्य संस्थानों से अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करता है । हाल ही में "भारतीय न्याय वितरण प्रणाली के अधीन वर्चुअल न्यायालय के विस्तार की गुंजाइश तलाशने" पर प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। एक्शन रिसर्च के अधीन सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उक्त योजना के लिए बनाई गई परियोजना मंजूरी समिति के अनुमोदन के अधीन हैं ।

(घ) और (ङ) : वर्चुअल न्यायालय की स्थापना एक प्रशासनिक मामला है जो पूरी तरह से न्यायपालिका और संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है, और केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

****

उपाबंध 1

देश भर में वर्चुअल न्यायालयों के माध्यम से निपटाए गए मामलों से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं0 2723, जिसका उत्तर 04/08/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण निम्न प्रकार है :

वर्चुअल न्यायालय के आंकड़े - **30.06.2023**						
क्र.सं.	स्थापन का नाम	प्राप्त	की गई कार्यवाही	लड़े गए	संदत्त चालान	चालान की रकम
1	असम यातायात विभाग	72415	72413	357	19022	13159081
2	छत्तीसगढ़ यातायात विभाग	101	87	0	37	81500
3	गुजरात यातायात विभाग	126716	74647	82	2718	171300
4	हरियाणा यातायात विभाग	821765	681342	1080	16992	12638701
5	हिमाचल प्रदेश यातायात विभाग	81631	57247	86	1954	4011753
6	जम्मू यातायात विभाग	157590	136152	880	38613	21420590
7	कर्नाटक यातायात विभाग	47857	47824	119	40576	338437490
8	कश्मीर यातायात विभाग	356434	356433	9300	75231	41025995
9	केरल (पुलिस विभाग)	635792	625069	1280	54717	28393893
10	केरल परिवहन विभाग	485190	476054	2971	79969	115151882
11	मध्य प्रदेश यातायात विभाग	46581	36028	57	1853	1315300
12	महाराष्ट्र परिवहन विभाग	40387	24349	20	1449	2348605
13	मेघालय यातायात विभाग	437	314	0	33	20000
14	सूचना शाखा दिल्ली यातायात विभाग	14133187	13712402	77223	1344606	954951505
15	ओडिशा यातायात सीटीसी-बीबीएसआर कमिश्नरेट	333416	307908	627	20615	19894001
16	पुणे यातायात विभाग	6080	6056	18	591	114250
17	राजस्थान यातायात विभाग	26497	23650	892	9708	6276170
18	तमिलनाडु यातायात विभाग	162337	143042	1333	78188	718829890
19	त्रिपुरा यातायात विभाग	354	353	1	4	2900
20	उत्तर प्रदेश यातायात विभाग	10238520	7569945	28769	501614	298422756
21	वर्चुअल न्यायालय दिल्ली (यातायात)	4773216	4734431	105500	1624555	1618662492
22	पश्चिमी बंगाल यातायात विभाग	67940	64293	76	3360	2039452
योग		**32614443**	**29150039**	**230671**	**3916405**	**4198908506**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2740
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

लद्दाख में न्यायालयों का आधुनिकीकरण

2740. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) का दर्जा दिए जाने के बाद लद्दाख में न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पूरी की गई/चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने लद्दाख में जिला न्यायालयों की अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ राज्यक्षेत्र का दर्जा दिए जाने के बाद लद्दाख में इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा लद्दाख में वंचित लोगों को न्याय दिलाने में सहायता करने के लिए कोई अन्य सहायता प्रदान की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लोक अदालत स्थापित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : वर्ष 2019 में लद्दाख को संघ राज्यक्षेत्र प्रास्थिति प्रदान किए जाने के पश्चात्, खुरबथान, कारगिल में न्यायिक अधिकारियों के साथ न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टरों सहित नए जिला न्यायालय परिसर का संनिर्माण किया जा रहा है । कारगिल जिले के द्रास, सांकू और जांस्कर में आवासीय क्वार्टरों सहित मुंसिफ न्यायालय परिसर का संनिर्माण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, जिला लेह में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय क्वार्टर सहित खालत्सी में मुंसिफ न्यायालय का संनिर्माण केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन दो वर्ष में पूरा करने के लक्ष्य से वर्ष 2023 में आरंभ किया गया है ।

(ख) : नए न्यायालय परिसर सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ आधुनिक अवसंरचनात्मक तकनीक पर संनिर्मित किये जा रहे है । जिला न्यायपालिका न्यायिक अवसंरचना के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन सरकार की सहायता और समर्थन से, विशेष विकास पैकेज के अधीन मेंलोंगथांग, लेह में सभी आधुनिक सुविधाओं सहित नई परियोजनाएं लेकर आ रही है ।

(ग) : संघ राज्यक्षेत्र प्रास्थिति दिए जाने के पश्चात् लद्दाख में न्यायिक अवसंरचना पर परियोजना की प्रगति के ब्यौरे **उपाबंध** पर हैं ।

(घ) और (ङ) : विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) का गठन अधिनियम की धारा 12 के अधीन समाविष्ट किए गए लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी नागरिक को आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय सुनिश्चित करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधिक प्रणाली का संचालन, समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देता है । लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए कार्य किया गया है इस प्रयोजन के लिए, तालुक न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थाए स्थापित की गई है । विगत दो वर्ष (2021-22 और 2022-2023) के दौरान कुल 3119 व्यक्ति लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई विभिन्न विधिक सेवाओं से लाभान्वित हुए थे ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान लोगों को उनके विधिक अधिकारों के बारे में जागरुक करने के लिए लद्दाख विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 612 विधिक सेवा शिविर भी आयोजित किए गए ।

संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख में, पक्षकारों के बीच मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए जिला कारगिल में वर्तमान वर्ष के दौरान दो लोक अदालतें आयोजित की गई थी । लद्दाख में आयोजित की गई लोक अदालतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं ।

संघ राज्यक्षेत्र के गठन के पश्चात् आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या ।	**उठाए गए मामलों की संख्या**	**निपटाए गए मामलों की संख्या**	**समझौता रकम**
16	3313	2762	8,99,32535/-रू0

****

उपाबंध

लोकसभा अतांरकित प्रश्न संख्या 2740 जिसका उत्तर 04.08.2023 को दिया जाना है के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण और लद्दाख में न्यायिक अवसंरचना और संनिर्माण की वर्तमान प्रास्थिति पर जिला-वार परियोजनाओं का विवरण ।

क्र. सं.	जिला	परियोजना	संनिर्माण की वर्तमान प्रास्थिति
1.	**कारगिल**	नए जिला न्यायालय परिसर, कारगिल	छत के स्तर तक ढांचा संरचना पूरी हो गई है और भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का पटिया स्तर पूरा हो गया है ।
		नए मुसिंफ/जेएमआईसी न्यायालय परिसर, द्रास	समापन कार्य प्रगति पर है
		नए मुसिंफ/जेएमआईसी न्यायालय परिसर, सांकू	खंदक और भूतल का कार्य पूरा हो गया है ।
		नए मुसिंफ/जेएमआईसी न्यायालय परिसर, जांस्कर	न्यायालय परिसर की चारदीवारी और आधार स्तर का कार्य प्रगति पर है ।
2.	**लेह**	मुसिंफ न्यायालय और आवासीय क्वार्टर खल्त्सी	वर्ष 2023 में दो वर्ष पूरा करने के लक्ष्य के साथ अभी कार्य आरंभ हुआ है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *338
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

प्रचालनरत फास्ट ट्रैक न्यायालय

***338. कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फास्ट ट्रैक न्यायालयों (एफटीसी) की स्थापना संबंधी, परियोजना, इनके माध्यम से मामलों के त्वरित निपटान के बारे में हाल ही के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और विशेष रूप से राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों में एफटीसी की कुल अनुशंसित संख्या में से प्रचालनरत एफटीसी के औसत कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है तथा अनुशंसित संख्या में एवं और अधिक संख्या में एफटीसी की स्थापना में विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(ख) हाल ही में वित्त आयोग में की गई परिकल्पना के अनुसार राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों को आवंटित निधियों का हिस्सा कितना-कितना है;

(ग) उक्त राज्यों में न्याय मित्र की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और मामलों के बैकलॉग की स्थिति से बचने के लिए एफटीसी द्वारा मामलों के समयबद्ध निपटान हेतु विद्यमान सख्त निगरानी तंत्र क्या है;

(घ) निःशुल्क विधिक सेवा योजना के अंतर्गत न्याय बंधु कार्यक्रम की राज्य-वार प्रगति रिपोर्ट क्या है; और

(ङ) अदालती कार्यवाहियों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग तंत्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड़) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ड़) उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

(क) और (ख) : फास्ट ट्रैक न्यायालय

फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीसी) की स्थापना और निधियों का आबंटन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालय स्थापित करते हैं। 14वें वित्त आयोग (2015-2020) ने महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, टर्मिनल रोग से संक्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित दीर्घकाल से लंबित मामलों और 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित संपत्ति संबंधी मामलों के निपटान के लिए 1800 एफटीसी की स्थापना की सिफारिश की थी । इसने राज्य सरकारों से इस प्रयोजन के लिए बढ़े हुए कर न्यागम (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध बढ़े हुए वित्तीय

स्थान का उपयोग करने का आग्रह किया था । उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून 2023 तक 843 फास्ट ट्रैक न्यायालय प्रचालित हैं ।

इन एफटीसी द्वारा मामलों के निपटान का ब्यौरा इस प्रकार है:

2020	2021	2022	2023 (30 जून, 2023 तक)	कुल
2,39,956	4,05,168	5,33,229	6,53,699	18,32,052

एफटीसी के कार्यात्मकता के लिए अलग-अलग राज्यों द्वारा अपने राज्य के बजट से आंवटित निधियों की जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है । फास्ट ट्रैक न्यायालयों के प्रदर्शन की निगरानी संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है ।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचालित एफटीसी की स्थिति इस प्रकार है:

राज्य	प्रचालित एफटीसी की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या				
		2020	2021	2022	2023 (30 जून, 2023 तक)	कुल
राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
छत्तीसगढ़	23	2877	5324	4158	1519	13878

फास्ट ट्रैक न्यायालय (एफटीएस) के अतिरिक्त, न्याय विभाग बलात्संग और पाक्सो अधिनियम से संबंधित मामलों की त्वरित विचारण और निपटान के लिए 389 विशेष पाक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल न्यायालय (एफटीएस) स्थापित करने की स्कीम क्रियान्यवित कर रहा है । उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून, 2023 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यात्मक एफटीएससी की संख्या **उपाबंध**-1 पर दी गई है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान के लिए 30 ईपाक्सो न्यायालयों सहित 45 एफटीएससी और छत्तीसगढ़ के लिए 11 ईपाक्सो न्यायालयों सहित 15 एफटीएससी सम्मिलित हैं । 2020-21 से 2023-24 (जून, 2023 तक) के दौरान राजस्थान और छत्तीसगढ़ को केंद्रीय भागीदारी जारी करने के संबंधी जानकारी **उपाबंध-2** पर दी गई है ।

स्कीम के कुशल कार्यान्वयन के लिए, न्याय विभाग राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित पुनर्विलोकन बैठकें आयोजित कर रहा है । शेष एफटीएससी के प्रचालन के लिए विधि और न्याय मंत्री द्वारा राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखा गया है ।

प्रभावी निगरानी और डाटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत जानकारी एकत्रित करने और एफटीएससी के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है । एफटीएससी का प्रदर्शन भी अंतर-राज्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के एजेंडे में एक स्थायी मद है ।

(ग) न्याय मित्र

न्याय विभाग ने न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से अप्रैल, 2017 में न्याय मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया । इसका लक्ष्य 10 से 15 वर्ष पुराने मामलों के निपटान की सुविधा प्रदान करना था जिसके अन्तर्गत वैवाहिक, दुर्घटना दावा मामले जैसे सिविल मामले और उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित आपराधिक मामले भी सम्मिलित थे । न्याय मित्र कार्यक्रम की शुरुआत से, असम, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों की विभिन्न जिला न्यायालयों में कुल 39 न्याय मित्र अवस्थित किए गए थे । कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालयों को बंद होने और सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल के कारण वर्ष 2020-2021 के दौरान किसी भी न्याय मित्र को नियुक्त नहीं किया जा सका ।

वित्तीय वर्ष 2021-2022 में न्याय मित्र कार्यक्रम का पुनर्विलोकन एवं मूल्यांकन किया गया। सिफारिशों के आधार पर और इसके कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों पर विचार करने पर, यह संप्रेक्षण

किया गया कि न्याय मित्र कार्यक्रम पुराने लंबित मामलों के निपटान की सुविधा के अपने परिकल्पित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका । अतः, वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान न्याय मित्र कार्यक्रम को जारी नहीं रखने का विनिश्चय किया गया है ।

(घ) न्याय बंधु

सरकार ने प्रो बोनो की संस्कृति को आगे बढ़ाने के व्यापक दृष्टिकोण के साथ वर्ष 2017 में न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विसेज) शुभारंभ किया । न्याय बंधु सेवा का लक्ष्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अधीन निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार व्यक्तियों को जोड़ना है । 31 जुलाई, 2023 तक, 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधिज्ञ परिषदों के माध्यम से देश भर में 10298 प्रो बोनो अधिवक्ताओं ने इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया है । प्रो बोनो अधिवक्ताओं से संबंधित डाटा राज्य विधिज परिषद् -वार (**उपाबंध**-'3') रखा जाता है । अब तक, 1882 फायदाग्राहियों ने प्रो बोनो वकील (**उपाबंध**-'4') की सेवा प्राप्त करने के लिए न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन पर रजिस्ट्रीकरण कराया है ।

न्याय बंधु कार्यक्रम के भाग के रूप में, न्याय विभाग ने 2020 में प्रो बोनो क्लब स्कीम नामक एक नया उप-मॉड्यूल की पहल की है । इस स्कीम का लक्ष्य युवा विधिक व्यवसायियों के मन में प्रो बोनो विधिक सेवाओं की संस्कृति को बैठाना है । 2020 से 89 विधि स्कूलों में प्रो बोनो क्लब का गठन किया गया है। इन विधि स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे प्रो बोनो क्लबों के अधीन विभिन्न क्रियाकलापों के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। इसमें मोटे तौर पर वकीलों को प्रो बोनो मुकदमेबाजी सहायता प्रदान करना, पूरे वर्ष प्रो बोनो सेवाओं के लिए निश्चित संख्या में घंटे समर्पित करना, आसपास के गांवों में सामुदायिक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करना, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण कार्य करना और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना आदि सम्मिलित है ।

(ङ) न्यायालय मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग

न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग एक प्रशासनिक मामला है जो न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र और अधिकारक्षेत्र में आता है और केंद्रीय सरकार की इस मामले में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है । तथापि, गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, जिससे वस्तुतः कार्यवाहियों से जुड़ने के लिए वकीलों, वादकारियों और अन्य संबंधित पक्षों को इसमें सम्मिलित होने की अनुमति मिल गई है ।

****

कर्नल राज्यवर्धन राठौर, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया 'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का राज्य-वार ब्यौरा (30.06.2023 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/सं. रा. क्षे.	निर्धारित न्यायालय		कार्यात्मक न्यायालय		स्कीम के आरंभ से संचयी निपटान		
		ई पाक्सो सहित एफटीएससी	ई पाक्सो	ई पाक्सो सहित एफटीएससी	ई पाक्सो	एफटीएससी	ई पाक्सो	कुल
1	**छत्तीसगढ**	**15**	**11**	**15**	**11**	**566**	**3053**	**3619**
2	गुजरात	35	24	35	24	1680	6775	8455
3	मिजोरम	3	1	3	1	98	34	132
4	नागालैंड	1	0	1	0	48	3	51
5	झारखंड	22	8	22	16	1702	3135	4837
6	मध्य प्रदेश	67	26	67	57	2933	16484	19417
7	मणिपुर	2	0	2	0	96	0	96
8	हरियाणा	16	12	16	12	1125	3084	4209
9	चंडीगढ़	1	0	1	0	174	0	174
10	**राजस्थान**	**45**	**26**	**45**	**30**	**3239**	**7290**	**10529**
11	तमिलनाडु	14	14	14	14	0	5316	5316
12	त्रिपुरा	3	1	**3**	1	116	137	253
13	उत्तर प्रदेश	218	74	218	74	23783	21767	45550
14	उत्तराखंड	4	4	4	0	1164	0	1164
15	दिल्ली	16	11	16	11	351	722	1073
16	मेघालय	5	5	5	5	0	299	299
17	जम्मू-कश्मीर	4	0	**4**	2	63	63	126
18	पंजाब	12	2	12	3	1247	1521	2768
19	हिमाचल प्रदेश	6	3	6	3	200	586	786
20	कर्नाटक	31	17	31	17	2114	4927	7041
21	तेलंगाना	36	10	36	0	4182	2731	6913
22	पुदुचेरी	0	0	1	1	0	0	0
23	आंध्र प्रदेश	18	8	16	16	0	2897	2897
24	असम	27	15	17	17	0	3783	3783
25	बिहार	54	30	46	46	0	7835	7835
26	गोवा	2	0	1	1	0	30	30
27	केरल	56	14	53	14	9247	4142	13389
28	महाराष्ट्र	138	30	34	13	5948	9207	15155
29	ओडिशा	45	22	39	23	2898	5654	8552
	कुल	**1023**	**389**	**763**	**412**	**62974**	**111475**	**174449**

उपाबंध-2

कर्नल राज्यवर्धन राठौर, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया 'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए जारी की गई राशि (एफटीएस)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**राज्य /सं.रा.क्षे.**	**वि.व. 2019-20 में जारी की गई राशि**	**वि.व. 2020-21 में जारी की गई राशि**	**वि.व. 2021-22 में जारी की गई राशि**	**वि.व. 2022-23 में जारी की गई राशि**	**वि.व. 2023-24 (जून, 2023 तक) में जारी की गई राशि**
1	छत्तीसगढ़	3.375	3.375	4.259	3.93	1.488375
2	राजस्थान	5.85	14.4	19.745	11.895	13.83263

कर्नल राज्यवर्धन राठौर, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया 'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

देश भर में न्याय बंधु स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं की संख्या को अंतर्विष्ट करने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिज्ञ परिषद् -वार एक विवरण ।
(2017-2023)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधिज्ञ परिषद्	अधिवक्ताओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	651
2	असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम	264
3	बिहार	594
4	छत्तीसगढ़	340
5	दिल्ली	827
6	गुजरात	188
7	हिमाचल प्रदेश	382
8	जम्मू-कश्मीर	144
9	झारखंड	329
10	कर्नाटक	284
11	केरल	147
12	मध्य प्रदेश	608
13	महाराष्ट्र और गोवा	535
14	मणिपुर	55
15	मेघालय	48
16	ओडिशा	283
17	पंजाब और हरियाणा	1960
18	राजस्थान	1116
19	तमिलनाडु	369
20	तेलंगाना	185
21	त्रिपुरा	6
22	उत्तर प्रदेश	651
23	उत्तराखंड	154
24	पश्चिमी बंगाल	157
25	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	15
26	दादरा एवं नागर हवेली	1
27	दमण और दीव	5
	कुल योग	**10298**

कर्नल राज्यवर्धन राठौर, माननीय संसद सदस्य द्वारा उठाया गया 'प्रचालनरत फास्ट ट्रैक ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या* 338 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण।

देश भर में न्याय बंधु स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकृत फायदाग्राहियों की संख्या अंतर्विष्ट करने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (2017-2023)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	फायदाग्राहियों की संख्या
1	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4
2	आंध्र प्रदेश	94
3	असम	16
4	बिहार	95
5	चंडीगढ़	7
6	छत्तीसगढ	23
7	दिल्ली	146
8	गोवा	4
9	गुजरात	53
10	हरियाणा	54
11	हिमाचल प्रदेश	8
12	जम्मू-कश्मीर	7
13	झारखंड	43
14	कर्नाटक	77
15	केरल	16
16	मध्य प्रदेश	65
17	महाराष्ट्र	352
18	मणिपुर	10
19	ओडिशा	113
20	पुदुचेरी	1
21	पंजाब	29
22	राजस्थान	56
23	सिक्किम	3
24	तमिलनाडु	32
25	तेलंगाना	87
26	त्रिपुरा	4
27	उत्तर प्रदेश	285
28	उत्तराखंड	24
29	पश्चिमी बंगाल	171
30	नागालैंड	1
31	मिजोरम	1
32	अरुणाचल प्रदेश	0
33	लक्षद्वीप	0
34	दादरा एवं नागर हवेली	0
35	दमण और दीव	0
36	मेघालय	1
	कुल	**1882**

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *340
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण

***340. श्री ए. के. पी. चिनराज :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के संबंध में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की दिनांक 16 नवम्बर, 2022 और 19 अप्रैल, 2023 की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा उक्त न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति तक कार्रवाई नहीं की गई, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में आईबी या रॉ की रिपोर्ट मांगती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

"उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण" से संबंधित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *340 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) : उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने तारीख 19.04.2023 को अपने तारीख 16.11.2022 के संकल्प द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के तत्कालीन कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का स्थानांतरण राजस्थान उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप मे किये जाने की सिफारिश की थी । जिस समय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण से संबंधित उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश विचाराधीन थी, तब उक्त न्यायाधीश तारीख 24.05.2023 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो गए थे ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 28 अक्तूबर, 1998 के सलाहकार राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में बनाए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार स्थानांतरित किये जाते हैं ।

वर्तमान एमओपी (प्रक्रिया ज्ञापन) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (मुख्य न्यायामूर्ति सहित) के स्थानांतरण का प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम अवर न्यायाधीशों के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायामूर्ति द्वारा आरंभ किया जाता है । उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण के मामलें में, एमओपी (प्रक्रिया ज्ञापन) आगे यह उपबंध करता है कि भारत के मुख्य न्यायामूर्ति से यह भी आशा की जाती है कि उच्चतम न्यायालय के एक या एक से अधिक ऐसे न्यायाधीश जो अपना मत देने की स्थिति मे है, के मतों पर विचार करने के साथ जिस उच्च न्यायालय से किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण होने वाला है और जिस न्यायालय में स्थानांतरण होने वाला है, वहाँ के मुख्य न्यायमूर्तियों के मत पर भी विचार करेंगे । सभी स्थानातंरण लोक हित अर्थात् देश मे न्याय के बेहतर प्रशासन का संवर्धन करने के लिए किए जाते हैं ।

(ख) : सरकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में आई.बी. या रॉ से इनपुट नहीं लेती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3726
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों के विस्तार हेतु निधि आवंटन

3726. श्री अरुण कुमार सागर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निचली अदालतों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के आधुनिकीकरण और अवसंरचना विस्तार के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त राशि पर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का अगामी वर्ष के दौरान उक्त राशि बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : न्यायपालिका के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है । राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को पूरक करने के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विहित निधि साझा पैर्टन में उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए, संघ सरकार ने 1993-94 से न्यायपालिका के लिए मूलभूत सुविधाओं को विकासित करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) लागू की है । इस स्कीम में केवल जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवासों का विनिर्माण शामिल है । वर्ष 2021 से, उपरोक्त सीएसएस की परिधि में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अलावा, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के नए संघटक, वकीलों के हॉल और शौचालय परिसरों को भी जोड़ा गया हैं ।

इसके प्रारंभ से अब तक 10051 करोड़ रुपये की राशि उपरोक्त सीएसएस के अधीन जारी की गई है, जिसमें से 6607 करोड़ .रुपये (66%) 2014-15 से जारी किए गए हैं । पिछले पांच वर्षों के दौरान (2018-19 से 2022-23) 3,766 करोड़ रुपये की रकम राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई हैं । चालू वित्तीय वर्ष में 1051 करोड़ रूपये की आवंटित रकम में से 185 करोड़ रूपये की संगत निधि राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई हैं ।

इस स्कीम को 9000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित किया गया है, जिसमें इस स्कीम के लिए 5307.00 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी शामिल है । तारीख 31.07.2023 तक 19,858 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के मुकाबले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 21,360 न्यायालय हॉल और

18,863 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं । न्याय विकास पोर्टल के अनुसार, 2,843 न्यायालय हॉल और 1,745 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं ।

सरकार द्वारा राज्य-वार निधियों को आवंटित किया जाता है । चालू वित्तीय वर्ष में 1051 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित किये गये 848 करोड़ रुपये के मुकाबले स्कीम के लिए आवंटित किए गए हैं, जो 19 प्रतिशत की वृद्धि है ।

जहां तक उच्च न्यायालय का संबंध है, उच्च न्यायालयों में अवसंरचना के उपबंध का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के लिए अवसंरचना सुविधाओं की लागत उच्चतम न्यायालय के बजटीय मद के अधीन उपबंधों के माध्यम से पूरी की जा रही है । प्रगति मैदान, नई दिल्ली से सटी भूमि पर भारत के उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त कार्यालय परिसर के निर्माण के लिए सरकार द्वारा सीपीडब्ल्यूडी के माध्यम से निम्नलिखित निधियां दी गई थी:

क्र.सं.	**तारीख**	**उस कार्य का ब्यौरा जिसके लिए अनुमोदन दिया गया था**
1.	11.07.2012	884.30 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त भवन परिसर के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी को प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया ।
2.	27.03.2018	अनुमोदित अनुमान में बचतों के भीतर, सीपीडब्ल्यूडी को वायवीय अपशिष्ट निपटान प्रणाली के लिए 6.5 करोड़ रु. का प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया है ।
3.	04.04.2019	सीपीडब्ल्यूडी को 16.58 करोड़ रु. (एलएएन घटक के लिए 7.19 करोड़ रु. और वीओआइपी के लिए 9.39 करोड़ रु.) का अतिरिक्त व्यय करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है ।
4.	11.04.2019	एकीकृत सुरक्षा प्रणाली के लिए सीपीडब्ल्यूडी को 30.50 करोड़ रु. का अतिरिक्त व्यय के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3736
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालयों का आधुनिकीकरण

3736. श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं विशेषकर वर्चुअल सुनवाई के लिए उपकरणों के अनुरूप न्यायालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए उपाय कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना बजटीय आबंटन किया गया है और न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने राजस्व न्यायालयों के प्रभावी और कुशल कार्यकरण के लिए आवश्यक संसाधनों और अवसंरचना के साथ उनमें सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में सरकार ने ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना का शुभारंभ किया है जो "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारत में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के आईसीटी विकास के लिए क्रियान्वयन के अधीन है । यह भारत के उच्चतम न्यायालय के ई-समिति के साथ सहयोग में न्याय विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है । चरण-1 (वर्ष 2011-2015) का लक्ष्य न्यायालयों का बुनियादी कम्प्यूटरीकरण और स्थानीय नेटवर्क संयोजकता प्रदान करना था जिसके अधीन 639.41 करोड़ रुपए का कुल व्यय था । यह वर्ष 2015 में समाप्त हो गया था जिसमें 14,249 न्यायालय साइटों को कम्प्यूटरीकृत किया गया था । 1670 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ परियोजना का चरण 2 वर्ष 2015 में आरम्भ हुआ जिसमें से सरकार द्वारा 1668.43 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई जिसके अन्तर्गत वीडियो कान्फ्रेंसिग अवसंरचना के अवस्थापन के लिए जारी किए गए 111.29 करोड़ रुपए भी थे चरण 2 तक 18735 जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया । ई-न्यायालय परियोजना में, सरकार ने प्रयोग की जाने वाली सभी प्रौद्योगिकी के लिए सुलभ न्याय और उपलब्धता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलों को किया है:-

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रोजेक्ट के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (चिह्नित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादी 23.58 करोड़ से अधिक मामलों और 22.56 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों 01.08.2023 तक के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. नि:शुल्क और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है ।

iv. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल दैनिक (2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल प्रतिदिन (2,50,000 भेजे गए), बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप 30.06.2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप 30.06.2023 तक 19,164 डाउनलोड के साथ इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन टूल्स ईसीएमटी बनाए गए हैं ।

v. भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । उच्च न्यायालयों ने (78,69,708 मामलें और अधीनस्थ न्यायालयों 1,98,67,081 मामलें) 30.06.2023 तक कुल 2.77 करोड़ वर्चुअल सुनवाई की । भारत के उच्चतम न्यायालय ने 31.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की । तालुक स्तर के न्यायालयों सहित सभी न्यायालय परिसरों के लिए प्रत्येक को एक वीडियो कान्फ्रेंस उपस्कर प्रदान किया गया है । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं । 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है । वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं ।

vi. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक न्यायपीठ ने न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, तथा इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है ।

vii. यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं । 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 39 लाख 39,16,405 से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है । 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई है ।

viii. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली संस्करण 3.0 आरंभ की गई है । ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। 30.06.2023 तक कुल 19 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

ix. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं । कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है। 30.06.2023 तक 22 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

x. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है ।

xi. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों सीएससी पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

xii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग एनएसटीईपी समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है ।

xiii. बेंच द्वारा खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय :तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "निर्णय खोज "पोर्टल आरंभ किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।

ई-न्यायालय चरण 2 औपचारिक रूप से 31 मार्च 2023 को समापन की ओर आया । अगले स्तर के लिए चरण और चरण 2 के लक्ष्य को पाने के लिए ई-न्यायालय चरण 3 का लक्ष्य न्याय को अधिकतम सरल बनाने में उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल, आन-लाईन और पेपर विहिन न्यायालय के संबंध में गति प्रदान करना है । भारत सरकार ने, केंद्रीय बजट 2023-2024 में, 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण की घोषणा की । भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर के आधार पर, व्यय वित्त समिति ने 23.02.2023 को हुई अपनी बैठक में 7210 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ ई-न्यायालय चरण-3 का अनुमोदन किया है । इसके अलावा, प्रधान मंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 21.06.2023 को हुई अपनी बैठक में अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह ने भी अनुमोदन के लिए कैबिनेट को ई-न्यायालय चरण-3 की सिफारिश की है ।

(घ) और (ङ) : राजस्व न्यायालय ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन नहीं कवर किए जाते हैं । वे संबंधित राज्य सरकार के अधीन आते हैं और भारत सरकार की उनके उन्ययन तथा आधुनिकीकरण की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3742
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सेवा

3742. श्री नकुल के. नाथ :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जनजातियों के ऐसे व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें नालसा के माध्यम से निःशुल्क कानूनी प्रतिनिधित्व दिया गया है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी हां । संपूर्ण देश में विधिक सहायता कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) का गठन किया गया है । अधिनियम की धारा 12 (क) के अनुसार, अनुसूचित जनजाति का कोई भी सदस्य बिना उसकी आय पर विचार किए, निशुल्क विधिक सेवा का हकदार होगा । वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान संपूर्ण देश में विधिक सेवा संस्थाओं के माध्यम से फायदा प्राप्त करने वाले उन व्यक्तियों का, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, राज्य-वार ब्यौरा **उपाबंध-क** पर है ।

****

उपाबंध – क

माननीय संसद सदस्य श्री नकुल कमलनाथ द्वारा "अनुसूचित जनजातियों को निःशुल्क विधिक सेवा" से संबंधित लोकसभा अतांराकित प्रश्न संख्या 3742 जिसका उत्तर 11.08.2023 को देना है के उत्तर में यथा निर्दिष्ट विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान समस्त देश में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा फायदा प्राप्त करने वाले उन व्यक्तियों का, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं, राज्य-वार ब्यौरें दर्शाने वाला विवरण		
क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरण का नाम**	**फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या**
1	अदंमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	87
3	अरूणाचल प्रदेश	1923
4	असम	2310
5	बिहार	1727
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ़	8960
8	दादर और नागर हवेली	0
9	दमण और दीव	2
10	दिल्ली	40
11	गोवा	56
12	गुजरात	1625
13	हरियाणा	0
14	हिमाचल प्रदेश	109
15	जम्मु-कश्मीर	362
16	झारखंड	15875
17	कर्नाटक	3559
18	केरल	277
19	लद्दाख	420
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	17704
22	महाराष्ट्र	990
23	मणिपुर	11021
24	मेघालय	1250
25	मिजोरम	2493
26	नागालैंड	3736
27	ओडिशा	1003
28	पुदुचेरी	1
29	पंजाब	42
30	राजस्थान	117
31	सिक्किम	110
32	तमिलनाडु	379
33	तेलंगाना	51
34	त्रिपुरा	563
35	उत्तर प्रेदश	2
36	उत्तराखंड	20
37	पश्चिमी बंगाल	1742
	कुल	**78556**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3748
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

कार्यशील ई-न्यायालय

3748. श्री कृपानाथ मल्लाह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कार्यशील ई-न्यायालयों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान असम सहित देश भर में ई-न्यायालय परियोजना के लिए स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य और अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : देश में कार्यात्मक ई-न्यायालयों का उच्च न्यायालय-वार विवरण **उपाबंध-1** में संलग्न किया गया है।

(ख) से (ग) : राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के भाग के रूप में, "भारतीय न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना" के आधार पर भारतीय न्यायपालिका के आईसीटी विकास के लिए ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है । ई-न्यायालय परियोजना भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति और न्याय विभाग के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है । परियोजना का चरण 1 वर्ष 2011-2015 के बीच लागू किया गया था । परियोजना का चरण 2 वर्ष 2015 से 2023 तक बढ़ाया गया । सरकार ने सभी के लिए न्याय को सुलभ और उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित ई-पहल की हैं:

i. वाइड एरिया नेटवर्क (डब्लूएएन) प्रोजेक्ट के अधीन, पूरे भारत में कुल न्यायालय परिसरों के 99.4% (चिह्नित 2994 में से 2976) को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ स्पीड के साथ कनेक्टिविटी प्रदान की गई है ।

ii. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) आदेशों, निर्णयों और मामलों का एक डेटाबेस है, जिसे ई-न्यायालय प्रोजेक्ट के अधीन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है । यह देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही/विनिश्चयों से संबंधित जानकारी प्रदान करता है । वादी 23.58 करोड़ से अधिक मामलों और 22.56 करोड़ से अधिक आदेशों/निर्णयों (01.08.2023 तक) के संबंध में मामले की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ।

iii. नि:शुल्क और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर (एफओएसएस) पर आधारित मामला सूचना सॉफ्टवेयर (सीआईएस) विकसित किया गया है । वर्तमान में, सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 3.2 जिला न्यायालयों में लागू किया जा रहा है और सीआईएस राष्ट्रीय कोर संस्करण 1.0 उच्च न्यायालयों के लिए लागू किया जा रहा है ।

iv. कोविड-19 प्रबंधन के लिए एक नया सॉफ्टवेयर पैच और न्यायालय यूजर मैनुअल भी विकसित किया गया है । यह टूल मामलों की स्मार्ट शेड्यूलिंग में सहायता करेगा, जिससे न्यायिक अधिकारी अत्यावश्यक मामलों को बनाए रखने और वाद सूची में गैर-अत्यावश्यक मामलों को स्थगित करने में सक्षम होंगे । हितधारकों की आसानी के लिए इस पैच के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल भी जारी किया गया है ।

v. ई-न्यायालय परियोजना के भाग के रूप में, वकीलों/वादियों को एसएमएस पुश एंड पुल (दैनिक 2,00,000 एसएमएस भेजे गए), ईमेल (प्रतिदिन 2,50,000 भेजे गए) बहुभाषी और स्पर्शनीय ई-न्यायालय सेवा पोर्टल (प्रतिदिन 35 लाख हिट), जेएससी (न्यायिक सेवा केंद्र) और सूचना कियोस्क के माध्यम से मामले की स्थिति, वाद सूची, निर्णय आदि की तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए 7 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं । इसके अतिरिक्त, वकीलों के लिए मोबाइल ऐप (30.06.2023 तक कुल 1.88 करोड़ डाउनलोड) और न्यायाधीशों के लिए जस्टआईएस ऐप (30.06.2023 तक 19,164 डाउनलोड) के साथ इलेक्ट्रॉनिक मामला प्रबंधन टूल्स (ईसीएमटी) बनाए गए हैं ।

vi. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में सुनवाई करने में भारत एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों ने 30.06.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली का उपयोग करके 1,98,67,081 मामलों की सुनवाई की गई, जबकि उच्च न्यायालयों ने 78,69,708 मामलों (कुल 2.77 करोड़) की सुनवाई की । भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने 15.05.2023 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4,82,941 सुनवाई की । 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के बीच वीसी सुविधाएं भी सक्षम की गई हैं । 2506 वीसी केबिन और 14,443 न्यायालय कक्षों के लिए वीसी उपकरण के लिए धनराशि भी जारी की गई है । वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए 1500 वीसी लाइसेंस खरीदे गए हैं ।

vii. गुजरात, गुवाहाटी, उड़ीसा, कर्नाटक, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ कर दी गई है, तथा इस प्रकार मीडिया और अन्य इच्छुक व्यक्तियों को कार्यवाही से जुड़ना अनुज्ञात कर दिया है ।

viii. यातायात चालान मामलों को निपटाने के लिए 18 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 22 वर्चुअल न्यायालय चालू किए गए हैं । 22 वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 3.26 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया गया है और 39 लाख (39,16,405) से अधिक मामलों में ऑनलाइन जुर्माना लगाया गया है । 30.06.2023 तक 419.89 करोड़ रुपये की वसूली की गई है ।

ix. उन्नत सुविधाओं के साथ विधिक दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नई ई-फाइलिंग प्रणाली (संस्करण 3.0) आरंभ की गई है । ई-फाइलिंग नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे अपनाने के लिए उच्च न्यायालयों को भेज दिया गया है। 30.06.2023 तक कुल 21 उच्च न्यायालयों ने ई-फाइलिंग के मॉडल नियमों को अपनाया है ।

x. मामलों की ई-फाइलिंग के लिए शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विकल्प अपेक्षित है जिसमें न्यायालय फीस, जुर्माना और दंड सम्मिलित होते हैं जो सीधे समेकित निधि में देय होते हैं । कुल 20 उच्च न्यायालयों ने अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ई-भुगतान लागू किया है । 30.06.2023 तक 23 उच्च न्यायालयों में न्यायालय फीस अधिनियम में संशोधन किया गया है ।

xi. डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए, वकील या वादी को सुविधा देने के आशय से 819 ई-सेवा केंद्र आरंभ किए गए हैं, जिन्हें सूचना से लेकर सुविधा और ई-फाइलिंग तक किसी भी

प्रकार की सहायता की आवश्यकता है । यह वादियों को ऑनलाइन ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुँचने में सहायता करता है और उन लोगों के लिए एक उद्धारक के रूप में कार्य करता है जो प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं या दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित हैं । यह बड़े पैमाने पर नागरिकों के बीच निरक्षरता के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने में भी सहायता करता है । इससे समय बचाने, परिश्रम से बचने, लंबी दूरी की यात्रा करने और देश भर में मामलों की ई-फाइलिंग की सुविधाएं प्रदान करके लागत बचाने, वस्तुतः सुनवाई करने, स्कैनिंग करने, ई-न्यायालय सेवाओं तक पहुंचने आदि में लाभ मिलेगा ।

xii. ई-सेवा केंद्रों के अतिरिक्त, दिशा (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस) योजना के भाग के रूप में भारत सरकार ने वर्ष 2017 से टेली लॉ कार्यक्रम आरंभ किया है, जो ग्राम पंचायत में स्थित सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन और चैट सुविधाओं और टेली-लॉ मोबाइल ऐप के माध्यम से पैनल वकीलों के साथ विधिक सलाह और परामर्श लेने वाले जरूरतमंद और वंचित वर्गों को जोड़ने वाला एक प्रभावी और विश्वसनीय ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है ।

xiii. राष्ट्रीय सेवा और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की ट्रैकिंग (एनएसटीईपी) समन जारी करने और समन तामील करने हेतु प्रौद्योगिकी समर्थ प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसे वर्तमान में 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में लागू किया गया है ।

xiv. बेंच द्वारा खोज, मामला प्रकार, मामला संख्या, वर्ष, याचिकाकर्ता/प्रतिवादी का नाम, न्यायाधीश का नाम, अधिनियम, अनुभाग, निर्णय: तारीख से, तारीख तक और पूर्ण पाठ खोज जैसी सुविधाओं के साथ एक नया "निर्णय खोज" पोर्टल आरंभ किया गया है। यह सुविधा सभी को निःशुल्क प्रदान की जा रही है ।

ई-न्यायालय के अवसंरचना विकास के लिए असम सहित देश भर में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी और उपयोग की गई धनराशि **उपाबंध- 2** में दी गई है ।

****

उपाबंध 1

'कार्यशील ई-न्यायालय' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण । देश में परिचालन ई-न्यायालयों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	राज्य	न्यायालय परिसर	न्यायालय
1	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	180	2222
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	218	617
3	बंबई	दादरा और नागर हवेली	1	3
		दमण और दीव	2	2
		गोवा	17	39
		महाराष्ट्र	471	2157
4	कलकत्ता	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	4	14
		पश्चिमी बंगाल	89	827
5	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ	93	434
6	दिल्ली	दिल्ली	6	681
7	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश	14	28
		असम	74	408
		मिजोरम	8	69
		नागालैंड	11	37
8	गुजरात	गुजरात	376	1268
9	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	50	162
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	86	218
11	झारखंड	झारखंड	28	447
12	कर्नाटक	कर्नाटक	207	1031
13	केरल	केरल	158	484
		लक्षद्वीप	1	3
14	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	213	1363
15	मद्रास	पुदुचेरी	4	24
		तमिलनाडु	263	1124
16	मणिपुर	मणिपुर	17	38
17	मेघालय	मेघालय	7	42
18	ओडिशा	ओडिशा	185	686
19	पटना	बिहार	84	1142
20	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	1	30
		हरियाणा	53	500
		पंजाब	64	541
21	राजस्थान	राजस्थान	247	1240
22	सिक्किम	सिक्किम	8	23
23	तेलंगाना	तेलंगाना	129	476
24	त्रिपुरा	त्रिपुरा	14	84
25	उत्तराखंड	उत्तराखंड	69	271
		कुल	**3452**	**18735**

उपाबंध 2

अवसंरचना विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई धनराशि इस प्रकार है संबंधी लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3748 जिसका उत्तर 11.08.2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण ।

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	2019-2020		2020-21		2021-22	
		जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)	जारी किया (करो.)	उपयोग (करो.)
1	इलाहाबाद	15.04	13.63	13.79	10.22	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
3	बंबई	0.00	0.00	8.86	8.86	0.00	0.00
4	कलकत्ता	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
5	छत्तीसगढ़	4.44	4.44	2.34	2.34	0.00	0.00
6	दिल्ली	0.00	0.00	3.00	2.85	0.00	0.00
7	गुवाहाटी	0.98	0.98	1.52	1.52	1.26	1.18
8	गुवाहाटी (असम)	13.68	13.40	6.11	1.78	3.49	3.46
9	गुवाहाटी (मिजोरम)	0.51	0.43	0.72	0.69	0.30	0.25
10	गुवाहाटी (नागालैंड)	0.70	0.70	0.83	0.83	0.84	0.84
11	गुजरात*	0.00	0.00	3.48	0.83	0.00	0.00
12	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.00	1.78	0.00	0.00
13	जम्मू और कश्मीर और लद्दाख	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
14	झारखंड	5.53	0.35	2.98	0.48	0.00	0.00
15	कर्नाटक	9.15	9.15	4.29	4.29	0.00	0.00
16	केरल	0.00	0.00	2.83	2.83	1.58	1.58
17	मध्य प्रदेश	11.21	11.06	6.28	6.21	0.00	0.00
18	मद्रास	0.00	0.00	4.73	2.46	0.00	0.00
19	मणिपुर	0.61	0.60	1.30	1.28	0.76	0.75
20	मेघालय	0.92	0.09	2.32	0.51	2.23	0.85
21	ओडिशा	13.46	13.09	3.37	3.31	0.00	0.00
22	पटना	7.08	6.40	5.44	5.30	0.00	0.00
23	पंजाब और हरियाणा	0.00	0.00	4.55	4.55	0.00	0.00
24	राजस्थान	1.29	1.29	10.58	10.57	1.62	1.62
25	सिक्किम	1.61	0.68	1.01	0.92	0.77	0.00
26	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	त्रिपुरा	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
27	उत्तराखंड	2.24	2.19	4.44	4.05	0.96	0.78
28	ओडिशा	0.00	0.00	1.28	0.12	0.00	0.00
कुल		**88.44**	**78.50**	**107.74**	**80.57**	**13.80**	**11.31**

*गुजरात उच्च न्यायालय ने 13.12 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किए। कुल उपयोग में अभ्यर्पित धनराशि शामिल है।

**तत्कालीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा धनराशि जारी की गई, और दोनों राज्यों ने उपलब्ध धनराशि को क्रमशः 58:42 के अनुपात में साझा किया।

ध्यान दें: वर्ष 2022-2023 के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी क्योंकि चरण 2 के कुल परिव्यय के रूप 1670 करोड़ रुपये ख़त्म हो चुके हैं।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3823
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ में राज्यों का प्रतिनिधित्व

3823. डॉ. डी. रविकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ में सभी राज्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार उच्चतर न्यायपालिका में सामाजिक विविधता बनाए रखने के लिए तैयार है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय और इसकी मदुरै पीठ में तमिल भाषा को राजभाषा बनाए जाने की मांग पर कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन की जाती है, जो किसी भी जाति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं करते है । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायालय की तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसके तारीख 6 अक्तूबर 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के उच्चतम न्यायालय निर्णय के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। द्वितीय न्यायाधीश मामले में यह अधिकथित किया गया कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति करते समय अन्य कारकों के साथ जैसे देश के सभी भागों से लोगों के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व, उपयुक्त और समान रूप से प्रतिभाशाली न्यायाधीशों की विधिसम्मत अपेक्षा पर विचार किया जाना चाहिए, उनकी बारी में सबसे उपयुक्त और उनमें से प्रतिभाशाली का चुनाव करते समय सम्यक विचार के लिए सुसंगत कारक है ।

एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव प्रारंभ करना भारत के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव का प्रारंभ करना संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के

न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) द्वारा सिफारिश की जाती है ।

तथापि, सरकार उच्च न्यायालयों मुख्य न्यायमूर्तियों से अनुरोध करती रही है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में आने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए, जिससे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता सुनिश्चित की जा सके ।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 348(1) यह उपबंध करता है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी ।

अनुच्छेद 348(2) यह उपबंध करता है कि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिन्दी भाषा का उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा, राज्य यह उपबंधित कर सकेगा कि ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में होंगे । राजभाषा अधिनियम, 1963 इसे दोहराता है और धारा 7 के अधीन यह उपबंध करता है कि राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से, अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री आदि के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । जहां तक संसद द्वारा इस संबंध में कोई विधि नहीं बनाई गई है। इसलिए, उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियों के लिए अंग्रेजी भाषा बनी रहेगी ।

भारत के 18वें विधि आयोग नें "भारत के उच्चतम न्यायालय में अनिवार्य भाषा के रुप में हिंदी को पुरःस्थापित करने की अपनी असाध्यता" (2008) पर अपनी 216वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ, सभी पणधारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् सिफारिश की है कि उच्चतर न्यायपालिका को वर्तमान सामाजिक संदर्भ में किसी प्रकार के प्रेरक परिवर्तन के अधीन नहीं किया जाना चाहिए । सरकार ने आयोग के पक्ष को स्वीकार कर लिया है ।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बिहार राज्यों के उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों के साथ-साथ निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों में भी हिंदी के प्रोयग को बहुत पहले ही प्राधिकृत कर दिया गया है । भारत सरकार को तमिलनाडु, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार से क्रमशः मद्रास उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में तमिल, गुजराती और हिंदी के उपयोग को अनुज्ञा देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 1965 में किए गए एक विनिश्चय के अनुसार इन प्रस्तावों पर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने पत्र तारीख 16.10.2012 के माध्यम से 11.10.2012 को आयोजित पूर्ण न्यायालय की बैठक में सूचित किया कि सम्यक विचार-विमर्श के पश्चात्, प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करना विनिश्चित किया और 07.05.1997 तथा 15.10.1999 को अंगीकृत किए गए उच्चतम न्यायालय के पूर्ण न्यायलय के पूर्वतर समान संकल्पों को दोहराया गया। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के विनिश्चिय का पालन किया है ।

तमिलनाडु सरकार के एक अन्य अनुरोध के आधार पर, सरकार ने भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से डी.ओ.पत्र तारीख 04.07.2014 के माध्यम से हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए इस संबंध में पूर्वतर विनिश्चयों की

समीक्षा करने का अनुरोध किया और भारत के उच्चतम न्यायालय की सहमति को संप्रेषित किया ।

माननीय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने अपने डी.ओ.पत्र तारीख 18.01.2016 में व्यक्त किया कि पूर्ण न्यायालय ने व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात् प्रस्तावों को अननुमोदित कर दिया और संकल्प को दोहराया जिसे 07.05.1997 को, 15.12.1999 को और 11.10.2012 को अंगीकृत किया गया था ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3856
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

गरीब व्यक्तियों को कानूनी सलाह

3856. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटान के लिए गरीब व्यक्तियों को जिला स्तर पर कानूनी सहायता प्रदान करने और जेल में बंद व्यक्तियों को कानूनी सलाह देने की कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान केन्द्र की स्थापना और विधिक शिक्षा हेतु विधि महाविद्यालयों की स्थापना के क्या मानदंड हैं;
(ग) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों अलीराजपुर और झाबुआ में विधि महाविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;
(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है; और
(ङ) यदि नहीं, तो क्या उक्त प्रस्ताव पर विचार किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा) विधिक सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 के अधीन गठित किया गया है जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन कवर किए गए लाभार्थियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लिए नि:शुल्क और पूर्ण विधिक सेवा तथा सम्पूर्ण देश में लोक अदालत आयोजित करने का उपबंध करता है । इस प्रयोजन हेतु तालुक स्तर से लेकर उच्चतम न्यायालय तक विधिक सेवा संस्थान स्थापित किये गये हैं । समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित प्राधिकरण/संस्थान स्थापित किए गए हैं:-

i. राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण (नाल्सा)
ii. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति (एससीएलसी)
iii. उच्च न्यायालय स्तर पर 39 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियाँ (एससीएलएससी)
iv. राज्य स्तर पर 37 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एसएलएसए)
v. जिला स्तर पर 703 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए)
vi. तालुक स्तर पर 2341 तालुक विधिक सेवा समितियाँ (टीएलएससी)

पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान, विधिक सेवा सस्थानों द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 1,41,925, 2,36,665 और 2,89,969 है । इसके अतिरिक्त 1, अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2023, के दौरान एसएलएसए

और डीएलएसए के माध्यम से नाल्सा ने विचाराधीन समीक्षा समिति (यूटीआरसी) की बैठकें आयोजित कीं, जिसके बाद 69,734 कैदियों को निर्मुक्त किया गया। नाल्सा ने 'Release_UTRC@75' नाम से एक अभियान भी शुरु किया, जिसमें विचाराधीन पुनर्विलोकन समिति द्वारा कैदियों की रिहाई के लिए अभियान 16 जुलाई 2022, से 13 अगस्त 2022, तक कार्य किया जाएगा, जिसके अधीन अब तक 37220 चिन्हित व्यक्तियों को रिहा किया जा चुका है ।

(ख) : भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) की विधिक शिक्षा समिति भारत में विधिक शिक्षा को विनियमित करने में एक विशिष्ट और अद्वितिय स्थान रखती है । अधिवक्ता अधिनियम 1961, की धारा 10(2)(ख) के अधीन स्थापित, यह कानूनी समिति देश भर में विधिक शिक्षा में मानकों के विनियमन और उत्थान के लिए दिशानिर्देश बनाने और नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । यह विद्यमान संस्थानों और बीसीआई से मान्यता और संबद्धता की मंजूरी चाहने वाले नए आवेदकों, दोनों के लिए विश्वविद्ययालयों, विधि विभागों और विधि महाविद्यालयों सहित विधि शिक्षा केंद्रों से संबंधित निर्णय लेने के लिए आधिकारिक निकाय के रुप में कार्य करता है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एनएलयू) और विधि महाविद्यालय राज्य विधियों का सृजन हैं और मूल रुप से राज्य विश्वविद्यालय जो कुछ विशिष्ट विशेषताओं के साथ राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं । केन्द्रीय सरकार को उनके कामकाज से प्रशासनिक तौर पर कोई संबंध नहीं है । तथापि ये एनएलयू और विधि महाविद्यालय विधि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान भी करते हैं ।

(ग) से (ङ) : सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3861
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

न्यायालय परिसर से चित्रों और प्रतिमाओं का हटाया जाना

3861. डॉ. के. जयकुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को न्यायालय परिसर से महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर को छोड़कर सभी नेताओं के चित्र और प्रतिमाएं हटाने के मद्रास उच्च न्यायालय के हाल के आदेश की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी नहीं । मद्रास उच्च न्यायालय ने तारीख 08.08.2023 के अपने पत्र संख्या 1087/2023/डी4 द्वारा यह सुनिश्चित किया है कि न्यायालय परिसरों से महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर को छोड़कर सभी नेताओं के चित्र और प्रतिमाओं को हटाने का ऐसा कोई आदेश पारित नही किया गया है ।

(ख) : उपरोक्त को ध्यान मे रखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता है ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3873
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश में ई - न्यायालय

3873. श्री धर्मेन्द्र कश्यप :

श्री गिरीश चन्द्र :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में जिले-वार कितने ई-न्यायालय कार्यरत हैं;

(ख) इन ई-न्यायालयों द्वारा अब तक कितने मामलों का निपटान किया गया है;

(ग) क्या ई-न्यायालयों ने मामलों की प्रत्यक्ष सुनवाई की तुलना में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि या कमी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर भूमि विवादों के त्वरित निपटान के लिए भूमि अभिलेखों के एकीकरण के संबंध में ई-न्यायालयों के क्या लाभ हैं?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) डाटा के अनुसार, 07.08.2023 से उत्तर प्रदेश राज्य में ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कवर किए गए न्यायालयों की जिला-वार संख्या उपाबंध-1 पर संलग्न है ।

(ख) और (ग) : एनजेडीजी डाटा के अनुसार, 01.08.2022 से 07.08.2023 तक उत्तर प्रदेश राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 41,94,609 है जिसमें से 4,86,060 सिविल मामले और 37,08.549 आपराधिक मामले है । लंबित मामलों पर ई-न्यायालयों की तुलना में मामलों की भौतिक सुनवाई के प्रभाव पर तुलनात्मक डाटा नहीं रखा जाता है ।

(घ) : विशेष रूप से भू अभिलेख के एकीकरण के संबंध में ई-न्यायालय के फायदे में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) न्यायालयों के पास अधिकारों के रिकार्ड भू संदर्भित और वसीयत डाटा सहित भू-कर-मानचित्र के वास्तविक और प्रमाणिक साक्ष्य पर प्रत्यक्ष जानकारी होगी ।

(ii) यह जानकारी न्यायालयों के लिए विवादों के ग्रहण के साथ-साथ निपटान का निर्णय लेने में सहायक है । न्यायालय यह आसानी से जानते हैं या जान सकेंगे कि क्या किसी विशिष्ट संपत्ति से संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित है ।

(iii) संभावित क्रेता भू-संपत्ति के संबंध में विवाद की स्थिति जानने में सक्षम होंगे, जो ऐसी संपत्ति के संव्यवहार करने में जोखिम कारक पर विचार के पश्चात् एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम होंगे ।

(iv) इस प्रणाली से भूमि विवादों की संख्या कम होने की संभावना है क्योंकि संभावित क्रेता/विक्रेता सूचित निर्णय ले सकते है क्योंकि सभी न्यायालयों में लंबित भूमि संबंधी विवादों की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी । लंबे समय में, यह संदिग्ध भूमि के संव्यवहारों को कम करेगा और विवादों को रोकने में मदद करेगा तथा न्यायालयों में रुकावट कम करेगा ।

****

उपाबंध 1

उत्तर प्रदेश में ई-न्यायालयों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3873 जिसका उत्तर 11/08/2023 को दिया जाना है, के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण । एनजेडीजी पर उपलब्ध डाटा के अनुसार, 07.08.2023 को ई-न्यायालय परियोजना के अधीन कवर किए गए उत्तर प्रदेश राज्य में न्यायालयों का जिला-वार विवरण नीचे दिया गया है :-

क्रम सं.	जिला का नाम	कुल न्यायालय की संख्या
1	आगरा	82
2	अलीगढ़	69
3	अंबेडकर नगर	35
4	अमरोहा	29
5	औरैया	22
6	अयोध्या	46
7	आजमगढ़	75
8	बागपत	20
9	बहराइच	52
10	बलिया	48
11	बलरामपुर	27
12	बांदा	31
13	बाराबंकी	44
14	बरेली	85
15	बस्ती	51
16	भादोही एसआर नगर	24
17	बिजनौर	52
18	बदायूं	47
19	बुलंद शहर	66
20	चंदौली	19
21	चित्रकूट	24
22	देवरिया	51
23	एटा	29
24	इटावा	36
25	फरुखाबाद	49
26	फतेहपुर	44
27	फिरोजाबाद	43
28	गौतम बुद्ध नगर	31
29	गाजियाबाद	80
30	गाजीपुर	55
31	गोंडा	53
32	गोरखपुर	72
33	हमीरपुर	32
34	हापुड़	27
35	हरदोई	44
36	हाथरस	29
37	जलौन	32
38	जौनपुर	51
39	झांसी	46
40	कन्नौज	23
41	कानपुर देहात	48
42	कानपुर नगर	100
43	कासगंज	26
44	कौशांबी	25
45	कुशीनगर	33
46	लखीमपुर खीरी	51
47	ललितपुर	26

48	लखनऊ	138
49	महाराजगंज	19
50	महोबा	26
51	मैनपुरी	50
52	मथुरा	49
53	मऊ	39
54	मेरठ	82
55	मिर्जापुर	40
56	मुरादाबाद	59
57	मुजफ्फरनगर	61
58	पीलीभीत	36
59	प्रतापगढ़	63
60	प्रयागराज	96
61	रायबरेली	52
62	रामपुर	33
63	सहारनपुर	47
64	चंदौसी में संभल	21
65	संतकबीर नगर	19
66	शाहजहांपुर	49
67	कैराना में शामली	19
68	श्रावस्ती	10
69	सिद्धार्थनगर	26
70	सीतापुर	58
71	सोनभद्र	23
72	सुल्तानपुर	53
73	उन्नाव	32
74	वाराणसी	89
	कुल	**3373**

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3878
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

जर्जर न्यायालयों का पुनरुत्थान

3878. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश के अदालतों के परिसरों में स्वच्छ पेयजल, महिलाओं के लिए अलग शौचालय, न्यायाधीशों की मेज पर कंप्यूटर, बुनियादी चिकित्सा सहायता, रिकॉर्ड रूम और सुरक्षा की कमी है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख के अनुसार अदालतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्पूर्ण देश में पिछले तीन वर्षों से आज तक न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास और अदालतों की जर्जर संरचनाओं की बहाली के लिए कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : स्वच्छ पेय जल, महिलाओं के लिए पृथक् शौचालय, न्यायाधीशों की मेज पर कम्प्यूटर, मूलभूत चिकित्सा सहायता और अभिलेख कक्ष और सुरक्षा से संबंधित जानकारी विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है । संपूर्ण देश में जहां तक न्यायालय परिसरों में सुरक्षा का संबंध है, यह संबंधित राज्य सरकार के अनन्य अधिकारक्षेत्र के अधीन है । यद्यपि, वर्ष 2021 में न्यायालय अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की प्रास्थिति पर भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा संकलित डाटा के अनुसार केवल 54 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में प्यूरिफायर के साथ पेय जल सुविधा हैं, 74 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में पृथक् महिला शौचालय हैं, 27 प्रतिशत न्यायालय कक्षों में वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ न्यायाधीश मंच पर कम्प्यूटर लगाए गए हैं, 5 प्रतिशत न्यायालय परिसरों में मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं हैं, 32 प्रतिशत न्यायालय कक्षों के पृथक् अभिलेख कक्ष हैं ।

यद्यपि, न्यायालय में अवसंरचना सुविधाएं सतत् आधार पर विस्तारित उन्नत और संवर्धित की गई है । इस प्रकार, राज्य सरकार का शेष न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व है, संघ सरकार 1993-1994 से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) अर्थात् "न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं को विकसित करना" के क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को संसाधनों की पूर्ति कर रही है । इस स्कीम के अधीन, केन्द्र और राज्यों के बीच विहित की गई निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है । जिला और अधीनस्थ

न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवासों के विनिर्माण स्कीम के अधीन आते है । वर्ष 2021 से न्यायालय हॉलों और आवासीय इकाईयों के अतिरिक्त डिजिटल कम्प्यूटर के नए संघटक, वकील हॉल और शौचालय परिसरों को भी उपरोक्त सीएसएस की परिधि के अधीन जोड़ा गया है । 10051 करोड़ की राशि स्कीम के आरंभ से अब तक जारी की जा चुकी है जिसमें से 6607 करोड़ रुपए (66 प्रतिशत) 2014-2015 में जारी किए गए हैं । यह स्कीम 9000 करोड़ रुपए की बजटीय लागत के साथ 2021-2022 से 2025-2026 तक विस्तारित की गई है, जिसमें इस स्कीम के लिए 5307 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी शामिल है । 31.07.2023 तक न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की 19858 की कार्यरत संख्या के मुकाबलें जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 21,360 न्यायालय हॉल और 18,863 आवासीय इकाईयों की संख्या हैं । न्याय विकास पोर्टल के अनुसार 2843 न्यायालय हॉल और 1745 आवासीय इकाईयां निर्माणाधीन हैं ।

स्कीम की समयबद्ध और उचित कार्यान्वयन के लिए स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निगरानी तंत्र मजबूत है । राज्य में, उच्च न्यायालय निगरानी समिति है जिसकी अध्यक्षता संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है और इसमें अन्य पणधारि भी है जैसे उच्च न्यायालय का महारजिस्ट्रार, पोर्टफोलियो न्यायाधीश राज्य का विधि/गृह सचिव और राज्य लोक निर्माण विभाग के सचिव सदस्य के रूप है । यह समिति स्कीम के अधीन चल रही परियोजनाओं के वास्तविक और वित्तीय प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए नियमित अंतरालों पर बैठकें करती है ।

इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग में केन्द्र स्तरीय निगरानी समिति है, जिसकी अध्यक्षता सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) द्वारा की जाती है, परियोजना की प्रगति के पुनर्विलोकन और कोई समस्या जो स्कीम के सहज क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है, को दूर करने के लिए नियमित रूप से इस समिति द्वारा बैठकें की जाती हैं । इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर प्रत्येक जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों का नियमित दौरा किया जाता हैं । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वीड़ियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें की जाती हैं ।

****

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3906
जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को दिया जाना है

जिला अदालतों में अवसंरचना की समस्या

3906. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कई जिला अदालतें अवसंरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रही हैं, जिससे सभी को न्याय प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त अदालतों में न्यायिक अवसंरचना को मजबूत करने हेतु पहल करने के लिए कोई रूपरेखा तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए, केंद्रीय सरकार 1993-94 से न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) लागू कर रही है, जिसमें उन्हें केंद्र और राज्यों के बीच साझाकरण पैटर्न विहित निधि में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और आवासीय आवासों का निर्माण सम्मिलित है । वर्ष 2021 से, उपरोक्त सीएसएस के दायरे में न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के अतिरिक्त , डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, वकीलों के हॉल और शौचालय परिसरों के नए घटक भी जोड़े गए हैं । स्कीम की शुरुआत से अब तक इसके 10051 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी हैं, जिसमें से रु. 2014-15 से 6607 करोड़ रू (66%) जारी किए गए हैं ।। इस स्कीम को 9000 करोड़ रु. रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है जिसमें इस स्कीम के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी समेत 5307.00 करोड़ भी हैं । 31.07.2023 तक जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 19,858 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत संख्या के सामने 21,360 संख्या में न्यायालय हॉल और 18,863 संख्या में आवासीय इकाइयाँ उपलब्ध हैं । इसके अतिरिक्त, न्याय विकास पोर्टल के अनुसार, 2,843 न्यायालय हॉल और 1,745 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं ।

सरकार निचली और अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए बेहतर अवसंरचना के निर्माण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील है । स्कीम के समयबद्ध और उचित कार्यान्वयन के लिए, स्कीम के मार्गदर्शक सिंद्धातों के अनुसार निगरानी तंत्र हैं ।

राज्य में संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली एक उच्च न्यायालय स्तरीय निगरानी समिति है, और इसमें अन्य पणधारियों जैसे उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, राज्य के विधि/गृह सचिव और राज्य लोक निर्माण विभाग के सचिव सदस्य के रूप में भी होते हैं । यह समिति स्कीम के अधीन चल रही परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित अंतरालों में बैठक करती है ।

इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने और स्कीम के सुचारू कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए न्याय विभाग में सचिव (न्याय विभाग, भारत सरकार) की अध्यक्षता में एक केंद्रीय स्तर की निगरानी समिति है ।इस समिति द्वारा नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं|

इसके अलावा, जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए न्याय विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्यों का नियमित दौरा किया जाता है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित बैठकें भी होती हैं ।

****